खण्ड-21, अंक-07
बुधवार, 22 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(12 मार्च, 2008 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

पुस्तकालय
1017

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 21 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2010

मूल्य--

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–56
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाए	56
विधान सभा क्षेत्र गिकियासैंण, जनपद अल्मोडा के तीन महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद पिथौरागढ के तहसील धारचूला स्थित न्यू सुवा, बौगलिंग, दाकिमधाटा, चिचिडा, तीजम कनार, रौंदा, पनियार, सुवा के प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुन्जा के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	57
विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थत्युड–कैम्पटी मोटर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना...	57
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत तिमलाणी भृगुखाल मोटर मार्ग निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद हरिद्वार में बी0पी0एल0 सर्वे में छूटे बी0पी0एल0 के पात्रों को सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	58–59
अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूल को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधान सभा की ग्राम पंचायत सिल्ला ब्राह्मण गांव में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	59–60
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	60–62
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	62–79
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	79–83

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित) ...	83–99
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित) ...	99–105
वित्तीय वर्ष, 2008–2009 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त) ...	105–196
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	196–197
राज्य के ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	197–198

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डेय
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. मि0 कैरन हिल्टन
9. श्री किशोर उपाध्याय
10. श्री केदार सिंह रावत
11. श्री केदार सिंह फोनिया
12. श्री खजान दास
13. श्री खड़क सिंह बोहरा
14. श्री गगन सिंह
15. श्री गणेश जोशी
16. श्री गोपाल सिंह राणा
17. श्री गोपाल सिंह रावत
18. श्री गोविन्द लाल
19. श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
20. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21. श्री चन्दन राम दास
22. श्री जोगा राम टम्टा
23. श्री जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. श्री दिनेश अग्रवाल
27. श्री दिवाकर भट्ट
28. श्री दिवान सिंह
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. श्री प्रकाश पन्त
31. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36. श्री बलवीर सिंह नेगी
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री बंशीधर भगत
39. श्री बृजमोहन कोटवाल
40. श्री भगत सिंह कोश्यारी
41. मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
42. श्री मदन कौशिक
43. श्री मनोज तिवारी
44. श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'मदॅू भाई'
45. श्री मातबर सिंह कण्डारी
46. श्री मुन्ना सिंह चौहान
47. श्री यशपाल बेनाम
48. चौ0 यशवीर सिंह
49. श्री रणजीत रावत
50. डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'
51. श्री राजकुमार
52. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
55. श्रीमती वीना महराना
56. श्री शहजाद
57. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59. श्री सुरेन्द्र राकेश
60. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61. श्री सुरेश चन्द जैन
62. डा0 हरक सिंह रावत
63. श्री हरभजन सिंह चीमा
64. श्री हरिदास
65. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनाँक 12 मार्च, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-310 के अन्तर्गत हमारी एक सूचना है, जो पूरे प्रदेश की बिगड़ी कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-310 की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद नैनीताल अन्तर्गत हल्द्वानी स्थित "उत्तराखण्ड फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट वन चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज" का राजकीयकरण

** 1. श्री यशपाल आर्य-

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर स्थित "उत्तराखण्ड फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट वन चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज" का राजकीयकरण पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त मेडिकल कॉलेज का राजकीयकरण कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कॉलेज को स्वायत्तशासी संस्थान (आटोनॉमस बाडी) का दर्जा देगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बंशीधर भगत)-

उत्तराखण्ड फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट शासकीय नियंत्रण का ट्रस्ट है। ट्रस्ट द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज भी शासकीय नियंत्रण का है।

मेडिकल कॉलेज के स्वरूप के लिए सभी विकल्प खुले हैं। सर्वाधिक सार्वजनिक हित का विकल्प ही उपादेय है।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री यशपाल आर्य जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न

*1. श्री गणेश जोशी–

एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।

*2. श्री गणेश जोशी–

तृतीय बुधवार तक स्थगित।

मोटर वाहन के पंजीयन हेतु वी0आई0पी0 नम्बर की प्रक्रिया

*3. श्री हरिदास–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मोटर वाहनों के वी0आई0पी0 नम्बर प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त फीस का निर्धारण किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी वी0आई0पी0 नम्बर लेने के लिये अतिरिक्त फीस जमा कराने का प्राविधान है?

यदि हाँ, तो क्यों?

क्या मंत्री जी, यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वी0आई0पी0 गाड़ी नम्बर वी0आई0पी0 लोगों को ही मिलेंगे अथवा अतिरिक्त फीस देकर कोई भी व्यक्ति वी0आई0पी0 नम्बर ले सकता है?

श्री बंशीधर भगत–

मोटर वाहनों के लिये आकर्षक पंजीयन नम्बर प्राप्त करने हेतु शुल्क का निर्धारण किया गया है।

कोई भी वाहन स्वामी अपने निजी वाहन के सम्बन्ध में अतिरिक्त फीस जमा कराकर आकर्षक पंजीयन नम्बर ले सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वी0आई0पी0 विधायक या सांसद नहीं है? यदि विधायक, सांसद को अतिरिक्त फीस जमा करनी पड़ेगी तो क्या इस प्रदेश को बनाने में, जो देवभूमि के नाम से कहा जाता है, उसमें क्या भू–माफिया या अपहरणकर्ता ही फीस जमा करके वी0आई0पी0 नम्बर लेंगे? (शेम–शेम की ध्वनि)। मान्यवर, सांसद और विधायकों को वी0आई0पी0 नम्बर दिया जाए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने यहाँ पर कहीं यह नहीं कहा कि माननीय सांसद या माननीय विधायक वी0आई0पी0 नहीं होते हैं। माननीय विधायक सदन के सदस्य हैं, वास्तव में वे वी0आई0पी0 होते हैं, लेकिन यह जो नम्बर की बात है यह पता नहीं माननीय विधायक जी के दिमाग में कैसे आ गया कि ये वी0आई0पी0 नम्बर हैं। मान्यवर, हमारा तो वी0आई0पी0 नम्बर है ही नहीं। यह तो हमारा ट्रांसपोर्ट का पंजीयन नम्बर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को यह बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नम्बर हैं, यह कोई वी0आई0पी0 नम्बर नहीं है। कुछ लोग अपनी इच्छा पसंद नम्बर लेना चाहते हैं। अब इच्छा पसंद नम्बर लेने वालों का दबाव इतना अधिक हो गया है कि दिल्ली में एक नम्बर का एक लाख रुपया रखा गया है, हमने मात्र पचास हजार रखा है। अब जिसको जो नम्बर चाहिए वह नम्बर, कुछ नम्बर वी0आई0पी0 नम्बर, जिसे हमने आकर्षक नम्बर का नाम दिया है उन नम्बर को अगर आप लेना चाहते हैं तो एक नम्बर और 786 नम्बर का पचास हजार शुल्क हमने रखा है और 2 नम्बर से 9 नम्बर तक का 30 हजार रखा हुआ है एक हजार, 22, 33 इत्यादि मेरे पास लिस्ट है यदि कोई माननीय सदस्य माँगना चाहेंगे तो मैं उसे उपलब्ध करा दूँगा। कुछ का 25 हजार है कुछ का 10 हजार है इन नम्बरों पर जो पहले आवेदन करेगा उसको हम देते हैं। यह नम्बर वी0आई0पी0 नम्बर नही है। वी0आई0पी0 लाल बत्ती के कारण होता है, इस नम्बर के कारण नहीं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में वी0आई0पी0 नम्बर की कोई व्यवस्था नही है और जो हमारे सम्मानित साथी ने पूछा कि क्या प्रदेश में वी0आई0पी0 नम्बर की व्यवस्था है, उसमें कहीं पर भी, जो उत्तर है अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी इस बात को डिनाई नहीं किया है कि प्रदेश में वी0आई0पी0 नम्बर की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप अपना उत्तर पढ़ें तो उसमें स्पष्ट है कि कोई भी वाहन स्वामी। आपने पूछा कि यदि हाँ, तो क्या माननीय

विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी वी0आई0पी0 नम्बर लेने के लिए अतिरिक्त फीस जमा कराने का प्राविधान है, तो आपने वी0आई0पी0 को कहीं डिनाई नहीं किया। तो पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें जो वी0आई0पी0 नम्बर का जिक्र किया गया है क्या वह है या नहीं है? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि नम्बरों का जो एलॉटमेंट की बात है, उसमें आपने सुनिश्चित फीस निर्धारित की है। जो फीस निर्धारित की है, उसमें तो स्वाभाविक बात है वही लोग जो उस तरह के लोग होंगे, उनको ही ये नम्बर मिल पायेंगे। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्योंकि अधिकांशतः ये देखा गया कि 1 से 10 नम्बर तक के जो नम्बर हैं वह इसलिए लोग लेते हैं कि उस पर पुलिस आसानी से हाथ नहीं डालती। स्वाभाविक है, यह प्रचलन में है। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करायेंगे कि जो एक से दस तक नम्बर हैं उस पर पुलिस समय-समय पर चैक करती रहे।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, मैंने वी0आई0पी0 नम्बर कहा ही नहीं है। आपने कहा कि मोटर वाहनों के वी0आई0पी0 नम्बर प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त फीस का निर्धारण किया गया है मैंने कहा कि मोटर वाहनों के लिए आकर्षक पंजीयन नम्बर प्राप्त करने हेतु शुल्क का निर्धारण किया गया है मैंने 'हाँ' नहीं कहा बल्कि आकर्षक नम्बर के लिए कहा है, आकर्षक नम्बर हैं। जिन पर हमने शुल्क का निर्धारण किया है। जो लोग नम्बर माँगेंगे, जैसे एक नम्बर एक ही होता है जो पहले माँगेगा उसको पहले दे देंगे। यदि माननीय सदस्य अगर एक नम्बर माँगेंगे तो उन्हीं को मिल जायेगा।

श्री तिलक राज बेहड़-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है कि कोई भी वी0आई0पी0 नम्बर नहीं है बल्कि परिवहन विभाग को जो ऐसे आदेश भेजे गये हैं और शुल्क की बात कही गयी है अगर वे वी0आई0पी0 नम्बर नहीं हैं तो क्या हैं? मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ नम्बर आकर्षक नम्बर हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, वी0आई0पी0 नम्बर नहीं हैं तो शुल्क को समाप्त कीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)–

मानवीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ आकर्षक नम्बर हैं। आकर्षक नम्बर की परिभाषा क्या है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो एकदम देखने में आ जायें। जैसा कि मेरा नाम है बंशीधर भगत, जो मेरा आकर्षक नाम है। ऐसी ही एक नम्बर गाड़ियों में रहता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ और कहना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए हैं उनका सम्मान तो रखिये, माननीय मंत्री जी, कृपया आप बैठिये। (हँसी)

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हँस रहे हैं। (व्यवधान)। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा की कोई भी परिपाटी या नियमावली परिवहन एक्ट में नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आकर्षक नम्बर हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सरकार के दृष्टिकोण से एक से दस आकर्षक नम्बर हो सकता है, जो इनको लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने राशि के नाम से आकर्षक नम्बर लेना चाहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार से कोई भी आकर्षक नम्बर हो सकते हैं। मान्यवर, जो इन्होंने आकर्षक नम्बर की परिभाषा दी है वह कौन सा आकर्षक नम्बर होगा? उन्होंने प्रश्न का उत्तर तोड़-मरोड़ के दिया है। अगर इसको आकर्षक नम्बर के बजाय वी०आई०पी० नम्बर कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह केवल भाषा का अन्तर है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न पूछें।

डा० हरक सिंह रावत–

प्रश्न यह है कि यह वी०आई०पी० नम्बर नहीं है, बल्कि आकर्षक नम्बर हैं, क्या सरकार इस आकर्षक नम्बर के शुल्क को समाप्त करेगी?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बात कही यह व्यवस्था अभी तक हमारे प्रदेश में भी नहीं और अन्य प्रदेश में यह व्यवस्था है। जो आकर्षक नम्बर पर शुल्क लिया जाता है। प्रदेश में आकर्षक नम्बर लेने के लिए जिस प्रकार से बढ़ता हुआ दबाव दिखायी दे रहा है उसको कम करने के लिए किया गया है। जैसे माननीय विधायक जी ने यहाँ पर प्रश्न कर दिया जब हमने इस आकर्षक नम्बर पर शुल्क लगाया। इस प्रकार से जो दबाव बढ़ रहा था, दबाव भी कम होगा और सरकार को कुछ राजस्व की प्राप्ति भी होगी। हमने किसी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है कि तुम ये नम्बर लो ही।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री हरिदास जी, आप अन्तिम प्रश्न पूछें। मैं चाहता हूँ कि ये जो तारांकित 15 प्रश्न हैं वे आ जायें।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मेरा कहना है कि जो विधायक या सांसद अपने नाम से गाड़ी लेता है। कम से कम उसमें तो छूट मिलनी चाहिए।

मान्यवर, मंत्री जी सीधा जवाब दे रहे हैं कि जो पैसा देगा उसको नम्बर मिलेगा तो मान्यवर, क्या आकर्षक नम्बर उन्हीं लोगों को दिया जायेगा जो भू-माफिया है या जो अपहरणकर्ता हैं। जो गाड़ियों में अपहरण करके भागते हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, कहीं भी किसी भी नियमावली में यह नहीं लिखा है कि 1 से 10 नम्बर वाली गाड़ियों को पुलिस नहीं रोकेगी और दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, वी0आई0पी0 नम्बर की गाड़ी में बैठने वाला विधायक नहीं कहलाता, विधायक तो विधान सभा में बैठता है।

श्री हरिदास–

मान्यवर, क्या विधायक गाड़ी में नहीं बैठता? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सवाल का सही जवाब नहीं आया है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन में भाषण दे रहे हैं, वे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। वे जवाब दें कि देंगे या नहीं? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा। मेरा कहना है कि क्या परिवहन विभाग द्वारा बिना शुल्क के विधायकों को, जो वे आकर्षक नम्बर चाहते हैं या अपेक्षा करते हैं, उनको आवंटित होगा?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने अपनी बात कही तो माननीय सदस्य जी ने कहा कि भाषण दे रहे हैं तो मैंने अपना पूरा उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य ने शायद ध्यान से सुना नहीं। मेरा उत्तर है कि अभी इस पर ऐसा कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। (व्यवधान)

जनपद हरिद्वार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवाओं का संचालन

* 4. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्ग, 'राज्य परिवहन निगम' की बस संचालन सेवा से पूर्णतया वंचित हैं?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक जनपद के सभी मार्गों पर बस संचालन आरम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। हरिद्वार जनपद के राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ही राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवा संचालित है। इसके साथ ही अस्थाई परमिटों पर स्टेज कैरिज भी संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि हरिद्वार जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर बसें संचालित की जा रही हैं या नहीं? आपका उत्तर आया– जी नहीं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद में कितने मोटर मार्ग हैं जिन पर परिवहन निगम की बसें संचालित की जाती हैं?

श्री बंशीधर भगत–

जो उत्तर नहीं में आया है वह प्रश्न यह था कि राज्य परिवहन निगम की बस संचालन सेवा पूर्णतया वंचित है, तो हमने कहा–नहीं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि कितने मोटर मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बस संचालित की जा रही हैं?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत 5 राष्ट्रीय राज मार्ग हैं। और जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं वे 6 हैं। क्र० में कुछ मार्गों की ब्रांच रोड हैं। जिसको मैं विस्तार से बता रहा हूँ। हरिद्वार–लक्सर–पुरकाजी मार्ग, जिस पर परिवहन निगम की बस संचालित है। दूसरा गुरूकुल–नारसन–झबरेड़ा–इकबालपुर मार्ग, जिस पर भी निगम की बस संचालित है। तीसरा मंगलौर–लखनौती–बी०एच०ई०एल०–हरिद्वार इस पर भी निगम की बस संचालित है। चौथा हरिद्वार–टिबरीखारा–बी०एच०ई०एल०–रुड़की मार्ग जिस पर भी निगम की बस संचालित है। पांचवा बहादराबाद–पिरान कलियर–रुड़की मार्ग जिस पर निगम की बस नहीं है।

मान्यवर, हरिद्वार टिपकीखाला, बी०एच०ई०एल०, रुड़की में निगम की बसें संचालित हैं और जो माननीय विधायक जी चाह रहे हैं, उसमें वह सड़क है बहादराबाद, पिरान कलियर और रुड़की में। यह एक मार्ग है जो नेशनल लाईज्ड मार्ग पर निगम की बस संचालित नहीं है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कैसे कहा कि माननीय विधायक जी यही सड़क चाह रहे हैं?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, चिट्ठी पढ़कर मजमून भांप लेते हैं। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, चिट्ठी नहीं लिफाफा होता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जरा सुधार कर लीजिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह चिट्ठी ही है, लिफाफा नहीं है। दल्लावाला, थानपुर, लक्सर मार्ग।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह जो दल्लावाला, थानपुर, लक्सर मार्ग कहा है इस पर तो प्राईवेट बसें आलरेडी संचालित हो रही हैं और जो दूसरा मार्ग आपने मंगलौर से लखनौती मार्ग बताया, तो लंढौर से मंगलौर तक जो बस का संचालन होना चाहिए था क्या उसको करवा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय मंत्री जी की पूरी बात तो आ जाने दीजिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने निगम की बस नहीं कही, मैंने कहा प्राईवेट बस चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री आप बात पूरी करें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं बात पूरी कर रहा था, लेकिन बीच में कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, परिवहन निगम की बस के बारे में पूछा गया और प्राईवेट बस के बारे में बता रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, सदन को बरगला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन मार्गों पर परिवहन निगम की बसें चल रही हैं, इसको स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा और कोई अनुपूरक हो तो बता दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पिछले बुद्धवार को अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि ये 16 मोटर मार्ग हरिद्वार जनपद में है और आज 8 मोटर मार्ग माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, तो या तो पिछला उत्तर गलत था या आज उत्तर गलत है तो माननीय मंत्री जी क्यों भ्रमित कर रहे हैं? इसका उत्तर मैं जानना चाहता हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने 6 मार्गों को एक मोटे तौर पर बताया है कि यह 6 मोटर मार्ग हैं लेकिन उनकी ब्रांच है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सदन को गुमराह कर रहे हैं, यदि जवाब नहीं है तो प्रश्न स्थगित कर दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, बात को सुन ही नहीं रहे हैं, मेरी बात आ जाये, जैसे एक ही मार्ग में 6 मार्ग हैं।–गुरूकुल, नारसन, झबरेडा, इकबालपुर। इसके 6 ब्रांच हैं 1. सहारनपुर, रुड़की, झबरेडा, सिथोली, गुरूकुल, नारसन, 2. सहारनपुर, भगवानपुर, चुड़ियाला, 3. इकबालपुर, रुड़की, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार, 4. भगवानपुर, इकबाल, झबरेडा, 5. भगवानपुर, इकबालपुर, मंगलोर, 6. सिथौली, मंगलौर, इकबालपुर, पुहाना। मतलब एक ही मार्ग के अनेक ब्रांच हैं। हो सकता है कि पहले वाले में विस्तार से जवाब दिया हो और आज मोटे तौर पर कहा कि 6 मार्ग हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, जिन मार्गों को माननीय मंत्री जी ने बताया और इसके अतिरिक्त आपका कोई मार्ग है, तो वह भी बता दें, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि रोशनाबाद से कलियर, कलियर से भगवानपुर, भगवानपुर से चुड़ियाला मोटर मार्ग पर क्या परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जायेगा और किया जायेगा तो कब तक?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इसमें सहारनपुर, भगवानपुर, चुड़ियाला है और कोई नया मार्ग पूछ रहे हैं तो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक जी, आपने जिन मार्गों का उल्लेख किया है, उन्हें लिख कर के माननीय मंत्री जी को भिजवा दें और माननीय मंत्री जी उन मार्गों का परीक्षण करवा लेंगे, वैसे यह मूल प्रश्न का हिस्सा नहीं है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह जिला मुख्यालय से सम्बन्धित प्रश्न है। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गत सप्ताह से रुड़की लण्ढौरा लक्सर मार्ग जो कि प्राईवेट बसों का संचालन किया जाता था। क्या वहां पर वर्तमान में रोडवेज की बसें चलायी गयी हैं? यदि चलायी गयी है तो क्या यह उचित है?

माननीय मंत्री जी, बताने का कष्ट करें?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, रुड़की लण्ढौरा लक्सर मार्ग के सम्बन्ध में पहले तो कोई चर्चा इसमें की नहीं है, मैं इसको दिखवा लूंगा। माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं इसका परीक्षण करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय कुँवर प्रणव सिंह ने जिन मार्गों का उल्लेख किया है कृपया इनका परीक्षण करवा कर, कोई स्पेसिफिक जानकारी दे दीजिए और इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य भी हरिद्वार जनता के सम्बन्ध में विभिन्न मार्गों पर निगम की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई सूचना चाहते हैं तो उनका भी स्पेसिफिक सूचना देकर जवाब दे दें। (व्यवधान)

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत पथरी रोह में टिहरी विस्थापित एवं स्थानीय विस्थापित किसानों को सिंचाई विभाग की भूमि का आवंटन

* 5. श्री शहजाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की भूमि पथरी रोह में टिहरी विस्थापितों को कितने पट्टे आवंटित किये गये हैं एवं स्थानीय विस्थापित किसानों को कितने पट्टों का आवंटन किया गया?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आवंटित भूमि पर किसानों एवं टिहरी विस्थापितों के अधिकार क्या हैं?

सिचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

टिहरी विस्थापितों को कोई पट्टा आवंटित नहीं हुआ है। अपितु 210 पात्र टिहरी विस्थापितों में से प्रत्येक को 2 एकड़ भूमि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पथरी रोह में आवंटित की गयी है। अविभाजित उत्तर प्रदेश द्वारा स्थानीय भूमिहीन कृषकों को 2–2 एकड़ कृषि भूमि के 255 पट्टे स्वीकृत किये गये हैं।

टिहरी बाँध से प्रभावित पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि पर शासनादेशानुसार भूमिधरी अधिकार 182 लोगों को दिये जा चुके हैं तथा 28 लोगों को भूमिधरी अधिकार देने की प्रक्रिया गतिमान है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पथरी रोह में टिहरी विस्थापितों को कितने पट्टे आवंटित किये गये हैं? इसमें उत्तर है कि टिहरी विस्थापितों को कोई पट्टा आवंटन नहीं किया गया है और 210 टिहरी विस्थापितों को पट्टे आवंटित किये गये। ये टिहरी विस्थापित कौन से हैं जिन्हें पट्टे एलॉट नहीं हुए और ये 210 कौन से हैं? इस सम्बन्ध में अवगत करायें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जैसे कि मैंने कहा पट्टा नहीं दिया गया। पट्टे पर अधिकार के सम्बन्ध में एक व्यवस्था है। मान्यवर, ये टिहरी के बांध विस्थापित हैं इनको भूमि के बदले भूमि, दो–दो एकड़ जमीन वहां पर दे दी गयी है। यह 210 पात्र टिहरी विस्थापितों के लिए आवंटित की गयी।

श्री शहजाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न सीधा सा है कि क्या माननीय मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत सिचाई विभाग की भूमि पथरी रोह में टिहरी बांध विस्थापितों को कितने पट्टे आवंटित किये गये?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने टिहरी विस्थापित कहा है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं भी टिहरी विस्थापित ही कह रहा हूँ। आपने पहले लिख दिया कि नहीं दिये गये हैं। मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्थानीय 255 किसानों को पट्टे एलॉट किये गये हैं, पट्टे एलॉटमेंट के बाद कब–कब इनका सत्यापन किया गया?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार पट्टा धारकों के पट्टों को सत्यापन करने के बाद कब्जा दिलाएगी? पहले इनका उत्तर आ जाए, उसके बाद मेरा तीसरा प्रश्न और है।

श्री मातबर सिंह कन्धारी–

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट है, जो वहां पर सिंचाई विभाग की भूमि में अनधिकृत रूप से रह रहे थे, उनको हमने पट्टा दिया और टिहरी बांध विस्थापितों को भूमि के बदले भूमि दी गयी है। अब रहा सवाल, इन पर अधिकार का, तो मैंने कहा, जो टिहरी बांध विस्थापित हैं, उनका 182 लोगों को भूमिधरी अधिकार दिया गया है। 28 लोग ऐसे हैं, जिनको अधिकार देने की प्रक्रिया गतिमान है, इनको देना है। ये अभी तक अपना कब्जा लेने नहीं आए हैं। जब वे आएंगे तब उनको भूमिधरी अधिकार दिया जाएगा और जहां तक स्थानीय लोगों के लिए आपने कहा, दो–दो एकड़ भूमि के जो हमने पट्टे दिये हैं, तो पट्टा उनको दिया है, जो वहां पर अवैध रूप से काबिज थे। जो दो–दो एकड़ प्लॉट हमने दिया है, वह टिहरी बांध विस्थापितों को भूमि के बदले भूमि दी है और उनको भूमिधरी अधिकार दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं, वह पट्टे धारक हैं।

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी को पहले पूछ लेने दें, मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

श्री शहजाद–

मान्यवर, जो 255 स्थानीय किसान हैं, जिनको पट्टे एलॉट किये गये, क्या उनको सरकार भूमिधरी के अधिकार देगी? दूसरा, क्या उनका सत्यापन, उनका कब्जा कराने का सरकार का कोई इरादा है, जो पट्टे धारक हैं?

श्री मातबर सिंह कन्धारी–

मान्यवर, जिसको पट्टा दिया गया है, उस पर उनका अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति जिसे पट्टा नहीं मिला है और उसको पट्टा आवंटित है, तो उसको हम पट्टा देंगे।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं कब्जे की बात कर रहा हूं। जो 255 लोग हैं, क्या इनको भूमिधरी का अधिकार दिया जाएगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जिसको पट्टा दिया जाता है, वह पट्टा धारक होता है। अब यह सरकार की नीति होगी कि 10 साल बाद उस पर क्या निर्णय लेते हैं, उस पर निर्भर करता है वह राजस्व मंत्री जी का क्षेत्र है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, मेरी विधान सभा में पथरी रोड में जो टिहरी विस्थापितों को बसाया गया है, उनको काफी दिन हो गये हैं। उन्हें अभी तक, जैसा कि बताया गया है कि 182 लोगों को भूमि धारक बना दिया गया है लेकिन उन्हें न तो उस जमीन पर लोन मिलता है, न उस पर उन्हें कोई अधिकार है। वे बेचारे ऐसे हैं, जैसे किसी ने किराये पर जमीन लेकर जोतना शुरू कर दिया है। अभी तक उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। यह मेरी जानकारी में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तस्लीम साहब, आप प्रश्न करिये। आप कहना क्या चाहते हैं?

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि जो पट्टे धारक हैं, जैसा अभी बताया गया कि 182 पट्टे धारक हैं, वे भूमिधरी का हक चाहते हैं ताकि उन्हें लोन भी मिल सके और जिन पट्टों पर कब्जा नहीं दिया गया है, उन्हें कब्जा दिया जाय, यही चाहते हैं। उन्हें पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें अभी तक कहीं से कर्ज भी नहीं मिलता। अगर वे घास भी उखाड़ना चाहें तो वह भी नहीं कर सकते।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कह चुका हूँ कि 182 लोगों को हमने भूमिधरी का अधिकार दिया है और 256 पट्टे आवंटित हुए हैं, इनको भूमिधरी अधिकार देने का प्रस्ताव अभी हमारे विचाराधीन नहीं है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विचाराधीन क्यों नहीं है, क्या वे किसान नहीं हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पट्टा धारकों को क्या अधिकार प्राप्त हैं, यह बता दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, पट्टा धारकों के साथ एक अनुबंध होता है, उसके आधार पर काम होता है। उसके आधार पर उनको कब्जा मिलता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह किस श्रेणी के पट्टे हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इसमें श्रेणी का क्या, उनको पट्टे दिये गये हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कौन सी श्रेणी के पट्टे दिये गये हैं, यह तो पता होना चाहिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि "टिहरी बाँध से प्रभावित पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि पर शासनादेशानुसार भूमिधरी अधिकार 182 लोगों को दिये जा चुके हैं तथा 28 लोगों को भूमिधरी अधिकार देने की प्रक्रिया गतिमान है।" मैं माननीय मंत्री जी से एक नीतिगत प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ कि क्या टिहरी बाँध के सभी विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है या पात्र विशेष के आधार पर भूमिधरी के अधिकार दिये जाते रहे थे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जिन परिवारों की भूमि टिहरी बाँध में जलमग्न हो गयी है, जो विस्थापित किये गये, उनको भूमिधरी अधिकार देने का फैसला दिया गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों को भी मौका दूँगा।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग की भूमि पर किन नियमों के तहत पट्टे आवंटित किये जाते हैं, क्या जेड ए के तहत पट्टे दिये जाते हैं, भू–कानून के तहत दिये जाते हैं या इसके लिए कैनाल का कोई अलग नियम है, किस नियम के आधार पर यह पट्टे आवंटित किये जाते हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, सिंचाई विभाग की जमीन का राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया और जो विस्थापित लोग हैं, उनको भूमिधरी अधिकार दिये जाने का फैसला लिया गया है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, किस नियम के तहत यह पट्टे दिये जाते हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, अधिग्रहण के तहत दिये गये हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि 255 पट्टों पर जो अनाधिकृत रूप से काबिज थे, उन लोगों को पट्टे दे दिये गये हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो अन्य कब्जाधारी वहाँ पर हैं उनको भी क्या सरकार पट्टे दिये जाने का काम करेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जब यह स्थिति सामने आयेगी तो इसके लिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा है कि सरकार ने 255 लोग जो अनाधिकृत रूप से काबिज थे, उनको पट्टे दे दिये, तो मेरा कहना यह है कि जो और लोग वहाँ पर काबिज हैं, उनके लिए समय और परिस्थिति क्यों देखी जायेगी? जब पहले दे दिये तो क्या इनको भी पट्टे दिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आप हरिद्वार जनपद की बात कर रहे हैं या कहीं और की बात कर रहे हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं इसी प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक पूछ रहा हूँ कि मंत्री जी ने बताया कि वहाँ पर अनाधिकृत रूप से काबिज 255 लोगों को पट्टे दे दिये, तो जो अब वहाँ पर अन्य कब्जाधारी हैं, उनको भी पट्टे दिये जायेंगे?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, नियमानुसार तो यह है कि जो अवैध रूप से कब्जा किये हुये हैं, उनके लिए हम इसकी जांच करवा रहे हैं और बाद में बैठकर इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो अजीब बात है कि अवैध रूप से काबिज 255 लोगों को तो आपने सही मान लिया, तो अन्य लोगों को सही क्यों नहीं माना जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को यह बता दीजिये कि जिस आधार पर 255 लोगों को पट्टे दिये गये, उसी आधार पर अन्य को भी पट्टे दिये जायेंगे या नहीं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, पथरी में यह जो सिंचाई विभाग की जमीन थी और उसमें यह लोग अवैध रूप से रह रहे थे और यह जमीन बाँध विस्थापितों को दी जानी थी। इसके लिए बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि उसमें जो भूमिविहीन थे, उनको पट्टे दिये जायं। अन्य जगहों पर भी जैसे–जैसे समस्यायें आयेंगी, परिस्थितियां आयेंगी, वैसे–वैसे हम उन पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

आपका जवाब आ गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ। मैंने प्रश्न किया कि 255 लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे थे, उनको पट्टे दे दिये गये हैं तो जो अन्य कब्जाधारी हैं, उनको पट्टे दिये जायेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

क्या 255 के अतिरिक्त भी और कब्जाधारक हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, प्रदेश में कितनी भूमि पर कब्जे हैं, मान्यवर, पहले तो यह देखना पड़ेगा और हमारे सामने जब समस्या आयेगी, उस पर समयानुसार विचार किया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि क्या जो भी अवैध रूप से कब्जाधारी हैं, उनको कब्जा देने का प्रयास सरकार करेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जी नहीं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय तस्लीम अहमद जी ने जो सवाल उठाया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, उनका कहना यह था कि 184 पट्टे जो दिये गये, जिनको भूमिधरी का अधिकार दिया गया है, उनको ऋण नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना यह था कि क्या उनको ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी? इसका उत्तर दिया जाना उचित होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आप भूमिधरी की बात कर रहे हैं या पट्टे की बात कर रहे हैं। (हंसी) जिन्हें भूमिधरी का अधिकार प्राप्त है, उनको तो सब सुविधाएं हैं और रहा पट्टा, पट्टा कोई अधिकार नहीं है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई विभाग की भूमि पर अलग–अलग जगहों पर कब्जे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर सिंचाई विभाग की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं, क्या सरकार उन कब्जों की सूची बनाकर विभाग की जमीन को मुक्त करने की कार्यवाही करेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने निर्देश दिये हैं कि जितनी भूमि अवैध कब्जे में है, उसकी सूची बनायी जाय। हम इसे खाली कराएंगे।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने जानना चाहा था कि जिन स्थानों पर किसानों को पट्टे दिये गये, क्या सरकार उनका सत्यापन करा कर कब्जा दिलायेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि जो 255 पट्टे दिये गये, अगर उनमें किसी व्यक्ति को कब्जा नहीं मिला होगा तो हम कब्जा दिलाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप मुझे सूची दे दें, अगर कोई रह गया तो उसे अधिकार दिया जायेगा।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सूची तो आपके पास होगी। 255 की मांग हम कर रहे हैं, 256 की नहीं। 255 को भूमिधरी अधिकार मिल जायें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, नहीं मिल सकेगा।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सरकार जनता के प्रति गम्भीर नहीं है। वे भी किसान हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी तब सरकार का किसानों के साथ समझौता हुआ था, भूमिधरी अधिकार देने का समझौता हुआ था और काफी लम्बी–चौड़ी वार्ता इसमें हुई थी कि उनको अधिकार मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय विधायक जी का यह कहना है कि पट्टाधारकों को क्या भूमिधरी अधिकार देंगे, मैंने कहा–नहीं।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल तथा पोखड़ा की पट्टी खाटली आदि ग्राम सभाओं में पेयजल संकट

* 6. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल तथा विकासखण्ड पोखड़ा की पट्टी खाटली, साबली तथा कोलागाड़ की सात ग्राम सभाओं के तीस गाँव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं?

यदि हाँ, तो इन गाँवों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्र में कोई भी ग्रेविटी स्रोत उपलब्ध न होने के कारण इन समस्याग्रस्त गाँवों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु पूर्वी नयार नदी से पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करवाए जाने की माँग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत कर दी जायेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ। सात ग्राम सभाओं की 27 बस्तियों में 10 एफ०सी०, 15 पी०सी० एवं 2 एन०सी० श्रेणी की बस्तियां हैं। 15 पी०सी० एवं 2 एन०सी० बस्तियों में पेयजल का अभाव है।

धकुलसारी, रिंगल्डा निर्माणाधीन पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा आगामी ग्रीष्म ऋतु में उपलब्ध गुरुत्व स्रोतों का स्राव माप कर स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें बनाई जायेगी।

जी हाँ।

पर्याप्त स्राव के गुरूत्व स्रोत उपलब्ध न होने की स्थिति में ग्राम स्तर पर उपभोक्ता पेयजल स्वच्छता समिति के गठन के उपरान्त सकल क्षेत्र में समरूप नीति के आधार पर पूर्वी नयार नदी से पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि किस मानक के आधार पर 27 बस्तियों में 10 एफ0सी0, 15 पी0सी0 एवं 2 एन0सी0 श्रेणी की बस्तियों को चिन्हित किया है? इसके मानक क्या हैं? दूसरा आपने स्वीकार किया है कि 15 पी0सी0 एवं 2 एन0सी0 बस्तियों में पेयजल का अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन बस्तियों में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

दूसरे पैराग्राफ में माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि थकुलसारी, रिगल्खा निर्माणाधीन पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जबकि सत्यता यह है कि आज की तारीख तक यहाँ पर कोई भी पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही हैं बन्दर कोट गाँव से यहाँ पानी दिया जाता था, जबकि गाँव में विवाद हो जाने के कारण इसमें अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, इसमें माननीय मंत्री जी को अधिकारियों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। इसमें माननीय मंत्री जी ने स्वयं उत्तर निर्माणाधीन पेयजल योजना के बारे में दिया है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो योजना स्वयं में निर्माणाधीन है, उससे इन 30 गाँवों को कैसे पेयजल आपूर्ति की जायेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, राजीव गाँधी पेयजल मिशन–2003 के अन्तर्गत एक सर्वे हुई थी। उस आधार पर ये 15 पी0सी0 और दो एन0सी0 बस्तियों में, मैं पीने के पानी के अभाव के बारे में बता रहा हूँ, कि थकुलसारी, रिगल्खा निर्माणाधीन पेयजल योजना से यहाँ पर पानी दिया जा रहा है, ग्रीष्म ऋतु में स्रोतों के स्राव में कमी आने के कारण पानी का अभाव रहता है। इसके साथ–साथ हमारा पहला प्रयास यह है कि ग्रेविटी से पानी दिया जाय, यदि ग्रेविटी से पानी नहीं दिया जायेगा, मैं स्वीकार करता हूँ कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में जल संकट बहुत अधिक है। हमारे उत्तराखण्ड में टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा तीन जनपद ऐसे हैं जहाँ पर पेयजल का संकट रहता है।

मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि जहाँ–जहाँ पेयजल संकटग्रस्त गाँव हैं उनमें पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये हैं। यदि प्राकृतिक स्रोत नहीं मिलेगा, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि नयार नदी से अगर पम्पिंग योजना

बनानी पड़ेगी, तो उसमें भी हम कार्यवाही करेंगे, बशर्ते ग्राम वाले उसके लिए ग्राम उपभोक्ता स्वच्छता समिति का गठन करें, यह आवश्यक है। मैं सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वजल के अन्तर्गत कोई भी योजना तब तक नहीं बनेगी तब तक ग्राम में उपभोक्ता ग्राम स्वच्छता समिति का गठन नहीं हो जाता है। मान्यवर, इसके लिए यदि नयार नदी से लिफ्ट योजना बनाने के लिए ग्रामवासी अपनी गाँव में यदि विभिन्न गाँव हैं तो विभिन्न गाँव में, स्वच्छता समिति का गठन करेंगे, तब उस पर हम विचार करेंगे।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि इसके मानक क्या हैं आपने कैसे 10 गाँव एफ0सी0 में डाले, किन मानकों के आधार पर 15 गाँव पी0सी0 पर डाले, किस आधार पर दो गाँव एन0सी0 में डाले, इसके मानक क्या हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, एफ0सी0 का मतलब है 'फुली कवर्ड' इसमें पर्याप्त पानी मिल रहा है और पी0सी0 का मतलब है कि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, एन0सी0 का मतलब है कि उसमें पानी नहीं आता है। आपके जो दो गाँव हैं धड़ियापानी, बड़ियारढैया एन0सी0 में आ गये हैं। मान्यवर, जाखणी, थापड़िया मल्ला, थापड़िया तल्ला, कोटा, मोहनाबाखल (केड्‌रीबरबरी), मरखोला, डिबोली, कंडेली, धकुलसारी छोटी, डाडा गाड, मगरौ, झालो, सुंदरिया छोटा, मटकुण्डा, बड़ोलगाँव ये पी0सी0 में आते हैं। तिमलखोला, बंदरकोट मल्ला, बंदरकोट तल्ला, धकुलसारी बड़ी, रिगलधा मैविलम, नऊ रानीहाट नागली, हिन्डालगिरी ये एफ0सी0 में आए।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, यह जो पूरे 29 गाँव हैं, पूर्णतया जल संकट से ग्रसित हैं और आपने किस आधार पर इन्हें एन0सी0, पी0सी0 और एफ0सी0, गाँव डिक्लेयर कर दिया? यह पूरे के पूरे गाँव एन0सी0 में आने चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कोई मानक निर्धारित किये होंगे, वह बता दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, 2003 में एक सर्वे हुआ था उसी आधार पर यह गाँव चिन्हित हुए हैं। मैं तो मौके पर नहीं गया हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, अब तो 2008 चल रहा है।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन ग्राम सभाओं में जल स्रोत नहीं है, जहाँ पर दूर–दूर तक नदियाँ नहीं हैं, न गदेरे हैं, न नौले हैं, क्या सरकार द्वारा वहाँ कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है? यदि कोई कार्य योजना हो तो बतायें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि 2012 तक सभी गाँवों में और सभी घरों में पर्याप्त पानी मिले। इसके लिए उत्तराखण्ड जल संरक्षण सम्वर्द्धन मिशन, 2007 माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। मेरा यह कहना है कि जिन गाँवों में गम्भीर पेयजल संकट है अगर वहाँ पर ग्रेविटी की उपलब्धता है तो हम वहाँ से पानी लायेंगे या वहाँ पर मान लिया जाए स्रोत भी उपलब्ध होगा तो वहाँ पर नौला खोद सकते हैं, कुँआ खोद सकते हैं। हमने यह भी निर्णय लिया है कि अगर कहीं पर गम्भीर पेयजल संकट है तो वहाँ पर नलकूप लग सकते हैं तो लगाये जायेंगे, यह भी हमारी प्राथमिकता है। और यदि मान लीजिए पानी का कोई स्रोत नहीं है तो नदी के द्वारा लिफ्ट योजना बनाकर पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, 2003 में सर्वे हुआ है एफ0सी0, पी0सी0 और एन0सी0 का। लेकिन जैसी कि वस्तुस्थिति से हम सभी अवगत हैं और वाटर लेविल घटता जा रहा है। 2003 से अभी तक तो काफी स्रोत सूख चुके हैं। पुनः सर्वे सरकार द्वारा कराया जायेगा? पम्प लिफ्ट योजना हैं जो स्वीकृत हैं, जिन में बजट का प्राविधान किया गया है, टोकन बजट का उनमें कार्य कब से आरम्भ होगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जब से यह स्वैप आया, उससे पहले तो यह था कि स्वजल वाले ही निर्माण करेंगे। यह भी था कि 10 प्रतिशत 5 प्रतिशत उनको कैश देना पड़ेगा। हमने बहुत कम कर दिया है। रहा सवाल कि कहाँ–कहाँ जल संकट है। हमने तो विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सम्बन्धित विधान सभा के विधायकों से पूछकर उनकी विधान सभा में कौन–कौन से क्षेत्र पानी से ग्रस्त हैं इसकी जानकारी

प्राप्त कर मान्यवर, सबसे पहले उस गाँव को लेंगे जिन गाँवों में गम्भीर पेयजल संकट है। मान्यवर, हमारी भी सीमाएं हैं, बजट की कमी के कारण, किन्तु फिर भी उनको अधिक प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ गम्भीर पेयजल संकट है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा दुबारा सर्वे करवाया जायेगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ पेयजल का संकट है वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जायेगी और सर्वे भी करवाया जायेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जैसा कि पूरे प्रदेश के जल स्रोत निरन्तर सूखते चले जा रहे हैं, जबकि उत्तराखण्ड राज्य में अधिकांश नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं और जब प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रारम्भ करने की बात थी जिनमें नदियों को इन्टरलिंक किया जाना था। क्या उत्तराखण्ड में भी ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों को और बरसाती नदियों को आपस में इन्टरलिंक करने की कोई कार्य योजना सरकार तैयार करेगी?

दूसरा माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि सम्पूर्ण अल्मोड़ा जनपद में पेयजल की काफी गम्भीर समस्या है और उत्तर प्रदेश के समय में सम्पूर्ण अल्मोड़ा जनपद को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलायी जा रही थी जो पिण्डर नदी के द्वारा टनल बनाकर अल्मोड़ा जनपद की कोसी, रामगंगा और गगास नदी में इस पानी को छोड़ने का निर्णय इस सरकार द्वारा लिया गया था और एक प्राक्कलन तैयार किया गया था, क्या सरकार इस पर भी कोई कार्ययोजना तैयार करेगी या इस योजना को फिर से पुनःजीवित करके अल्मोड़ा जनपद को पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो 'जल संचय, जीवन संचय' हमारा नारा है। पानी का जहाँ पर स्रोत उपलब्ध है वहाँ पर हमने डिग्गी बनाने का निर्णय लिया है और जहाँ पर गम्भीर पेयजल संकट है वहाँ पर पानी के बैलेन्स की व्यवस्था कर रहे हैं मान्यवर, देहरादून का अपर जोन है वहाँ पर हम ग्लोगी से पानी ला रहे हैं वहाँ पर हम एक बैलेन्सिंग रिजर्व वायर बना रहे हैं इसी प्रकार से अल्मोड़ा जनपद में गम्भीर पेयजल संकट है, कोसी नदी से हम लिफ्ट परियोजना का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने किसी पर्टिकुलर योजना की बात नहीं कही है। मैंने पूरे अल्मोड़ा जिले व पूरे प्रदेश की बात कही है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का उत्तर आना था आ चुका है और पेयजल योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई माननीय सदस्य इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो वे किसी नियमों के अन्तर्गत देना चाहते हैं, उस पर चर्चा करा सकते हैं। (व्यवधान)। जब मैंने कह दिया है कि मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था उसके बारे में माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं आया है। आप इसका परीक्षण करेंगे?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं इसका परीक्षण करा लूँगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन गाँवों में पेयजल का संकट है। क्या इन गाँवों के लिए नयार नदी से पम्पिंग पेयजल योजना बनाने का निर्णय लिया है? श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूँ कि जो पेयजल से प्रभावित हैं उनकी आबादी कितनी है और जो योजना है उसकी प्रस्तावित लागत कितनी है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरे पास यह प्रश्न अभी आया है और मैंने कहा कि एन0सी0 और पी0सी0 बस्तियां हैं वह 27 बतायी गयी हैं इनकी जनसंख्या क्या है वह मेरे पास उपलब्ध अभी नहीं है, मगर इन बस्तियों के लिए हम नयार से पेयजल योजना बनायेंगे और उस गाँव वाली उस समिति का गठन कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने पूर्व में ही कह दिया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है मैं इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूँ।

वनों की रक्षा व गैर कानूनी कटान रोकने हेतु महिला समूहों को ज़िम्मेदारी

* 7. श्री प्रीतम सिंह–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने के उद्देश्य को लेकर स्थानीय रूप से बने अनौपचारिक महिला समूहों, महिला मंगल दल आदि को वनाग्नि से वनों की रक्षा की जिम्मेदारी सहित वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं अनुरक्षण का कार्य दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि उन्होंने कितने महिला मंगल दल या महिला समूहों को इनकी जिम्मेदारी दी है, इनकी संख्या क्या है और कितनी महिलाओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गयी है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इससे वनों की सुरक्षा हो सके, इसका गठन किया गया है। लगभग 400 गाँव में ऐसी समितियों का निर्माण किया गया है चकराता क्षेत्र में समिति का गठन किया गया है जिनकी संख्या 13 है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वनों में अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए महिला समूह और महिला मंगल दल के समूहों को इसकी जिम्मेदारी दी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन महिला समूह या महिला मंगल दलों को वनाग्नि को रोकने के लिए क्या कोई कोर्स भी उपलब्ध कराया गया है या कोई और तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर मशीनें, ट्रीटमेन्ट की कोई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी यह काम प्रारम्भिक दौर पर है। लेकिन उसके बाद भी पिछले सन् 2007–08 को जो समितियाँ बनाई हैं तो इन ग्राम समितियों को रु0 10,000 प्रति ग्राम वन अग्नि सुरक्षा समिति के हिसाब से लगभग रु0 40 लाख पिछले वर्ष इन पर खर्च किया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि महिला समूह और महिला मंगल दल, समिति का गठन जो आपने किया वह अलग है, प्रदेश में कितने हैं और कितनों को आपने जिम्मेदारी दी है?

श्री बंशीधर भगत–

इस समय पूरे प्रदेश में केवल चकराता क्षेत्र में 13 महिला समूह का गठन हुआ है। चकराता में पिछले वर्ष 13 महिला समूहों को रु0 65,000 एक सहायता राशि के रूप में दिया है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पूरा जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सीधा–सीधा प्रश्न है कि महिला समूह और महिला मंगल दल। क्या प्रदेश में इसका गठन हो चुका है और अगर हो चुका है तो इनकी संख्या अलग–अलग क्या है यह बता दें। दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन समूहों के द्वारा अब तक जो वृक्षारोपण का दायित्व सौंपा है कितने हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है? आपने इनको अग्नि पर काबू पाने के लिए दायित्व सौंपा तो कितनी ऐसी घटनाएँ हैं जिन पर इनके द्वारा काबू पाया गया?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, एक तो है ग्राम वन अग्नि सुरक्षा समिति। एक है महिला समूह और एक महिला मंगल दल की चर्चा माननीय सदस्य जी ने की है।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैंने नहीं की चर्चा। मेरे प्रश्न के उत्तर में जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें यह है। मैंने कहीं पर चर्चा नहीं की।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जैसाकि मैंने बताया कि 400 गाँव में इस प्रकार का गठन हुआ है जो महिला समूह का गठन है वह चकराता क्षेत्र में है जिसकी संख्या 13 है। महिला मंगल दल का अभी कोई ज्यादा योगदान नहीं है। हमारी यह उम्मीद है कि आगे हम महिलाओं में जागरूकता के लिए भी और उनका आर्थिक लाभ भी हो सके, इसके लिए महिला मंगल दल को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उत्तर में कुछ आ रहा है और जवाब में कुछ और आ रहा है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि महिला मंगल दल का गठन किया गया है तो जनपदवार बता दें कि कितने–कितने महिला मंगल दल का गठन किया गया है और इसने वनों के कटान में क्या योगदान दिया है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जनपदवार तो विस्तार से मेरे पास है नहीं। माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया है, मैं उनको भिजवा दूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा है अभी इनके पास नहीं है, हम उपलब्ध करा देंगे।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि "वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने के उद्देश्य को लेकर स्थानीय रूप से बने अनौपचारिक महिला समूहों, महिला मंगल दल आदि को वनाग्नि से वनों की रक्षा की जिम्मेदारी सहित वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं अनुरक्षण का कार्य दिया गया है।" माननीय अध्यक्ष जी, कार्य दे दिया गया है। मान्यवर, उत्तर कुछ और आया है और जवाब कुछ और दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मंगल दल की अभी तक इसमें योजना नहीं है, आगे योजना है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, लिखित उत्तर में है कि कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है इसका उत्तर स्पष्ट नही हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अभी स्पष्ट हो जायेगा

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि.........................

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय सदस्य जवाब दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय बोहरा जी, आप प्रश्न करें।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है माननीय वन मंत्री जी से, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी से कि इस बात की जानकारी देने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने युवक मंगल दल और कितने महिला मंगल दल रजिस्टर्ड हैं और उनकी सूची बनाकर क्या उनको सेवा के कार्यों में लगाया जायेगा?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, कितने युवक मंगल दल हैं और कितने महिला मंगल दल हैं यह तो खेल मंत्री जी बता देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि क्या आप ऐसी संस्थाओं को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अभी महिला समूह और महिला मंगल दलों के बारे में विचार चल रहा है और समूहों को कुछ कार्य दिया है और महिला मंगल दलों तक हमारे कर्मी पहुँचे और उनको योजना इत्यादि समझा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, लिखित उत्तर में कहा है कि अनुरक्षण का कार्य दिया है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, एक–एक करके बोलें तो मैं जवाब भी दूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, पहले तो माननीय मंत्री जी को बधाई देंगे कि यह प्रयास किया, नागरिकों को रखने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि महिला मंगल दलों और महिला समूहों को वनों की आग से रक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, तो निश्चित रूप से सरकार ने इसका कोई इम्पैक्ट सर्वे किया होगा, इसका परिणाम क्या निकला है? मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इन समूहों के माध्यम से कौन से वनाग्नि घटनाओं में दो, चार, दस–बीस दृष्टांत जहाँ पर इन समूहों के माध्यम से जंगलों की आग को रोकने के लिए कोई योगदान किया होगा, उसका कोई विवरण हो तो दे दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, महिला मंगल दल और महिला समूह इनको विशेष रूप से अभी तक कोई बात हुई है ऐसा नहीं है, मतलब वन ग्राम अग्नि सुरक्षा समिति जो गठित की गई है जिनका सीधे–सीधे अग्नि से सम्बन्ध है और ये महिला समूह विशेष रूप से चकराता क्षेत्र में मैंने बताया कि 15 गठित है, उनका सम्पर्क है और महिला वन ग्राम समितियों को गाँव वालों के सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि स्पष्ट क्या सुनना चाह रहे हैं? मान्यवर, यह आरोप निराधार है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हमने जो पूछा है उसी परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर नहीं आ पा रहा है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की। मैंने एक बहुत ही साधारण सा और स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि महिला समूहों को जो जिम्मेदारी सौंपी गयी है, इसमें मैं माननीय मंत्री जी, सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि यह समूह जंगलों की आग को रोकने में अभी तक कितने कारगर साबित हुए हैं, और किन–किन जगहों पर इन समूहों द्वारा वनाग्नि को रोका गया है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि समूहों को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, या नहीं। माननीय सदस्य ने पूछा है कितने स्थानों पर वन अग्नि को रोका गया है, यह मूल प्रश्न से बिल्कुल अलग है। मैं कल तक आपको इसकी लिखित सूचना दे दूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया था कि क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है? यदि हाँ तो क्या? इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का लिखित उत्तर आया है कि वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने के उद्देश्य को लेकर स्थानीय रूप से बने अनौपचारिक महिला समूहों, महिला मंगल दल आदि को वनाग्नि से वनों की रक्षा की जिम्मेदारी सहित वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं अनुरक्षण का कार्य दिया गया है। मान्यवर, मेरा जो सीधा–सीधा प्रश्न है। इन्होंने इसमें महिला समूहों का जिक्र किया है इसमें मंत्री जी बतायें कि कितने महिला समूहों का गठन अब तक किया गया है।

मान्यवर, जैसे कि माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी इसी सम्बन्ध में एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था। मान्यवर, मैं भी उसी सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितनी समितियों का गठन किया गया है और कितने महिला मंगल दल समूहों का गठन किया गया है? और इन के द्वारा अभी तक वनों में जो अग्निकाण्ड हुए हैं, उनको रोका गया है, यदि रोका गया है तो ऐसे कितने काण्डों को रोका गया है और किस क्षेत्र में रोका गया है? इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया है कि इसका लिखित जवाब कल तक दे देंगे। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने समूहों के लिए कहा है कि 13 महिला समूह गठित हुए हैं और बाकी जो समितियां हैं वह 400 गठित की हैं, इनमें पिछले वर्ष 40 लाख रुपया खर्च किया गया है जहां तक यह बात है कि कितने स्थानों पर अग्निकाण्ड को रोकने की बात है, इस सम्बन्ध में मैंने कह दिया है कि यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है इसका जवाब मैं लिखित रूप में दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न आ गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो 400 समितियों का गठन किया गया है वह महिला समूहों का गठन है या महिला मंगल दल की समितियों का गठन है आपने कहा 13 समितियाँ चकराता में गठित की गयी हैं। मान्यवर, 400 समितियों का गठन इससे अलग है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, 13 महिला समूहों का गठन किया है और 400 वन अग्नि सुरक्षा समितियों का गठन किया है। मान्यवर, महिला मंगल दल की भागीदारी इन्हीं में सुनिश्चित की है हर समितियों में दो महिलाओं को लिया गया है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर उत्तर स्पष्ट आ गया है, श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया है। क्योंकि सरकार इस विषय पर गम्भीर है, सरकार का यह विचार है कि महिलाओं की भागीदारी इस सारे कार्य में हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में स्पेसिफिक कहा कि 13 महिला समूह और 400 समितियाँ हमने गठित की हैं और महिला मंगल दलों से भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-9 पर माननीय सदस्य श्री विजय सिंह पंवार का नाम पुकारे जाने पर)

(कई माननीय सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम कल से प्रश्न ही नहीं लगाएंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सही जवाब माननीय मंत्री जी दे नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। (व्यवधान) मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

* 8. श्री गोपाल सिंह रावत-

तृतीय सोम के तारा0 18 में स्था0।

जनपद टिहरी अन्तर्गत प्रतापनगर क्षेत्र के पीपलडाली पुल क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित आवागमन

* 9. श्री विजय सिंह पंवार-

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रतापनगर क्षेत्र के आवागमन का एक मात्र पीपलडाली पुल, टिहरी बांध की झील के कारण हो रहे भू-धंसाव से खतरे की जद में आ गया है एवं पुल के पास 50 मीटर लम्बी सड़क एक मीटर से अधिक नीचे धंस गयी है?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पीपलडाली पुल के क्षतिग्रस्त होने पर प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों के आवागमन की क्या व्यवस्था होगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

पीपलडाली पुल का निर्माण पक्की चट्टान के ऊपर किया गया है। अतः इसके क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। पीपलडाली झूला पुल के पास 50 मी0 सड़क झील बनने के कारण हुए भू-स्खलन से धंस रही है, परन्तु मार्ग यातायात हेतु अनवरत रूप से उपलब्ध है।

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की टीम द्वारा उक्त क्षेत्र का फरवरी माह में निरीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है तथा आई0आई0टी रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा भी उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। विशेषज्ञों द्वारा भू-स्खलन रोकने के सुझाव दिये जाने के उपरान्त इनको क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर रहे हैं कि झील के कारण पीपल डाली पुल के बगल का मार्ग 50 मीटर धंस गया है। जिस दिन 15 फरवरी को मैंने प्रश्न लगाया, यह तब की स्थिति है। आज की स्थिति यह है कि उसकी लम्बाई कम से कम 100 मीटर बढ़ गयी है और गहराई भी 3 मीटर से ज्यादा हो गयी है। यह सीढ़ीनुमा रूप में धंस रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब वहां पर कोई घटना घटित होगी क्या तब ही वहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे या उससे पहले कोई विचार है, सरकार का, रास्ते को ठीक करने का?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि पीपलडाली में जो पुल बना है, उसको कोई खतरा नहीं है, उस पर यातायात चल रहा है, किन्तु पुल के बगल में सड़क 50 मीटर धंस चुकी है। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की टीम दो दिन, 13 और 14 फरवरी को निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर गयी और आई0आई0टी0 रुड़की के विशेषज्ञों की टीम वहाँ पर 4 मार्च को जानी थी। उस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार कोई कार्यवाही करेगी।

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 50 मीटर सड़क धंस गयी है और यातायात के लिए अनवरत रूप से चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि लोग अपनी-अपनी जान जोखिम में डाल कर उस सड़क में चल रहे हैं। क्या सर्वे टीम की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाएगी, जब तक सरकार की क्या जिम्मेदारी है? पिछली बार 165 एकर वायर, जो पुल के थे, वे सारे के सारे टूट गये थे और पुल की जो ड्राइंग है, वह पहले त्रिकोणात्मक थी लेकिन आज सड़क के धंसने से वह पुल बिल्कुल सीधा हो गया है। या तो सरकार उस क्षेत्र की सुरक्षा की गारन्टी ले या हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाय और यह वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी व भू-वैज्ञानिकों की सर्वेक्षण रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगी तथा कब तक कार्य स्थल में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीपलडाली में जो पुल बना है, उसको कोई खतरा अभी नहीं है। उससे आगे जो सड़क है, वह 50 मीटर धंस गयी है। मेरा कहना है कि वहाँ पर किसी प्रकार के जान–माल का कोई खतरा अभी नहीं है। फिर भी वहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए वहाँ पर विशेषज्ञों की टीम भेजी गयी है। 13 और 14 फरवरी को वहाँ पर टीम गयी है और उसके बाद आई0आई0टी0 रुड़की वाले वहाँ गये हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम कोई कार्यवाही करेंगे, वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था है, मदन नेगी के लिए रोप–वे बना हुआ है और जलाशय में आने–जाने के लिए बोट हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था तो की गई है और इस पीपलडाली पुल को कोई खतरा नहीं है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, टिहरी बाँध की झील के कारण जो अन्य स्थानों पर भी समस्या आ रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया आप इस पुल से सम्बन्धित प्रश्न करें।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, टिहरी बाँध की झील से सम्बन्धित प्रश्न है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में भू–धंसाव से रोड क्षतिग्रस्त हो रही है और अन्य नुकसान सम्पत्ति के हो रहे हैं। इसके साथ ही बिचली, गमरी आदि गाँव और प्रतापनगर में एक मात्र जो झूला मोटर पुल था, वह डूब गया है, तो इसके निर्माण के लिए सरकार कोई योजना बना रही है? इस क्षेत्र के माननीय विधायकों के साथ माननीय मंत्री जी की जो 13 सितम्बर को बैठक हुई थी, इसमें निर्णय लिया गया था कि 5 अक्टूबर तक इसको निस्तारित कर दिया जायेगा, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और इन्हें कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

इसका सीधा सम्बन्ध तो नहीं है, फिर भी आप बता दीजिये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूँ कि टिहरी बाँध के कारण जो जलाशय बना है, उससे गाँवों में भूस्खलन हो रहा है और खतरे में भी है, रोलाकोट है, म्यूंड है, यह गाँव निश्चित रूप से खतरे में है, इसके बारे में हमारा यह कहना है कि इसकी रिपोर्ट हमने भारत सरकार को भेजी है और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री को मैंने स्वयं पत्र लिखा है और इसके लिए 169 करोड़ रुपये की माँग की गई है, जैसे उप्पू गाँव है और आपने जैसे बताया कि गमरी गाँव है, लेकिन भारत सरकार के मंत्री जी ने 169 करोड़ में से मात्र 149 करोड़ की घोषणा की है, जिसमें से 25 करोड़ रुपया हमें प्राप्त हुआ है, जब भारत सरकार से इसके लिए धन उपलब्ध होगा, तब इस पर

काम किया जा सकेगा। मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ कि जैसे रोलाकोट है, इसका पुनर्वास किया जाना है और उनको वही सुविधायें मिलेंगी जो पहले विस्थापितों को मिली हैं। तो ऐसे गाँव चिन्हित किये जाने हैं।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मुआवजा देना, भू–धंसाव का मुआवजा और विस्थापन करने का काम तो राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। जो 12 सितम्बर को बैठक में तय किया गया था कि 5 अक्टूबर तक इसका निस्तारण कर लिया जायेगा। उस पर क्या कार्यवाही हो रही है? यह स्पेसिफिक प्रश्न मैं जानना चाह रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है, भारत सरकार से इसमें धन मिलता है और कुछ धन राज्य सरकार देती है, एक तरफा उत्तराखण्ड सरकार नहीं देगी।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया इस बात का परीक्षण करवा लीजिये कि जो यह पीपलढाली पुल है, उसका जो सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इस पर जल्दी से जल्दी मैं और माननीय विधायक जी इसकी संयुक्त जिम्मेदारी लेते हैं और शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट आ जाय।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, जो 5 अक्टूबर तक इस कार्य को निस्तारित करने का वादा सरकार द्वारा किया गया था तो उस सम्बन्ध में आज तक क्या किया गया है और यदि नहीं किया गया है तो कब तक कार्यवाही की जायेगी, यह स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या–9 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

टिहरी बाँध झील के किनारे भू-धँसाव होने से गाँव को खतरा

* 10. श्री विजय सिंह पंवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बाँध की झील के किनारे हो रहे भारी भू-धँसाव से कितने गाँवों को खतरा पैदा हो गया है?

क्या सरकार ग्राम नकोट, रौलाकोट, कंगसाली आदि गाँवों को पुनर्वास किये जाने की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार झील की परिधि पर स्थित ग्राम रौलाकोट, नकोट, भल्डगाँव, म्यूडा, कंगसाली (बरोला सहित) भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित किये गये हैं, जिनका विस्तृत सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्नगत गाँवों का पुनर्वास किया जाना भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग की विस्तृत रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार स्थित लक्सर रायबहादुर नारायण सिंह शुगर मिल से निकलने वाले हानिकारक तत्वों को रोकने के उपाय

* 11. हाजी तस्लीम अहमद-

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर जिला हरिद्वार की चिमनी से निकलने वाले धुऐं के साथ खोई कचरा हानिकारक तत्व निकल कर तहसील कचहरी परिसर में गिरने के फलस्वरूप कचहरी परिसर में कार्यरत व्यक्तियों व समीप रहने वाले परिवारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में मिल से निकलने वाले हानिकारक तत्वों को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय करेगी? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

मिल से निकलने वाले उत्सर्जन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं किन्तु अद्यतन जाँच के आधार पर मिल से निकलने वाले उत्सर्जन निर्धारित मानक/सीमा के अन्तर्गत पाये गये हैं।

मिल की चिमनी से निकलने वाले उत्सर्जन निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरिद्वार स्थित लालढांग ग्राम मिठीबेरी में अनुसूचित जाति की बस्ती में पेयजल आपूर्ति बन्द होने के कारण

* 12. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र–लालढांग जिला हरिद्वार के ग्राम पंचायत मिठीबेरी में पेयजल टंकी से अनुसूचित जाति की बस्ती में पानी की सप्लाई बन्द कर दी गई है।

यदि हाँ, तो बस्ती वालों को बिल भेजे जाने का औचित्य क्या है?

क्या सरकार अनुसूचित जाति की बस्ती में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

अनुसूचित जाति की बस्ती में पानी की सप्लाई बन्द नहीं की गई है। अपितु यह बस्ती रसूलपुर स्थित नलकूप की वितरण प्रणाली के अन्त में स्थित होने के कारण यहाँ पेयजल कम दबाव पर प्राप्त होता है तथा कुछ संयोजनों पर बहुत पेयजल प्राप्त नहीं होता।

जो उपभोक्ता संयोजन धारक हैं, तथा जिनके द्वारा संयोजन विच्छेदित नहीं कराये गये हैं उन्हीं को बिल भेजे जाते हैं तथा पेयजल उपलब्ध न होने की अवधि के बिलों को निरस्त कर दिया जाता है।

जी हाँ।

माह मई, 2008 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल निगम उत्तराखण्ड में वर्ष 2007 संविदा में नियुक्त सहायक व कनिष्ठ अभियन्ताओं की अनुबन्ध से पूर्व सेवा समाप्ति के कारण

* 13. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल निगम उत्तराखण्ड में कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के पद पर संविदा में वर्ष 2007 में कौन लोग तैनात थे?

उनमें से किस–किस को नई भर्ती होने के बाद भी वर्ष 2008 में पुनः संविदा पर रखा गया है?

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि कुछ डिग्री होल्डर्स ने 09 वर्षों तक सहायक अभियन्ता (संविदा) पर कार्य किया तथा प्रतियोगिता उत्तीर्ण करने तथा सहायक अभियन्ता की रिक्तियों के पश्चात् भी उनकी सेवायें अनुबन्ध पूर्ण करने से पूर्व ही समाप्त कर दी गई?

क्या यह सत्य है कि इन्हें कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्य करने को विवश किया गया?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विभागीय कार्मिकों के हितार्थ कोई कार्यवाही करेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वर्ष 2007 में श्री सुशील चन्द्र सेमल्टी, श्री ताराचन्द्र शर्मा एवं श्री कृष्ण कुमार कण्डवाल, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) तथा श्री संजय रावत, श्री उमेश चन्द्र सिंह, श्री अशोक नारायण, श्री अमित कुमार सिंह, श्री एन0एस0 खान, श्री अजिबुल हसन खान, श्री संजय कुमार जैन एवं श्री सन्तोष कुमार उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (सिविल) संविदा पर कार्यरत थे जिनमें से श्री एन0एस0 खान, सहायक अभियन्ता दिनाँक 22–07–2007 को त्याग–पत्र देकर चले गये।

वर्ष 2008 में श्री सुशील चन्द्र सेमल्टी, श्री ताराचन्द्र शर्मा एवं श्री कृष्ण कुमार कण्डवाल, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) तथा श्री संजय रावत, श्री उमेश चन्द्र सिंह, श्री अशोक नारायण, श्री अमित कुमार सिंह एवं श्री अजिबुल हसन खान सहायक अभियन्ता (सिविल) को पुनः संविदा पर रखा गया है।

संविदा पर नियुक्त सहायक अभियन्ताओं में से 03 सहायक अभियन्ताओं ने विभागीय परीक्षा में प्रतिभाग किया परन्तु इस परीक्षा में उनका चयन नहीं हो पाया।

सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद भर जाने के कारण निर्धारित शर्तों के तहत उनकी सेवायें दिनांक 10-11-2007 से समाप्त की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

* 14. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

तृतीय बुधवार तक स्थगित।

उत्तराखण्ड में मोटर वाहनों पर भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स निर्धारण

* 15. श्री ओम गोपाल–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में परिचालित सभी प्रकार के मोटर वाहनों में लगने वाले सभी प्रकार के टैक्स अविभाजित उ0प्र0 में लगने वाले टैक्सों के बराबर ही है?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह भी है कि उत्तराखण्ड प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल उ0प्र0 की तुलना में काफी कम है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर किए जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 दिनॉक 01-08-2003 से प्रवृत्त हुआ है।

जी हाँ।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड में विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा करने का आदेश का पालन

1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के विकलांग लोगों को निःशुल्क यात्रा करने का आदेश निर्गत किया गया है?

यदि हाँ, तो उस आदेश की प्रति प्रत्येक परिचालक तक परिवहन निगम को प्रत्येक डिपो में उपलब्ध कराई गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आबादी क्षेत्र में वृक्षों को काटने की अनुमति सम्बन्धी अधिकार फॉरेस्ट एक्ट को समाप्त कर राजस्व विभाग को हस्तांतरण

2. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के आबादी क्षेत्र की भूमि के वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान करने हेतु फॉरेस्ट एक्ट को समाप्त कर अनुमति प्रदान करने का पूरा अधिकार राजस्व विभाग को हस्तांतरण करने पर विचार किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छूट प्रजातियों को छोड़कर अन्य प्रजातियों के वृक्षों के अनियंत्रित पातन को विनियमित करने की व्यवस्था के लिये, उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) उत्तराखण्ड में लागू है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इस अधिनियम के प्राविधानों की वर्तमान समय में भी आवश्यकता बनी हुई है ताकि वृक्षों के अनियमित एवं अनियंत्रित पातन की सम्भावना को कम किया जा सके।

प्रदेश के जिलेवार पेयजल योजनाओं में कार्यरत स्थायी व पार्ट टाईम फिटरों की संख्या एवं मानदेय

3. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के जिलेवार कितनी पेयजल योजनाओं में स्थायी तथा पार्ट टाईम फिटर कार्यरत हैं एवं पार्ट टाईम फिटर को मानदेय के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है?

क्या सरकार इन कर्मचारियों की मानदेय की राशि में वृद्धि करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

विभाग में कोई पार्ट टाईम फिटर कार्यरत नहीं है। प्रदेश में जिलेवार पेयजल योजनाओं पर कार्यरत स्थायी फिटरों का विवरण निम्नवत: है:–

क्र0 सं0	जनपद	कुल योजनाओं की संख्या	कुल स्थायी फिटरों की संख्या
1.	देहरादून	311	25
2.	पौढ़ी	798	12
3.	चमोली	535	4
4.	रुद्रप्रयाग	334	3
5.	टिहरी	784	12
6.	उत्तरकाशी	487	6
7.	हरिद्वार	22	4
8.	नैनीताल	441	19
9.	ऊधमसिंह नगर	39	4
10.	अल्मोड़ा	741	5
11.	बागेश्वर	322	5
12.	चम्पावत	342	3
13.	पिथौरागढ़	725	21
	योग–	5883	123

विभाग में कोई पार्ट टाईम फिटर कार्यरत नहीं है, इसलिए मानदेय देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अल्मोड़ा अन्तर्गत द्वाराहाट के ग्राम डाक बिन्ता, कासीना, बसमीढ़ा, ढाईगढ़ा पेयजल योजना की अद्यतन स्थिति

4. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डाक बिन्ता, कासीना, बसमीढ़ा, ढाईगढ़ा पेयजल योजना की अद्यतन स्थिति क्या है और कब तक योजना से उक्त क्षेत्रवासियों को पेयजल की सुविधा दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डाक बिन्ता, कासीना, बसमीढ़ा एवं ढाईगढ़ा ग्राम डाक बिन्ता पेयजल योजना से लाभान्वित है। इन ग्रामों में वर्तमान में सामान्य रूप से जलापूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर स्थित जसपुर में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में नलकूप लगाने की योजना

5. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर की जसपुर विधान सभा में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत चयनित ग्राम बाबरखेड़ा के मझरे श्यामनगर, ग्राम बहेड़ी, गुलरगौजी व केसरीपुर में सरकार की नलकूप लगाने की योजना विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

ग्राम पंचायत बाबरखेड़ा के मझरे श्यामनगर, ग्राम बहेड़ी, ग्राम गुलरगौजी तथा ग्राम केसरीपुर में चार नलकूपों के निर्माण की योजना बनाई गई है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। ग्राम बाबरखेड़ा में नलकूप निर्माण की योजना तैयार कर दी है, जो जनपद ऊधमसिंह नगर में 10 नलकूप निर्माण की योजना लागत रु0 258.22 लाख में सम्मिलित की गयी है, इस योजना को नाबार्ड से वित्त पोषित कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के खटीमा नगर में नये बस अड्डे का निर्माण

6. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा नगर में बस अड्डे की स्थिति अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है?

यदि हाँ, तो क्या नये बस अड्डे के निर्माण कार्य कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

खटीमा में बस स्टेशन के निर्माण का कार्य पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (P.P.P.) के आधार पर कराये जाने की योजना निगम के विचाराधीन है।

सभी वांछित औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर।

उपरोक्तानुसार।

ऊधमसिंह नगर के दुगाड़ी किलपुरा खटीमा एवं सुरई रेंजों में जंगली जानवरों द्वारा मारे गये आश्रितों की संख्या व मुआवजा राशि

7. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में तराई पूर्वी वन प्रभाग के दुगाड़ी, किलपुरा खटीमा एवं सुरई रेंजों में गत् 5 वर्षों से शेर एवं हाथियों द्वारा कितने महिला एवं पुरूषों को घायल/ मार दिया गया है?

क्या आश्रितों को मुआवजा धनराशि प्रदान की जा चुकी है/मिलनी शेष है?

क्या सरकार उक्त रेंजों में जंगल के किनारे निवास करने वाली जनता को जंगली जानवरों से जानमाल की सुरक्षा हेतु कोई योजना सरकार बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

तराई पूर्वी वन प्रभाग के किलपुरा, खटीमा व सुरई रेंज में बाघ एवं हाथियों द्वारा 01 महिला एवं 12 पुरूषों को घायल किया गया है तथा 05 महिला एवं 02 पुरूषों को मारा गया है। चम्पावत वन प्रभाग के दोगाड़ी रेंज में ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

समस्त घायलों को तथा मारे गये 02 पुरूष व 02 महिलाओं के आश्रितों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा चुका है तथा 03 महिलाओं के आश्रितों को मुआवजा देने की कार्यवाही गतिमान है।

जंगल से लगे क्षेत्रों में वन कर्मियों द्वारा विशेष गश्त सहित जंगली जानवरों से जानमाल की सुरक्षा हेतु जनजागरूकता बढ़ाने सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं, तथा किलपुरा रेंज में सोलर फैंसिंग की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजीव गाँधी पेयजल योजना मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि

8. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महॅ भाई"–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजीव गाँधी पेयजल योजना मिशन शुरू किया गया है?

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार प्रदेश में प्रत्येक पंचायत को कितना धन उपलब्ध करवाया गया है?

क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वन विभाग में अनुसूचित जाति की समस्त श्रेणियों के रिक्त पदों की संख्या व नियुक्तियों पर विचार

9. श्री राजेश जुवांठा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के वन विभाग में अनुसूचित जाति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं क्या सरकार इन पदों के नियुक्तियों पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

वन विभाग में अनुसूचित जाति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है–

प्रथम श्रेणी	–	02
द्वितीय श्रेणी	–	29
तृतीय श्रेणी	–	112
चतुर्थ श्रेणी	–	292

सरकार इन पदों की नियुक्ति पर विचार कर रही है।

नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के समस्त श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या व नियुक्ति पर विचार

10. श्री राजेश जुवांठा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के प्रथम श्रेणी में 10, द्वितीय श्रेणी में 56 एवं तृतीय श्रेणी में 374 पद रिक्त हैं, चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत कोई पद रिक्त नहीं है।

विभागीय संरचनात्मक ढाँचा स्वीकृत होने के पश्चात् तदनुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून के राजपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित सीवर योजना तथा लाभान्वित क्षेत्र

11. श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के राजपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में प्रस्तावित सीवर योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

क्या राजपुर क्षेत्र में अन्य कोई सीवर योजना भी प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो किन-किन क्षेत्रों में इस योजना का लाभ पहुँचेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रश्नगत योजना को पूर्ण किया जाना भारत सरकार से योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जी हाँ।

महानगर सीमान्तर्गत समस्त क्षेत्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के मोहनखाल से जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (तुंगनाथ) तक स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण

12. श्रीमती आशा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन क्षेत्रान्तर्गत जनपद चमोली के मोहनखाल से जनपद-रुद्रप्रयाग के चोपता (तुंगनाथ) तक मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति है तथा कितने कि०मी० मोटर-मार्ग का निर्माण किया जा चुका है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

यह मार्ग वन मार्ग है, न कि मोटर मार्ग।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग अन्तर्गत जिलेवार चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्ति पर विचार

13. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के वन विभाग के अन्तर्गत जिलेवार चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा इन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियाँ कर ली जायेंगी?

श्री बंशीधर भगत–

वन विभाग के अन्तर्गत जिलेवार चतुर्थ श्रेणी के निम्न पद रिक्त हैं:–

जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या
देहरादून	236
पौड़ी	143
उत्तरकाशी	261
टिहरी	69
चमोली	121
रुद्रप्रयाग	0
हरिद्वार	44
नैनीताल	683
ऊधमसिंह नगर	0
अल्मोड़ा	87
बागेश्वर	11
पिथौरागढ़	57
चम्पावत	53

उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार यथाशीघ्र की जायेगी।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत द्वाराहाट स्थित रामगंगा नदी से तड़ागताल से मासी तक भू–कटाव की रोकथाम

14. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तड़ागताल से मासी (पूर्वी व पश्चिमी तट) क्षेत्र तक रामगंगा नदी द्वारा विगत वर्ष से लगातार भू–कटाव हो रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस भू–कटाव के रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र में तटबन्ध बनायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

कतिपय स्थानों पर छुटपुट कटाव हो रहा है।

सर्वेक्षण के उपरान्त, आवश्यकतानुसार कटाव निरोधक योजनायें बनायी जायेंगी।

योजना उपादेय होने पर स्वीकृत की जायेगी तथा धन की उपलब्धता पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट नगर पंचायत में सीवरेज योजना की कार्य प्रगति

15. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट नगर पंचायत में सीवरेज योजना बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति क्या है और कब तक सीवरेज का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

मास्टर प्लानिंग के आधार पर प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरान्त सीवरेज के कार्य का पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मनेरी भाली परियोजना जोशियाड़ा के अपस्ट्रीम बैराज में कोरवॉल न बनाये जाने के कारण

16. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण बैराज जोशियाड़ा के अपस्ट्रीम में पूर्व निर्मित तटबन्ध में कोई कोरवॉल नहीं बनायी गयी है?

क्या यह सत्य है कि बिना कोरवॉल के 1108 मीटर जल स्तर नहीं रखा जा सकता है?

यदि हाँ, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

कोरवॉल नाम से किसी प्रकार की दीवार नहीं होती है वरन टो वॉल होती है यह उल्लेखनीय है कि मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण जोशीयाड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में पूर्व निर्मित तटबन्ध के आगे कंक्रीट की टो वॉल तथा लान्चिंग एप्रेन के रूप में कंक्रीट के ब्लॉक की दो पंक्तियाँ निर्मित हैं।

टो वॉल के ऊपर से तटबन्ध पर कंक्रीट की सीढ़ियां बनायी जा रही हैं तथा इन सीढ़ियों के 1109 मीटर तक निर्माण होने के उपरान्त जलाशय का स्तर 1108 मीटर तक रखा जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बाँध झील के किनारे भू-स्खलन से बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन योजना

17. श्री विजय सिंह पंवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में टिहरी बाँध झील के किनारे हो रहे भारी भूस्खलन से निपटने के लिये सरकार की कोई आपदा प्रबन्धन योजना है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

टिहरी बाँध की झील के किनारे हो रहे भू-स्खलन से निपटने के लिये आपदा प्रबन्धन योजना गठन की कार्यवाही प्रचलित है।

आपदा प्रबन्धन योजना के लिये गठित समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग की अध्ययन रिपोर्ट के बाद योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बाँध निर्माण से प्रभावित प्रतापनगर वि0स0 क्षेत्र के निवासियों के आवागमन हेतु निर्मित पुलों की स्थति

18. श्री विजय सिंह पंवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बाँध के निर्माण से प्रभावित प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के निवासियों के आवागमन हेतु निर्मित कितने पुल बाँध की झील में समा गए एवं उनके स्थान पर कितने वैकल्पिक पुल बनाए गये, निर्मित/निर्माणाधीन पुलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हाँ।

टिहरी बाँध के निर्माण से प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के निवासियों के आवागमन हेतु कुल 9 पुल बाँध की झील में समा गये हैं एवं वर्तमान में उनके स्थान पर हल्का वाहन सेतु पीपलडाली एवं स्यॉसू यातायात हेतु खुला है।

भारी वाहन सेतु डोबरा (440 मी0) का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं हल्का वाहन सेतु घोंटी (220 मी0) पैदल झूला पुल हेतु अनुबन्ध बनाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु जन प्रतिनिधियों की मांग पर इस सेतु को हल्का वाहन झूला पुल के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी कार्यवाही गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त चिन्यालीसौड़ स्थित पुल के टूटने के फलस्वरूप आवागमन हेतु अन्यत्र पुल के निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्राक्कलन गठित किया गया है।

वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कोटद्वार डिपो के कार्याशाला हेतु क्रय की गई भूमि का प्रयोजन

19–श्री विजय सिंह पंवार–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, कोटद्वार डिपो के कार्यशाला हेतु परिवहन निगम द्वारा नगर पालिका कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल से दिनांक 08–11–1981 को पच्चीस बीघा भूमि ग्राम सिताबपुर (देवी रोड) पट्टी–सुखरौ, तहसील–कोटद्वार में सात लाख पचास हजार 60 में क्रय की गयी थी और उसका दा0खा0 दिनांक 4–09–1989 को तहसीलदार कोटद्वार द्वारा स्वीकृत किया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त भूमि को माह जनवरी सन् 2008 से परिवहन निगम द्वारा किस प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा रहा है ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

प्रश्नगत भूमि को परिवहन निगम द्वारा किसी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। क्योंकि भूमि नगर पालिका को वापस की जा चुकी है।

जनपद उत्तरकाशी के गाजणा क्षेत्र में जंगली सूअरों से हुई फसल नुकसान का मुआवजा

20. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा प्रखण्ड के गाजणा क्षेत्र में जंगली सूअरों द्वारा काश्तकारों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया गया है?

क्या सरकार प्रभावित काश्तकारों को फसल का उचित मुआवजा प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

मुआवजा भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में लम्बित वन भूमि से सम्बन्धित विकास कार्य

21. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास कार्यों से सम्बन्धित कुल कितने वन भूमि से सम्बन्धित प्रकरण स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी देहरादून तथा लखनऊ में लम्बित है?

लम्बित प्रकरणों पर कब तक स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं हेतु 01 (एक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय (वन विभाग) देहरादून के स्तर पर तथा 11 (ग्यारह) प्रकरण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के स्तर पर लम्बित हैं।

नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत इन्द्रावती गाड के दोनों ओर स्थित पाँच ग्रामों की बाढ सुरक्षा हेतु स्वीकृत कार्य योजना

22. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत इन्द्रावती गाड के दोनों ओर स्थित 5 ग्रामों की बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 82.80 लाख रुपये शासनादेश सं0 3972/II-2006-4(59)03 दिनांक 11-10-2006 के द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, यदि हाँ, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु धन की उपलब्धता पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में पानी का जलस्तर नीचे गिरने से ब्लॉक भगवानपुर में प्रभावित सिंचाई हेतु योजना

23. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में पानी का जलस्तर बहुत नीचे गिर गया है?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या यह सत्य है कि जल स्तर के लगातार नीचे गिरने के कारण सिंचाई की व्यवस्था ब्लॉक भगवानपुर में चौपट हो गयी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिये कोई ठोस योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद हरिद्वार में पानी के जलस्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है।

भू–गर्भ जल स्तर में गिरावट के मुख्य कारण विभिन्न परियोजनाओं के संस्थानों एवं कृषकों के निजी जलकूपों द्वारा भू–गर्भ जल का दोहन आदि का होना है।

जी नहीं।

सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, जिसके फलस्वरूप गत चार वर्षों की औसतन सींच खरीफ एवं रबी में क्रमशः 801 हैक्टेयर एवं 799 हैक्टेयर की तुलना में इस वर्ष क्रमशः 835 हैक्टेयर एवं 1,517 हैक्टेयर सींच हुई है।

क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यकतानुसार नलकूपों के निर्माण की योजनायें तैयार की गयी हैं। योजनाओं का निर्माण उनकी स्वीकृति तथा वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

24. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

तृतीय बुधवार तक स्थगित।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर स्थित धाड़ क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नगत पत्र पर कार्यवाही

25. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 22-12-2007 जो धाड़ क्षेत्र ब्लॉक भगवानपुर जनपद हरिद्वार में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ?

यदि हाँ, तो प्रश्नगत पत्र के अभी तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार उक्त पत्र पर त्वरित कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत 37 ग्रामों के लिये 58 नलकूप बनाने की योजना तैयार कर दी गयी है, जो नाबार्ड से वित्त पोषित करायी जानी प्रस्तावित है।

जी हाँ।

योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

26. श्री सुरेन्द्र राकेश–

तृतीय बुधवार तक स्थगित।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ब्लॉक धाड़ क्षेत्र में पेयजल के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

27. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 22-12-07 जो धाड़ ब्लॉक भगवानपुर जनपद हरिद्वार में पेयजल के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 25 हैण्डपम्प लगायेजा चुके हैं तथा 4 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री जोगाराम टम्टा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री गगन सिंह रजवार, श्री खजान दास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री बलवीर सिंह नेगी तथा श्रीमती आशा नौटियाल की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री गगन सिंह रजवार, श्री खजान दास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री बलवीर सिंह नेगी तथा श्रीमती आशा नौटियाल की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण, जनपद अल्मोड़ा के तीन महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तीन महाविद्यालय स्थित हैं, परन्तु आज के इस विज्ञान के युग में एक भी महाविद्यालय में विज्ञान का विषय संचालित न होने के कारण मजबूरन विज्ञान विषय के छात्रों को कला वर्ग में अध्ययन करना पड़ रहा है। इस कारण सभी छात्रों एवं अभिभावकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वह कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत स्याल्दे व मानिला महाविद्यालयों में विज्ञान विषय खोला जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला स्थित न्यू सुवा, बौगलिंग, दाड़िमपाटा, चिचिड़ा, तीजम कनार, रौड़ा, पनियार, सुवा के प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुम्मा के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गगन सिंह–

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के निम्न प्राथमिक विद्यालयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्राथमिक विद्यालय, न्यू–भवनहीन, प्राथमिक पाठशाला बौगलिंग–भवन जीर्ण–शीर्ण, प्राथमिक पाठशाला सिर्खा–भवन जीर्ण–शीर्ण, प्राथमिक पाठशाला दाड़िमपाटा–भवन जीर्ण–शीर्ण, प्राथमिक पाठशाला चिचिड़ा–भवन जीर्ण–शीर्ण, प्राथमिक पाठशाला तीजम कनार–भवन जीर्ण–शीर्ण, प्राथमिक पाठशाला रौड़ा–भवन जीर्ण–शीर्ण, प्राथमिक पाठशाला पनियार–भवन जीर्ण–शीर्ण, प्राथमिक पाठशाला सुवा–भवन जीर्ण–शीर्ण, राजकीय उच्चतर विद्यालय जुम्मा–भवन जीर्ण–शीर्ण।

उपरोक्त विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य किया जाना नितान्त आवश्कीय है। यह प्रश्न अत्यधिक लोक महत्व का है।

विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थत्युड़–कैम्पटी मोटर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री खजान दास–

मान्यवर, मेरी विधान सभा धनौल्टी के अन्तर्गत लम्बे समय से थत्युड़–कैम्पटी मोटर मार्ग वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। किन्तु अब तक भी उक्त मोटर मार्ग को वित्तीय स्वीकृति प्रदान नही की गयी है। उल्लेखनीय है कि थत्युड़–कैम्पटी मोटर मार्ग ब्लाक मुख्यालय थत्युड़ को छैज्यूला पट्टी की लगभग 14 ग्राम पंचायतों से अधिक आबादी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। यही नहीं मसूरी जैसी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक नगरी की तलहटी में बसा उक्त क्षेत्र जिससे सम्पूर्ण मसूरी को पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, को अब तक भी सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकता से वंचित रखा जाना खेदजनक है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र में प्रसव पीड़ा एवं अन्य प्रकार की बीमारियों तथा दुर्घटना की स्थिति में मरीज को मसूरी पहुँचाने मे कई घंटे लग जाते हैं तथा रास्ते में ही कई लोगों को अल्प मृत्यु का शिकार होना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्रता से कार्यवाही की मांग की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तिमलाणी भृगुखाल मोटर मार्ग निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तिमलाणी भृगुखाल मोटर मार्ग स्वीकृत है। इस मार्ग का प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ हो गया था, लेकिन विगत तीन वर्षों से उपरोक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यह मार्ग कई ग्रामों को मुख्य मार्ग, विकास खण्ड मुख्यालय एवं तहसील को जोड़ने का कार्य करता है एवं कई गाँवों को यातायात सुविधा इस मार्ग से मिलती है, लेकिन लोक निर्माण विभाग इस मार्ग पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र की जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त है और बार-बार आन्दोलन के माध्यम से इस मार्ग के निर्माण की माँग कर रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावी कार्यवाही की माँग करती हूँ।

जनपद हरिद्वार में बी०पी०एल० सर्वे में छूटे बी०पी०एल० के पात्रों को सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश-

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद में सन् 2002 में हुए बी०पी०एल० सर्वे में पात्रतम व्यक्तियों को बी०पी०एल० सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। विशेषतः ब्लाक भगवानपुर जनपद हरिद्वार में ऐसा त्रुटिपूर्ण सर्वे हुआ है। जिसमें पात्र गरीब व्यक्ति तो बी०पी०एल० सूची में सम्मिलित नहीं है। बल्कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया है जो सरकारी नौकरी करते हैं या बड़े किसान हैं। जबकि गरीब पात्र व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कई गाँव के लोगों ने लिखित में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को गलत/त्रुटिपूर्ण सर्वे की जानकारी दी एवं पुनः सर्वे कराकर गरीब पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित करने की प्रार्थना की है। लेकिन पुनः संशोधित सर्वे जनपद हरिद्वार में अभी तक नहीं किया गया है। जिस कारण से गरीब/पात्रतम व्यक्तियों को सरकारी योजना जैसे इन्दिरा आवास, दीनदयाल उपाध्याय आवास तथा अन्य बी०पी०एल० राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिद्वार जनपद की गरीब जनता परेशान है। इसलिए हरिद्वार जनपद में छूटे पात्रो को बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित करने के लिए पुनः सर्वे कराकर छूटे बी0पी0एल0 के पात्रों को सम्मिलित करने हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर कार्यवाही की माँ करता हूँ।]

अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूल को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, विगत वर्षों में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूल को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने की मांग चली आ रही है। जहाँ आज तक सरकार पठन–पाठन की सुविधा नहीं दे पायी, वहीं दूर–दराज के क्षेत्रो में इन अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अपनी सेवा देकर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इनके योगदान को भुलाया नही जा सकता है, यदि कई स्थानों में विद्यालय नहीं होते तो उस क्षेत्र के बच्चे कक्षा 8 तथा कक्षा 10 की पढाई कर ही नही सकते थे। पूर्व सरकार के समय में उक्त अशासकीय विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान की सूची में रखने सम्बन्धी प्रकरण लम्बित है। अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला होने के कारण ही इसे सदन के सम्मुख रखना पड रहा है।

अतः उक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये इन विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने के निर्देश देने की मांग करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधान सभा की ग्राम पंचायत सिल्ला ब्राह्मण गाँव में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधान सभा की ग्राम पंचायत सिल्ला ब्राह्मण गाँव में पेयजल समस्या के प्रति लाना चाहता हूँ। इस ग्राम सभा के अन्तर्गत ब्राह्मण गाँव अनुसूचित जाति बस्ती गोलकडा, डुँग्रा, झगरेठी गाँव जो भारी पेयजल समस्या से त्रस्त है। ग्रामीणों को साल भर शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। पेयजल निगम रुद्रप्रयाग द्वारा योजना का आगणन प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को अनुमानित लागत 94.54 लाख का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष 2006 को भेजा गया था, लेकिन अभी तक वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शासन से पेयजल योजना को शीघ्र वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, तो ग्रामीण जनान्दोलन पर उतारू हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग की जाती है।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या-5 पर माननीय सभापति, आश्वासन समिति श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति जी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महँ भाई"-

मान्यवर, मेरी एक 68 की सूचना मद संख्या-6 में है। जिसको एक महीना हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

श्री महेन्द्र सिंह माहरा, सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद चम्पावत के तहसील भवन पार्टी के उद्‌घाटन की सूचना प्रशासन एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें न दिये जाने पर उनके विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 22 जनवरी, 2008 को प्राप्त हुई थी। यह कल आ जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महँ भाई"-

मान्यवर, इसका उत्तर आयेगा?

श्री अध्यक्ष-

इस पर विनिश्चय आयेगा।

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 मार्च, 2008 की बैठक में दिनांक 13 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

12 मार्च, 2008,
(बुधवार)

1-विधायी कार्य।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

(1) उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)

2. वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

13 मार्च, 2008
(गुरुवार) <u>विभागवार अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान:–</u>

1. अनुदान संख्या– 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. अनुदान संख्या– 20 सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग।
3. अनुदान संख्या– 13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग।
4. अनुदान संख्या– 27 वन विभाग।
5. अनुदान संख्या– 24 परिवहन विभाग।
6. अनुदान संख्या– 19 ग्राम्य विकास विभाग।
7. अनुदान संख्या– 18 सहकारिता विभाग।
8. अनुदान संख्या– 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग।
9. अनुदान संख्या– 25 खाद्य विभाग।
10. अनुदान संख्या– 17 कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग।
11. अनुदान संख्या– 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग।
12. अनुदान संख्या– 08 आबकारी विभाग।
13. अनुदान संख्या– 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग।
14. अनुदान संख्या– 16 श्रम एवं रोजगार विभाग।
15. अनुदान संख्या– 26 पर्यटन विभाग।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम-58 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय श्री हरिदास, दूसरी सूचना माननीय श्री हरिदास एवं माननीय चौ0 यशवीर सिंह, तीसरी सूचना माननीय श्री शहजाद, चौथी सूचना माननीय श्री गोपाल सिंह राणा, पाँचवीं सूचना माननीय श्री करन मेहरा, छठी सूचना माननीय श्री तिलक राज बेहड़, सातवीं सूचना माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश, हाजी तस्लीम अहमद तथा काजी मौ0 निजामुद्दीन, आठवीं सूचना श्री नारायण पाल तथा नौवीं सूचना माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन की, कुल 09 सूचना प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश हाजी तस्लीम अहमद तथा काजी मौ0 निजामुद्दीन व चौ0 यशवीर सिंह, इसमें श्री हरिदास की सूचना अन्य विषय पर भी प्राप्त हुई हैं, इसलिए उन्हें इस विषय में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, माननीय श्री तिलक राज बेहड़ की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। इसके अतिरिक्त माननीय श्री गोपाल सिंह राणा की अनुसूचित जाति-जनजातियाँ और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार और वन भूमि पर निवास करने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने सम्बन्धित सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-58 में मेरी भी एक महत्वपूर्ण सूचना है मेरा अनुरोध है कि उसे भी ले लिया जाए तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत ही प्राथमिकता के आधार पर सूचना ली जाती है।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जनपद हरिद्वार में अत्यधिक पाला पड़ने के कारण किसानों का गन्ना, सब्जी एवं आम के बाग की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। गन्ना बोने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए बीज भी नहीं बचा है। पाला पड़ने के कारण किसानों के गन्ने की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है किसानों को गन्ने का बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार में किसान व पशुपालक काफी परेशान हैं। आम के बाग काटने पड़ रहे हैं, वे पूरी तरह से नष्ट हो गये हैं, उनमें झब्बा रोग लग गया है। आज जनपद हरिद्वार का किसान भुखमरी के कगार पर है। जनपद के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान पालावृष्टि से होने वाले नुकसान की ओर आकर्षित करता हूँ और माँग करता हूँ कि सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर नियम–58 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष–

सूचना नम्बर सात श्री सुरेन्द्र राकेश और माननीय हाजी तस्लीम अहमद तथा माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन की इसी विषय पर ही है। इसी में आपको सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने की अनुमति दी उसके लिए आपका धन्यवाद, माननीय सदस्य श्री हरिदास जी ने पाले के सम्बन्ध में अपने शब्द सदन में रखे। मैं अपने को भी उसी पर सम्बद्ध करता हूँ और सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद हरिद्वार में दिसम्बर माह में इतना भयंकर पाला पड़ा जिसके कारण बाग, सब्जी, गन्ना आदि फसलें हैं वह जल कर नष्ट हो गयी हैं और हरिद्वार जनपद के किसान आज मजबूर होकर लाचार होकर भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में, मैंने डी0एम0 हरिद्वार को 27 दिसम्बर, 2007 एक पत्र प्रेषित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस दिन एक फैक्स किया। साथ ही इस प्रकरण पर दिनांक 09 जनवरी, 2008 को गढ़वाल मण्डल के आयुक्त से भी इस सम्बन्ध में एक पत्र प्रेषित किया गया और 14 फरवरी को मैं और माननीय शहजाद जी माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिले। इस गम्भीर समस्याओं के बारे में अवगत कराया कि हरिद्वार जनपद के किसान आज मजबूर, लाचार और परेशान हैं और भुखमरी के कगार पर पहुँच रहे हैं।

16 तारीख को महामहिम श्री राज्यपाल जी के आगमन पर जब हरिद्वार जनपद के जनप्रतिनिधियों को मिलने का अवसर दिया तो मैं, माननीय मौ0 शहजाद जी और सभी सदस्यगण ने इस समस्या के बारे में उन्हें अवगत कराया। किसानों की इस गम्भीर समस्या के बारे में अवगत कराया गया। आज हरिद्वार जनपद की यह समस्या है कि जो बाग आज से 20 साल पहले लगाये गये थे वे पाले से जलकर नष्ट

हो गये। आज स्थिति इसलिए गम्भीर है और सदन को इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो किसान, जिनके पेड़ जलकर नष्ट हो गये हैं, आज किसान इन पेड़ों को काटना चाहता भी है तो वह नहीं काट सकता है। वहाँ की पुलिस व वन विभाग काटने की अनुमति नहीं दे रहा है। एक तरफ तो कुदरत की मार है तो दूसरी तरफ पुलिस की मार, जब दो चार किसानों ने उसको काटने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें थाने में बन्द कर दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर विषय है और सदन में इसलिए चर्चा करायी जानी आवश्यक है कि किसान यदि बरबादी के कगार पर पहुँचेगा तो पूरा उत्तराखण्ड का नुकसान होगा। आज हरिद्वार का किसान बरबादी के मोड़ पर पहुँच चुका है। आज जो किसान नदी में सब्जी लगाते हैं जिसको हम अपनी भाषा में पलेज कहते हैं जिसके अन्तर्गत खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, टमाटर, मटर, आलू आदि जो फसलें किसान वहाँ का पैदा करते हैं वे फसल जल कर नष्ट हो गयी हैं और वहाँ का किसान और मजदूर, जिसने वहाँ की जमीन किराये पर ली है। अपनी फसल बोयी थी माननीय अध्यक्ष जी, वह जलकर नष्ट हो गयी है। इसलिए हरिद्वार जनपद का किसान बहुत परेशान एवं लाचार हो गया है। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए जो नुकसान किसानों का हुआ है उसकी भरपाई भी की जाय। यह भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर गन्ना मंत्री जी भी बैठे हैं और उसी जनपद के रहने वाले हैं। हो सकता है उनकी जानकारी में यह समस्या न हो, क्योंकि वे आज कल देहरादून में ज्यादा रहते हैं और आबकारी विभाग में ज्यादा डूबे रहते हैं (हँसी)। इसलिए मैं अपनी पीड़ा और किसानों की पीड़ा से अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, यदि आप हरिद्वार जिले के किसी गाँव में गये थे, चाहे भगवानपुर ब्लाक से लेकर खानपुर ब्लाक तक और प्रत्येक ब्लाक का किसान हो, गन्ना आज जलकर पाती बन गया है। किसान इतना मजबूर है कि जो मजदूर चारे व घास के चक्कर में आते थे उसे काटने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि चारा और घास नहीं रहा है और उस गन्ने में दुर्गन्ध आने लग गयी है। दुर्गन्ध पैदा होने से आने वाले समय में गन्ना बोने की स्थिति में भी वहाँ का किसान नहीं है इसलिए वहाँ के किसानों के बारे में सदन का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि इस बार वहाँ का गन्ना बरबाद हो ही चुका है और आने वाले समय में उसके पास बीज भी नहीं है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वहाँ के किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका एक सर्वेक्षण जिलाधिकारी हरिद्वार ने कराया है वह सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन को आ चुकी है। मान्यवर, इसके बारे में एक संयुक्त सर्वेक्षण टीम गठित की गयी और पूरे जनपद का सर्वेक्षण किया गया। जिसमें कृषि, उद्यान, राजस्व के

अधिकारी है जिसकी रिपोर्ट में यह माना है कि 90 प्रतिशत बागों का नुकसान हुआ है, सब्जी का नुकसान हुआ है और 70 प्रतिशत गन्ने का नुकसान हुआ है।

मान्यवर मेरा इस सदन के माध्यम से कहना है कि यह एक गम्भीर समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए वहाँ के किसानों को राहत दी जानी चाहिए। मान्यवर, अगर सरकार की तरफ से उनको राहत नहीं दी गयी तो कहीं ऐसा न हो कि किसान मजबूर होकर कोई ऐसा कदम न उठा लें, अन्य प्रदेशों की तरह, जहाँ पर किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे हैं, वही हालत इस प्रदेश के किसानों की होगी।

मान्यवर, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हो इसके लिए सरकार को शीघ्र सहायता देनी चाहिए जिससे ये लोग ऐसा कोई कदम न उठाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस अविलम्बनीय और लोकहित के प्रश्न पर सारे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए।

* हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, पाले के सम्बन्ध में रिपोर्ट शासन में आ चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि पालावृष्टि के कारण जिन किसानों के पेड़ सूख गए हैं क्या उनको काटने की अनुमति सरकार देगी जिससे किसानों को कोई परेशानी न हो और लकड़ी को ले जा सके? मान्यवर, जो बीज गन्ने का है क्या सरकार उन किसानों के लिए बीज की व्यवस्था करेगी और किसानों को अनुदान के तौर पर बीज देगी? यह एक गम्भीर समस्या है। चारे का मामला भी बहुत गम्भीर है। चारे के लिए भी किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, इस अविलम्बनीय और लोकहित के प्रश्न पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्यों द्वारा जो यह महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाया गया है। उस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार अत्यधिक गम्भीर है माह जनवरी, 08 के अन्त में पालावृष्टि के कारण फसलों को क्षति हुई और इसका सर्वेक्षण सरकार द्वारा कराया गया। जिसमें फसलों को क्षति पहुँचने की शिकायत मिली। इसका विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार के माध्यम से गठित संयुक्त टीम द्वारा विकासखण्ड नारसन, लक्सर, खानपुर में रबी फसलों उद्यान, सब्जी, गन्ने आदि की फसल को पाले से हुई क्षति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें यह पाया गया कि फल वृक्षों में 10 वर्ष तक के आम के वृक्ष सर्वाधिक प्रभावित पाये गये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जिनमें 60–70 प्रतिशत फल वृक्षों की मृत्यु सम्भावित है शेष में बौर आने की सम्भावना नहीं है गन्ने की फसल विकासखण्ड लक्सर में सर्वाधिक प्रभावित पाई गई, विशेषतौर पर मुण्डाबाद, मरियाली कला, अजबपुर माजरी, कुँवाखेड़ा और डौसनी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं और इसी तरह से नारसन विकासखण्ड में झबरेड़ा में माननीय विधायकगणों से सम्पर्क करने का प्रयास भी किया गया और वहाँ की उद्यान स्वामियों के बागों का निरीक्षण भी किया। गाँव के निकट का क्षेत्र पाले से कम प्रभावित पाया गया। गेहूँ, सरसों की फसलों में क्षति नहीं पाई गई। विकासखण्डों में प्रभावित फसलों को स्थलीय निरीक्षण कृषक समूहों जनप्रतिनिधियों से वार्ता के उपरान्त पाले के प्रकोप से जो क्षति परिलक्षित हुई उसका विवरण जिसमें 3 तहसीलों में यह सर्वेक्षण कार्य सम्पादित हुआ। हरिद्वार तहसील के अन्तर्गत जो सिंचित गेहूँ था वह 10 प्रतिशत अनुमानित क्षति इसमें प्राप्त हुई। असिंचित गेहूँ 60 प्रतिशत, मसूर 20 प्रतिशत, मटर 20 प्रतिशत, आलू 25 प्रतिशत, आम की फसल 90 प्रतिशत, आम के पेड़ 50 प्रतिशत, गन्ना सिंचित फसल 30 प्रतिशत, गन्ना असिंचित फसल 60 प्रतिशत, गन्ने से प्राप्त होने वाला चारा 70 प्रतिशत।

मान्यवर, रुड़की तहसील में गेहूँ सिंचित 10 प्रतिशत, गेहूँ असिंचित 30 प्रतिशत, आम फसल 90 प्रतिशत, आम के पेड़ 25 प्रतिशत, गन्ना 30 प्रतिशत, गन्ने से प्राप्त होने वाला चारा 60 प्रतिशत और इसी प्रकार से लक्सर में आम की फसल 60–65 प्रतिशत, गन्ना फसल 70–75 प्रतिशत, ब्लॉक खानपुर परिक्षेत्र में गन्ना फसल 30 से 35 प्रतिशत, ये प्रभावित फसल और अनुमानित क्षति है। तो इस तरह से विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और यह रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रेषित की गई, इसके आधार पर जो वर्तमान में प्रक्रिया प्रचलित है, उसे मैं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आपदा राहत निधि से कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में जो सहायता अनुमन्य है वह छोटे और सीमान्त कृषकों के लिए बागवानी एवं एकवर्षीय फसलों के लिए आपदा राहत निधि से अनुमन्य जो भी राज्य सहायता दी जाती है, असिंचित क्षेत्र में 2000 रुपया प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित सिंचाई वाले क्षेत्रों में 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर बंजर और अनुत्पादी भूमि कृषि निवेश में अनुदान देय नहीं होता है और इसी प्रकार से कम भू–स्वामियों वाले किसी छोटे सीमान्त कृषकों को देय राशि रु0 250 से कम नहीं होती, इसी प्रकार से बहुवर्षीय फसलों के आपदा राहत निधि से अनुमन्य धनराशि भी निर्धारित है, जिसकी जानकारी सम्भवतया सम्मानित सदस्यगणों को होगी।

छोटे और सीमान्त कृषकों के लिए अतिरिक्त अन्य कृषि निवेश अनुदान की भी व्यवस्था निर्धारित है, इसके अनुरूप इनको अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जहाँ तक जो विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया गया इसमें विशेष रूप से उद्यान से सम्बन्धित विषय प्रस्तुत किया गया, उसके सम्बन्ध में जानकारी देना है कि जनपद

हरिद्वार में लगभग 600 से 700 हेक्टेयर क्षेत्रफल सब्जी तथा लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम के बगीचे पाले से प्रभावित हुये हैं, जिनमें से सब्जियों में लगभग 20-25 प्रतिशत, आम के बगीचों को लगभग 50-60 प्रतिशत तथा आम की नर्सरियों को लगभग 80-90 प्रतिशत तक की हानि का आंकलन किया गया, इसके लिए जो सरकार ने तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की उस कार्यवाही में जो पेड़ों की कटाई-छटाई हेतु उद्यान विभाग द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2008 से कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, इसके लिए जनपद हरिद्वार में तैनात सभी मालियों एवं अन्य जनपदों से भी मालियों को आवश्यक उपकरणों तथा श्रमिकों सहित इस कार्य हेतु लगाया गया है, साथ ही प्रभावित किसानों को भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु कटाई-छंटाई के संयंत्र/उपकरण तथा छिड़काव हेतु आवश्यक रसायन आदि के लिये रू0 15.00 लाख की धनराशि तत्काल जनपद हरिद्वार के लिये आवंटित की गई है। इसके अलावा पाले से प्रभावित आम के बागों के जीर्णोद्धार/पुनर्रोपण हेतु रू0 375 लाख रुपया तथा सब्जी-बीज हेतु रू0 13 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को सहायता प्राप्त करने हेतु भेजा गया है।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त गन्ने की जो फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि गन्ने की लगभग 20 से 75 प्रतिशत फसल की क्षति होने के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट ने अवगत कराया है। इसमें यह भी बताया गया है कि गन्ने के बीज में भी आंशिक क्षति की प्रथम दृष्टया सम्भावना व्यक्त की गयी है, किन्तु विभाग द्वारा गन्ने के बीज की व्यवस्था कर ली जायेगी तथा इसमें बीज की कमी नहीं होने दी जायेगी। यह मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर गम्भीर है, जैसे ही यह सूचना सरकार को प्राप्त हुई तो सरकार ने तत्परता इस पर दिखायी और इसको तत्काल लिया है। इस पर सरकार और माननीय गन्ना मंत्री जी भी गम्भीर हैं। मान्यवर, यह कहना उचित नहीं है कि सरकार इस पर गम्भीरता नहीं बरत रही है। अतः मेरा आग्रह है कि यह विषय अस्वीकृत किये जाने लायक है।

श्री हरिदास-

मान्यवर, इसमें मेरे एक विषय का जवाब नहीं आया है। पशुपालकों को चारे के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। मान्यवर, हरिद्वार जनपद में एक पशु के लिए लगभग 150 रू0 का चारा प्रति दिन खरीदना पड़ता है, आज किसान अपने घोड़े को चारा नहीं दे पा रहा है। क्या इस सम्बन्ध में सरकार इनको सब्सिडी देगी?

मान्यवर, किसानों की गन्ने की फसल चौपट हो गयी है, क्या सरकार किसानों को बीज उपलब्ध करायेगी और यदि उपलब्ध करायेगी तो फ्री देगी या उसकी कास्ट लगायी जायेगी? मान्यवर, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा किसान कार्ड में कोई सुविधा किसानों के लिए दी जायेगी, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन किसानों ने जो अन्य ऋण ले रखा है उसको भी सरकार माफ करे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, उद्यान विभाग ने जिलाधिकारी के माध्यम से कुछ बजट की मांग की है, उससे बाग की कटाइ–छटाई की जानी है। क्या सरकार इस बजट को देगी?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर जैसा कि मैंने अवगत करा दिया इस कार्य के लिए, जो जनपद के माली हैं उनको आवश्यक उपकरण तथा श्रमिकों के साथ उनको इस कार्य में लगा दिया है अन्य क्षेत्रों से जो किसान हैं उन्हें भी कार्य हेतु प्रोत्साहित किया है और कटाई–छंटाई एवं रासायनिक पदार्थों के लिए 15 लाख रुपये तत्काल आवंटित कर दिये हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 10 करोड़ रुपये की मांग की है और 15 लाख रुपये दिये जा रहे हैं। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायक अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री हरिदास–

मान्यवर, चारे की क्या व्यवस्था की गयी है, इसको भी सरकार स्पष्ट करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, चारे की व्यवस्था के बारे में बता दें। (व्यवधान)

श्री शहजाद--

मान्यवर, 10 करोड़ के नुकसान में 15 लाख रुपया कितना परसेंट बनता है? क्या इससे किसानों का भला हो जाएगा? किसानों की हितैषी सरकार चल रही है। (व्यवधान) 15 लाख रुपये कितने होते हैं, आज के समय में? 15 लाख रुपये से नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हरिदास--

मान्यवर, चारे के बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नही बताया है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जवाब की उम्मीद करता हूँ।

श्री शहजाद--

माननीय अध्यक्ष जी, 15 लाख रुपये 10 करोड़ के नुकसान में प्वाइंट लगाकर भी कोई पर्सेंटेज नहीं निकलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि व्यवस्था की जा रही है। माननीय चौधरी यशवीर सिंह जी।

श्री हरिदास--

मान्यवर, हमारा प्वाइंटेड प्रश्न है। उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री शहजाद--

मान्यवर, पशुओं के चारे का क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। (व्यवधान) मान्यवर, गन्ना अभी बोया जाना है, इसके बीज के लिए क्या व्यवस्था होगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, गन्ने के बीजों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। इन सब विषयों पर सरकार गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने सब विषयों पर बता दिया है। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, बता तो दीजिए, क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार अपने आप को संवेदनशील बता रही है। (व्यवधान) एक बार चारे की व्यवस्था के बारे में बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी यशवीर सिंह जी। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, बीज कहां से आएंगे? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कि अवगत कराया कि आम के बागों के जीर्णोद्धार हेतु 375 लाख रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है और बीज के लिए 13 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को सहायता प्राप्त करने हेतु भेजा गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। माननीय चौधरी यशवीर सिंह जी। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, उत्तराखण्ड के जितने किसान हैं, जितने बेरोजगार मजदूर हैं, जितने गरीब तबके के लोग हैं, उन पर बिजली का बिल देय है, जिस

प्रकार किसानों का बिजली का बिल देय था, उसी प्रकार से जब से उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखण्ड अस्तित्व में आया था, उत्तर प्रदेश से ही उनके बिल पैण्डिंग पड़े हैं। उन पर सरचार्ज इतना अधिक बढ़ गया है कि उस बिल को देने की स्थिति में गरीब किसान और गरीब मजदूर नहीं है। अभी-अभी सरकार ने किसानों के बिल को माफ किया है, किसानों को 31 मार्च तक का टाईम दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, यदि यदि रुड़की डिवीजन की बात की जाय तो 1300 करोड़ रुपये का बिजली का बिल रुड़की डिवीजन के काश्तकारों पर बकाया है और उस पर सरचार्ज 7.21 करोड़ है। मैं समझता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, कि यह सरचार्ज इतना अधिक है कि गरीब मजदूर उसको नहीं दे सकता है जिस प्रकार अभी-अभी सरकार ने किसानों की बात सुनकर किसानों के बिलों पर सरचार्ज खत्म किया है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उसी प्रकार उत्तराखण्ड के जो गरीब और मजदूर हैं, उनके बिलों पर भी सरचार्ज खत्म करके उनके बिल को जमा करने की तारीख 31 मई कर दी जाय। मैं इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा की मांग करता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौ0 यशवीर सिंह जी, आपकी बात आ गयी है।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य चौधरी यशवीर सिंह जी ने प्रदेश के किसानों और मजदूरों के घरों पर निजी विद्युत बिलों का बकाया, जो कई वर्षों से लम्बित हैं, इन बकाया बिलों पर लगने वाले अधिभार, सरचार्ज की राशि को माफ करने की बात कही। निजी नलकूपों पर जिस तरीके से अधिभार समाप्त किया है और उसकी समय अवधि 31 मार्च, 2008 की गयी थी जिसके प्रति आपने यह अनुरोध अपनी सूचना में किया है कि किसानों और मजदूरों के घरेलू विद्युत अधिभार समाप्त कर उस देय तिथि 31 मई, 2008 तक कर दी जाय, ऐसा आग्रह आपने किया है सबसे पहले तो श्रीमन्, आप इतने सदाशय हैं कि यह सूचना नियम-58 की परिधि में नहीं आती। लेकिन चूंकि विषय आपके माध्यम से निर्देशित किया गया है, इसमें किसानों के जो निजी नलकूपों के विद्युत बिल की देय तिथि 31 मार्च, 2008 है। यह तिथि विद्युत नियामक आयोग की अनुमति से बढ़ाई गई थी। चूंकि विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र घरेलू उपभोक्ता माना गया है और इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है इसमें मजदूर, किसान या उच्च वर्ग के लोग, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। उपभोक्ता को घरेलू उपभोक्ता के रूप में माना

जाता है और इन घरेलू उपभोक्ताओं पर जो देय मूल धनराशि है वह वर्तमान में 194.39 करोड़ है और उसमें सरचार्ज 73.77 करोड़ आता है, इस प्रकार से कुल देय 268.16 करोड़ रुपये की धनराशि वर्तमान में बकाया है।

जहाँ तक माननीय सदस्य ने विषय उठाया सरचार्ज घटाने के लिए, तो मैं माननीय सदन के संज्ञान में पुनः लाना चाहूँगा कि सरचार्ज माफ करने का अधिकार विद्युत नियामक आयोग को है और राज्य में वर्तमान में विद्युत नियामक आयोग गठित है और उसके निर्देश के अनुरूप ही हमारे विभाग को काम करना पड़ता है। इसके लिए सरकार या विभाग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है चूंकि विद्युत नियामक आयोग को इस सम्पूर्ण प्रकरण से अवगत करना होगा और उनसे अनुरोध करना पड़ेगा और यदि विद्युत नियामक आयोग इस विषय पर अनुमति दे देता है तो इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि चूँकि इस तरह के विषय अनेकों माध्यम से उठ रहे हैं और इस विषय पर भी सरकार गम्भीर है, मेरा अनुरोध है कि सरकार की गम्भीरता को देखते हुये इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, विद्युत नियामक आयोग को जो भी प्रस्ताव दिये जाते हैं और वह जो भी कार्य करता है वह सरकार के अंदर ही काम करता है। तो क्या मैं ऐसी आशा रखूं कि यह प्रस्ताव भी जैसे कृषि के बिल, ट्यूबवैलों के बिल उन्हें भेजे गये थे, इसको भी भेजा जायेगा?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपके विषय के सम्बन्ध में अभी मैंने अवगत कराया कि इसके सम्बन्ध में हम विद्युत नियामक आयोग से अनुरोध करेंगे और जैसा निर्देश माननीय आयोग देगा, उसका पालन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

(माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह सदन से बाहर चले गये।)

* श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर में एस्कार्ट फार्म के अन्दर पूर्व सरकार के समय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भूमि वापस ली गयी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पूर्व सरकार ने भूमि वापस करने का कदम उठाया तो बहुत सारे ऐसे कब्जेदार थे उनसे जमीन खाली करायी गयी और उसके पश्चात् सरकार ने उनके दर्द को समझते हुए 231 लोगों के परिवारों को पुनः पट्टा देकर बसाया और लगभग 60 लाख, 61 लाख का मुआवजा भी सरकार ने उनको दिया। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब यह आन्दोलन चला एस्कार्ट फार्म का और उस समय सरकार के खिलाफ वर्तमान में जो सरकार में बैठे हुए हमारे साथी हैं, इनके द्वारा भी एक बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया गया और आन्दोलन ऐसा चला कि सारे जिले के बाजार बन्द हुए। प्रदेश स्तर पर पंजाब से अकाली दल, दिल्ली से अकाली दल, उत्तराखण्ड भारतीय जनता पार्टी के उस समय सारे जन प्रतिनिधि, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के इस समय बहुत सारे लोग जो मंत्री हैं, उन्होंने जाकर इस आन्दोलन को चलाया और कहा कि जब हमारी सरकार प्रदेश के अन्दर आयेगी तो हम उन सबको जमीनें देंगे। इतना ही नहीं बहुत सारे प्रकरण उस समय के अखबारों में छपे और कहा गया कि जनता फार्म में आ गयी तो खैर नहीं।

राज्य सरकार के खिलाफ सिद्धू ने कड़े तेवर दिखाये और इतना ही नहीं सिद्धू फार्म स्थित दोहरी वकील के गुरूद्वारे के सामने आयोजित किसानों की सभा में पंजाब से भारतीय जनता पार्टी की टीम ने दौरा किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार आने के बाद हम जमीनें वापस दिलाएंगे। देश की संसद के अन्दर भी, लोकसभा के अन्दर भी इस मामले को उठाने की बात कही गयी। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया विषय पर आएं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वर्तमान में जो विधायक हैं और उस समय भी विधायक थे माननीय चीमा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी आन्दोलन में भाग लिया, श्री अरविन्द पाण्डे जी ने भी बढ़–चढ़कर भाग लिया और उन्होंने कहा कि चाहे हमारी जान चली जाए पर हम किसानों को उजड़ने नहीं देंगे। भारतीय जनात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब में जाते हैं, पंजाब में एक जनसभा होती है, चुनावी माहौल बनाया जाता है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज नाथ सिंह ने कहा कि काशीपुर में (व्यवधान) पिछले दिनों सिख समुदाय पर हुए अत्याचार के खिलाफ आन्दोलन हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया विषय पर आएं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, भाजपा ने कहा था कि हम शिरोमणि अकाली दल के साथ मिल कर संघर्ष करेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे और कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम वहां सिख समुदाय के लोगों की जमीनें वापस करेंगे। यह सभा पंजाब के अन्दर हुई यहाँ से सीडियाँ बनाकर पंजाब के अन्दर भेजी गयीं और वहाँ पर इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। इतना ही नहीं यह भी कहा कि यह सरकार चन्द दिनों की मेहमान है। मान्यवर, इतना ही नहीं, कॉग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। (व्यवधान) माननीय नित्यानन्द स्वामी जी, माननीय कण्डारी जी, कोश्यारी जी बैठे हैं, माननीय निशंक जी (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

समाचार पत्रों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह कहा गया कि जब हमारी सरकार आयेगी, हम सारी की सारी जमीन वापस करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरकार आयी, सरकार आने के बाद इस सरकार को उनको बसाना चाहिए था, जो अतिरिक्त गरीब लोग रह गये थे उनको पट्टे देने चाहिए, पर इस सरकार ने 47 लोगों को और नोटिस दे दिया, उनसे कहा आपको बेदखल किया जाता है, आपके पट्टे निरस्त किये जाते हैं। मान्यवर, वह नोटिस भी मेरे पास है। 50 लोग ऐसे थे, जिनको और पट्टे मिलने चाहिए थे, कुछ को पट्टे मिल गये थे, उसके बाद उनको कब्जा देना चाहिए था।

मान्यवर, यह सरकार जो उस समय विपक्ष में थी, उसने जो उस समय कहा अब यह सरकार नहीं कर रही है। मान्यवर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या राजनीति का हमारा यही चरित्र है कि जब हम विपक्ष में होंगे तब हम यह कहेंगे कि हमारी सरकार आयेगी तो हम लोगों को बसायेंगे, लोगों को रोजगार देंगे और जब सरकार के अन्दर आ जायेंगे तब हमारा चरित्र बदल जायेगा। आज 50 लोगों को उजाड़ा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर आइये।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, माननीय विधायक चीमा जी बैठे हैं, अरविन्द पाण्डे हैं, सारे मंत्री हैं, निशंक जी हैं, वहाँ पर सब लोगों ने जाकर, मान्यवर, आपको तो अच्छी तरह पता है कि किस तरह से लोगों को वहाँ भड़काया गया, लोगों की भावनाओं को किस तरह उभाड़ा गया, कहा गया कि हम काशीपुर बन्द कर देंगे। मान्यवर, आज सरकार नोटिस दे रही है, हमारे पास नोटिसों की कापियाँ हैं, आप चाहें तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा लोक महत्व का विषय है, मैं इस पर सदन की पूरी कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

राजस्व एवं भू-प्रबन्धन मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)-

माननीय अध्यक्ष जी, काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित एस्कार्ट फार्म से सीलिंग में प्राप्त भूमि पर 231 परिवारों को पट्टे दिये जाने एवं उनमें से 40 परिवारों को पुनः निरस्तीकरण नोटिस दिये जाने सम्बन्धी मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में जब अवैध कब्जेदारों से अतिक्रमण हटाया गया था तब तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत 231 परिवारों को सीलिंग एक्ट की धारा-25 के अन्तर्गत पट्टे आवंटित किये गये थे। कालान्तर में 40 अपात्र आवंटियों के पट्टे निरस्त कर दिये गये। इस प्रकार वर्तमान में कुल 191 परिवारों को ही पट्टे आवंटित किये गये हैं। इस सम्पूर्ण प्रकरण में तत्समय मा0 सदस्य की अध्यक्षता में ही एक समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा केवल 106 परिवारों को ही भूमि आवंटन हेतु पात्र पाया गया था। इस तथ्य पर श्री नन्दन अग्रवाल व 41 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की गई, जिसमें दिनाँक 18-08-2007 को यह आदेश पारित किये गये कि शासन द्वारा गठित उपरोक्त समिति द्वारा 106 परिवारों को ही भूमि आवंटन के लिए अर्ह माना गया है।

अतः याचीगणों को पात्रता के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या-1 प्रमुख, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन निर्णय लेकर अर्हता पर विचार करें। मा0 उच्च न्यायालय के इस निर्णय के क्रम में शासन द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये कि उपरोक्त समिति द्वारा इंगित 106 परिवारों के अतिरिक्त अन्य सभी आवंटियों की पात्रता पर पुनः विचार कर लिया जाय, जो परिवार भूमि आवंटन के पात्र न हों उनके आवंटन को निरस्त किया जाय। इस निर्णय के क्रम में 41 आवंटियों को अपना पक्ष रखने का नोटिस दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

1017

श्री तिलक राज बेहड़-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूर्व में भी यह बात कही है, उस समय सरकार जब विपक्ष में थी, हमारे मंत्रीगण, सरकार के लोग, जो सरकार में बैठे हैं, उस समय इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आयेगी तो हम एक-एक को जमीन वापस देंगे, आज उनके पट्टे निरस्त किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं और जो 50 लोग जिनको पट्टे और मिलने चाहिए थे उन लोगों को पट्टा नहीं मिल पा रहा है। इसमें सरकार स्पष्ट कह दे कि हम जमीन नहीं देने जा रहे हैं। इसमें सीधा सा स्पष्ट उत्तर आ जाय कि सरकार उनको देना चाहती है या नहीं। उनको सरकार निरस्त करना चाहती है। इसमें सरकार की क्या कार्यवाही है, इसके ऊपर सरकार की क्या नीयत है, यह स्पष्ट कर दे। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, न्यायालय के आदेशानुसार शासन इस पर कार्यवाही कर रहा है। (व्यवधान)

* श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, क्या यह मामला न्यायालय में है?

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, न्यायालय में यह निर्णय हो गया है।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, न्यायालय ने यह कहा कि ये लोग अपात्र हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, न्यायालय ने यह कहा कि ये अपात्र हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर चाहिए। उनको पट्टे देंगे या नहीं? मान्यवर, जो 50 लोग और पट्टा मांग रहे हैं, जिनकी सूचियाँ बन चुकी हैं ऐसे 16 लोग और हैं जिनकी पट्टे की कार्यवाही हो चुकी है। सरकार उनको पट्टा देगी या नहीं? मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे विपक्ष के साथियों ने जो अब सत्ता पक्ष में बैठे हैं काफी आन्दोलन किये, पूरे ऊधमसिंह नगर में आन्दोलन किया गया। एक-एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक और एक-एक जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का उस समय वहाँ पर गया और सड़कों में जाम लगाया। वहाँ की जनता को परेशानियाँ उठानी पड़ी। अब जब वही लोग सत्ता में बैठे हैं और उस क्षेत्र के दो-दो विधायक भी सत्ता पक्ष के हैं जिन्होंने आन्दोलन किया और उस आन्दोलन का नेतृत्व किया। सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से बताये कि उसकी नीयत क्या है? देना चाहती है या नहीं?

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में निर्देश हैं और उन निर्देशों के आधार पर 106 परिवारों के अतिरिक्त जो अन्य सभी आवंटियों की पात्रता पर पुनः विचार किया जाए और जो परिवार भूमि आवंटन के पात्र नहीं हैं उनका आवंटन निरस्त किया जाए। यह उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया उसके अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा इसका परीक्षण करवाया गया, उसकी सुनवाई चल रही है सरकार पात्रता के आधार पर ही कार्यवाही करेगी। जो पात्र पाये जायेंगे उनको आवंटित किया जायेगा।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, इसका मतलब यह है कि सरकार यह मान रही है कि जो उस समय हमने आन्दोलन किया और जो आन्दोलन का नेतृत्व किया, उनको जो झूठे वायदे किये, उनके लिए बाजार बन्द कराये वह एक-एक इंच भूमि दिलाने की बात कही गई थी, वह मात्र उनको एक धोखा था। सरकार इसके लिए गम्भीर नहीं है। जिन लोगों के नेतृत्व में आन्दोलन चलाया गया आज उनका हक मारा जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप यह भी देख लें कि उस समय आप लोगों ने क्या-क्या किया। (माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ द्वारा समाचार पत्रों की कटिंग दिखाई गई) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री चीमा जी कुछ बताना चाहते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय साथी उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। (सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, मद संख्या-13 को पहले ले लें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सत्ता के विधायक बोलना चाह रहे हैं हाथ खड़ा कर रहे हैं। उनको अनुमति दे दीजिए। वह भी अपनी बात कह दें।

(घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, राजनीतिक दलों का यही काम है कि विपक्ष में रहेंगे तो सड़क में बैठेंगे, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को विवश करेंगे और आज जब सरकार में आने के बाद (घोर व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों का यही काम है क्या? ठीक, ऐसा चरित्र वे खुद उजागर कर रहे हैं। पिछली बार जब विपक्ष में बैठकर भाजपा के लोग पूछ रहे थे, तो वह लोग सन्नाटे में बैठे हुए थे। (घोर व्यवधान) जब आप सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं बसाया? हमने तो बसाने का ही काम किया। हमने उजाड़ा नहीं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आपकी सरकार ने उजाड़ा है। मान्यवर, यह सरकार का चरित्र है। मैं समाचार पत्रों में जो उस समय छपा था उसकी कटिंग थी, जिसे सदन के सामने दिखा रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है। अध्यक्ष जी, बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसमें मैं, विपक्ष के द्वारा जो बात रखी गई है, उसको स्पष्ट जरूर करना चाहूँगा। जो उस समय 231 पट्टे वितरित किये गये थे और 60 लाख रुपये का जो मुआवजा दिया गया है उस समय की सरकार ने आश्वस्त किया था कि जो पट्टे विहीन आदमी रह गये हैं जिनकी संख्या लगभग 46 थी। उस समय की सरकार ने उनको पट्टे देने का वायदा किया था और इस मुआवजे को डबल देने का वायदा किया था। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या पूर्व सरकार ने यह ड्रामा किया था? (शेम-शेम की ध्वनि) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। कृपया आप बैठ जायें, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इसका उत्तर बड़े विस्तार से आ चुका है यदि इस पर कोई बात स्पष्ट करना हो तो बता दें। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, विषय बड़ा गम्भीर है माननीय भीमा जी ने पूर्ववर्ती सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है और स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि 231 लोगों को माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने पट्टे दिये हैं, जिसमें से केवल 46 लोग पट्टे लेने में वंचित रह गये हैं और 60 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है मैं निवेदन करना चाहता हूँ मान्यवर, हमारी सरकार ने 231 लोगों को पट्टे दिये और 60 लाख रुपये का मुआवजा दिया। ये सरकार ने आज साफ कहा कि इन लोगो को हम न पट्टे देंगे और न मुआवजा देंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार हैं भूमिहीन को जमीन नही देना चाहती है ये सरकार गम्भीर नहीं है गरीब लोगों के प्रति। अतः मैं और मेरा दल वाकआउट करता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कृपया मंत्री जी, आप बैठ जायें।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, अपने आप कॉंग्रेस के माननीय सदस्यगण ने माननीय श्री भीमा जी को बोलने के लिए कहा, जब माननीय भीमा जी ने थोड़ी सी अपनी बात रखने की कोशिश की तो माननीय भीमा जी की बात सुनने के बाद इनके पेट में उबाल आ गया। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन सदन में आकर अपने स्थान पर बैठ गये।)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय। श्रीमन्,

इसे एक आवश्यक प्रक्रिया के तहत विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया था और नये बोर्ड का गठन न हो पाने की स्थिति में श्रीमन्, नगर निगम के नगर प्रमुख, उप प्रमुख और विभिन्न शक्तियों का कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कोई प्राविधान नहीं था। इसके चलते हुए प्रशासक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया था, इसको दृष्टिगत रखते हुए अध्यादेश के माध्यम से इसको प्रख्यापित किया गया था। इस विधेयक के माध्यम से जब तक चुनाव सम्पन्न न हो जाय और विधिवत् निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर पद स्थापित न हो जाए। तब तक के लिए नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति का प्राविधान इस विधेयक में किया गया है। श्रीमन्, छोटा सा विधेयक है और ये मेनडेटरी हैं क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से तात्कालिक व्यवस्था के तहत यह व्यवस्था की गयी थी और मेरा अनुरोध सम्मानित सदन से है कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–7 तक खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के लिये अग्रेत्तर संशोधन हेतु–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1)–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–8 में एक नई उपधारा–4 का अन्तःस्थापन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–8 के अन्त में निम्नलिखित एक नई उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

"(4) जहाँ नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या नये नगर निगम बोर्ड का गठन नहीं हुआ हो, तो नये बोर्ड के गठन तक–

(क) नगर निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, वार्ड समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा–5 के खण्ड (ज) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की समस्त शक्तियां, कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतदपश्चात् प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन

की जायेगी और प्रशासक, विधि की दृष्टि में, नगर निगम अथवा समिति जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगर निगम कोष से देय होगा, जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करें;

(ग) राज्य सरकार समय-समय पर, गजट में विज्ञप्ति, द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डालें, जो उसे इस धारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हो, बना सकेगी,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छः माह या नये बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

मूल अधिनियम की धारा-24 के खण्ड (घ) का निरसन

3. मूल अधिनियम की धारा-24 का खण्ड (घ) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

धारा-25 में नए खण्ड का अन्तःस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा-25 के खण्ड (द) के पश्चात् एक नया खण्ड निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात-

"(ध) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो,"

मूल अधिनियम की धारा-30 का निरसन

5. मूल अधिनियम की धारा-30 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

'नगर पालिका' के स्थान पर 'नगर निगम' पढ़ा जाना

6. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम 2002 (अधिनियम सं0 19 वर्ष 2002) में जहां-जहां शब्द "नगर पालिका" आया है, वहाँ वह शब्द "नगर निगम" पढ़ा जायेगा।

निरसन और अपवाद

7. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–7 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक 2008 पारित किया जाए।

* श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, क्या इस पर चर्चा नहीं होगी?

श्री अध्यक्ष–

जब मद आई तो आप खड़े नहीं हुए तो क्या करें?

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक 2008 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, संशोधन तो लगे नहीं हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा के लिए आपके माध्यम से पुकारा गया, प्रस्ताव मेरे द्वारा किया गया कि विचार किया जाए। विचार करने के बाद मैंने उसके उद्देश्यों और कारणों पर प्रकाश डाला। उसके बाद कम से कम माननीय सदस्य को आग्रह करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब पारित हो गया। नगरपालिका में भी यही विषय है आप उसमें ले लीजिएगा। नगरपालिका से सम्बन्धित जो अधिनियम आ रहा है, दोनों का विषय एक ही है तो आप नगरपालिका पर चर्चा कर लीजिए क्या दिक्कत है। दोनों विषय एक ही हैं।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

पंचायती राज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–घ में पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद–243 के खण्ड–2 में अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं में एक तिहाई महिला के लिए आरक्षित है और पंचायतों की कुल संख्या है उसमें एक बटा तीन महिलाओं के लिए आरक्षित और जो अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला हैं उसमें भी सम्मिलित है, महिलाओं की भागीदारी बढ़े और महिला सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि तीनों स्तरों में पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। इससे जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो निर्णय की प्रक्रिया से महिलाओं का योगदान बढ़ेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योगदान बढ़ेगा और क्रान्तिकारी कदम होगा और इसीलिये एक तिहाई से बढ़ाकर आधा किया गया है, क्योंकि यह व्यवस्था मध्यप्रदेश और बिहार में है और राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल ने यह विधेयक पारित किया गया है और यह विधेयक तमिलनाडु में महिला विधेयक का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर 2 बार का कार्यकाल निश्चित किया, यह इसलिए उन्होंने किया कि जो महिला पहली बार चुनकर आती हैं तो उनको पूरी प्रक्रिया समझने में समय लगता है इसलिए तमिलनाडु सरकार ने 2 बार किया है, इसलिए यह विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक है, संशोधक विधेयक है, इसलिए मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

* श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो अभी कथन यहाँ पर किया है, सदन में रखा है, जो 243 में संशोधन में महिलाओं के कार्यकाल को दो बार लगातार करने की बात की है, आरक्षण की बात भी कही है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, महिलायें जो आरक्षित हैं दो बार लगातार।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, आपने दो बार लगातार करने की बात की है तो उसमें मुझे खेद है इस बात से कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को चीजों को समझने में समय लगता है, यह महिलाओं के लिए सम्मान, जो माननीय मंत्री जी के मन में महिलाओं के लिए शंका है और इसे सदन में कहा है, मैं उस बात की भर्त्सना करता हूँ और जो महिलाओं के प्रति सरकार को देखने का और समझने का रूख है मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका यहाँ माननीय सदन के माध्यम से उसका विरोध दर्ज करता हूँ। माननीय मंत्री जी को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसे कार्यवाही में से हटा दिया जाये। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आप यह चाहते हैं कि जो महिलाओं का 2 बार का आरक्षण है, आप नहीं चाहते हैं (व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है मैं उससे इत्तिफाक नहीं रखता हूँ। महिलाओं के लिए जो टिप्पणी इस सदन में हुई है वह निन्दनीय है। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, प्रायः पंचायतों में यह देखा गया है कि महिलायें उपस्थित बहुत कम रहती हैं, अधिकतर उनके पति ही उनका काम करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने महिलाओं के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष–

असंसदीय भाषा?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, असंसदीय इसलिए कह रहा हूँ, (व्यवधान) मान्यवर, मेरी पूरी बात सुन ली जाय, बीच में टीका–टिप्पणी न की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब बोल रहे हों तो आप सभी को सुनना चाहिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय पंचायती राज मंत्री जी का सदन के अन्दर यह वक्तव्य देना कि महिलाओं की समझ कम है, इसलिए आरक्षित पदों पर उनको दो बार, एक टर्म के बाद दूसरा टर्म इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि समझने में समय लगता है। एक बिन्दु यह है और दूसरा बिन्दु यह है कि माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने यह टिप्पणी की कि अधिकांश महिलाओं के पति, चाहे वह ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनके बजाय उनके पतिदेव सदन को चलाते हैं और वह व्यवस्था को चलाते हैं। मान्यवर, यह घोर आपत्तिजनक शब्द है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ऐसा मंतव्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही को दिखवा लेंगे। (व्यवधान)

डा हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरे सदन के सामने महिलाओं के लिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अगर सरकार मातृशक्ति के प्रति इतनी गम्भीर नहीं होती तो उनके लिए इतने कदम नहीं उठाती। मान्यवर, इस विधेयक को तो सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए था। (व्यवधान)

डा हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस बात पर पूरे सदन के सामने यह वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से दिखवा लेंगे। (व्यवधान)

डा हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह महिलाओं का अपमान है। यह उत्तराखण्ड की महिलाओं का अपमान है, जिन महिलाओं के संघर्ष पर उत्तराखण्ड राज्य बना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा। (व्यवधान)

डा हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह महिलाओं का अपमान है यह उत्तराखण्ड की महिलाओं का अपमान है, जिन महिलाओं के संघर्ष पर उत्तराखण्ड राज्य बना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही दिखवा दूंगा। (व्यवधान)

डा हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस पर मैं और मेरा दल महिलाओं का अपमान नही सहेगा, इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारे बाजी करते हुए सदन से बाहर चले गये।)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने से क्या महिला सशक्तीकरण हो पायेगा, क्या महिलाओं को शक्ति मिलेगी? मान्यवर, यह बात बिल्कुल सत्य है, हमारे विपक्ष के साथी जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इनको सच्चाई पता है। मान्यवर, हमारे यहाँ महिलाओं को जो भी आरक्षण मिला है, उनके पति ही काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, यह तो घोर आपत्ति है। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

(नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों ने सदन में आकर अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।)

* श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सरकार को इस बात के लिए बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस सरकार ने एक साहसिक और क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए और इस राज्य में, जिसकी बुनियाद महिला सशक्तिकरण पर है, जिस राज्य की बुनियाद में महिलाओं का योगदान है, उस राज्य में महिलाओं का पंचायतों और पंचायत स्तर की सभी संस्थाओं में, जिसे हम लोकतंत्र की इकाई मानते हैं, उन सभी संस्थाओं में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व पचास फीसदी सुनिश्चित करने के लिए एक विधि बनाने का काम किया, इसके लिए श्रीमन्, मैं इस सरकार को कोटि–कोटि बधाई देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, मैं इस सरकार के साथ ही साथ सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हरक सिंह रावत जी, जिनका महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण किसी से छिपा हुआ नहीं है, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में इस बात को ताकत देने का काम किया। श्रीमन्, मैं अपने बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही तेजस्वी माननीय सदस्य श्री करन मेहरा जी ने जो प्रश्न उठाया, उसकी तरफ आपका और सदन का भी ध्यान आकृष्ट करता हूँ। सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करता हूँ। मैं अपने मित्र करन मेहरा जी से प्रश्न करता हूँ कि संविधान के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद–243 का, जिसका माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी ने संदर्भ दिया, श्रीमन्, मैं उसके सन्दर्भ में बहुत स्पष्ट और पर कहना चाहता हूँ कि संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन लाया गया, उसकी बुनियाद में ही महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया। तो मैं माननीय करन मेहरा जी से, उनके मित्रों से, जो इतना शोर मचा रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं मानते तो फिर आरक्षण की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए माननीय मंत्री जी ने यदि यह कहा कि महिलाओं की आर्थिक............

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मुझे बोल लेने दीजिए। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह तो मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य खड़े हैं, इनकी कोई बात नहीं आएगी। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, मुझे इस प्रकार बोलने से रोका नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया सदन को व्यवस्थित कीजिए। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया अपने माननीय सदस्यों से सहयोग कराइये। अभी मैं आपको भी अवसर दूँगा। माननीय सदस्यों की बात आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस विधेयक में चर्चा पर भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (व्यवधान) श्रीमन्, मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आपने सदन को व्यवस्थित करने के लिए कहा। हमारे सभी सदस्य व्यवस्थित हैं और आपकी पीठ का सम्मान करते हैं लेकिन सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए किसी सदस्य का नाम चिन्हित करके सम्बोधित करेंगे तो निश्चित रूप से टीका-टिप्पणी करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसमें नाम ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, गलत तथ्य देकर नाम लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

हाँ, अगर गलत तथ्य हो, तो कहिए। गलत तथ्य तो नहीं है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, गलत और सही का निर्धारण करने वाले ये कौन होते हैं? (व्यवधान) हमें भी सदन के अन्दर अपनी बात कहने का अधिकार है। (व्यवधान) इस प्रकार से हमारे विचारों को दबाया नहीं जा सकता। हमें भी सम्मानित सदन के अन्दर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। (व्यवधान) आपके द्वारा कृपा पूर्वक नाम पुकारे जाने पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ।

* श्री गोपाल सिंह–

आप कौन होते हैं, सही गलत का निर्धारण करने वाले?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह एक सदस्य का दूसरे सदस्य पर ....

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे ओ0बी0सी0 का आरक्षण हो, चाहे अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो, चाहे वह शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण हो या पंचायतों में आरक्षण हो,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन सब पर देश की संसद और विधान सभाओं के अन्दर महिला आरक्षण पर चर्चा होती है, तो सभी प्रकार के आरक्षण का आधार उस वर्ग की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन होता है। (मेजों की थपथपाहट)

यदि इस बात को हाईलाइट करते हुये माननीय मंत्री जी ने कहा कि महिलाओं की कमजोर स्थिति को देखते हुये उनको एक पंचायत क्षेत्र में अपने स्थान को कन्सोलिटेड करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनको एक ही क्षेत्र में लगातार दो वर्षों तक आरक्षित रखने की आवश्यकता है तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार की एक दूरदर्शिता का परिणाम है और महिला सशक्तीकरण को और मजबूत करने का काम सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से करने का प्रयास किया है। हाँ, एक प्रश्न जरूर उठता है, एक वैधानिक प्रश्न की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि इस पर चर्चा का समय 15 मिनट रखा गया है, इसलिए समय का भी ध्यान रखें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं इस मामले में यहां पर वाद-विवाद नहीं चाहता लेकिन इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य इस बात से इत्तेफाक भी रखते होंगे और हमारा यह रोजमर्रा का अनुभव भी है कि तमाम पंचायती क्षेत्रों में, चाहे वह जिला प्रशासन के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, ग्राम सभा के स्तर पर हो या बी0डी0सी0 के स्तर पर हो या जिला पंचायतों के स्तर पर हो, तमाम तरीके की शिकायतें सरकारी और गैर सरकारी स्तरों से आती हैं कि पंचायती स्तरों पर और कई जगहों पर, जिस वक्त का नियंत्रण पूरी तरह प्रधान पर होता था, मैं तो अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को धारण करते हुये कहता हूँ कि यहाँ तक इस तरीके की शिकायत मिलती है कि पंचायतों में महिला प्रधान की जगह चैक पर हस्ताक्षर करने का काम भी उस प्रधान का पति करता है, यह सत्य है, लेकिन यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उनको कहने का अधिकार है, मैं आपको मौका दे चुका हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने बहुत जिम्मेदारीपूर्वक कहा है कि जिन तथ्यों का उल्लेख मैंने सदन के अन्दर किया है, उनकी सत्यता की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा का समय 15 मिनट निर्धारित है। आप दो मिनट में अपनी बात कहिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के मित्रों के चेहरे पर लगा हुआ वह मुखौटा आज उतर गया है, जहां पर वह महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं। (शेम–शेम की ध्वनि)

मान्यवर, अब इनको चिन्ता का सबब यह बन गया कि लगातार दो टैन्योर तक एक पंचायत क्षेत्र आरक्षित रहेगा। श्रीमन्, इनको आपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो महिला सशक्तीकरण की शुरूआत अपने घर से की है। मैंने अपने परिवार में 50 प्रतिशत का आरक्षण देने का कार्य किया और मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय धीमा जी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठिये। मैं माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकार चुका हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, जब आप लोग सदन व्यवस्थित करेंगे, तभी तो यहां पर चर्चा हो पायेगी।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय करन मेहरा जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये, मैं माननीय सुरेन्द्र राकेश जी का नाम पुकार चुका हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार ने जो निर्णय लिया, उसकी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है और उसका विधेयक आज सदन के पटल पर रखा गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है, कितनी उसकी आर्थिक उन्नति चाहती है, कितनी उसकी सामाजिक उन्नति चाहती है, कितनी उसकी शैक्षिक उन्नति चाहती है, उसका उदाहरण हमारे सदन में उपस्थित है माननीय अध्यक्ष जी, जहां पूरे उत्तराखण्ड के भविष्य का निर्णय लिया जाता है, उसमें कैबिनेट में एक भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं है। (तालियां) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप विधेयक पर बात करिए। (घोर व्यवधान) मुझे बाध्य मत करें अन्य कार्य करने के लिए। (घोर व्यवधान) मुझे बाध्य मत करिये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अभी हमारे साथी सीनियर विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी सदन को अवगत करा रहे थे कि पंचायतों में 33 प्रतिशत पिछली सरकारों ने आरक्षण दिया था। वहाँ महिलाओं को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ तक कहा गया यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चैक, जोकि संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें भी उनके पति साईन करते हैं। यह डूब मरने की बात है। (घोर व्यवधान) यह सरकार के लिए शर्म की बात है। इसमें अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि हमने दो बार का कार्यकाल इसलिए निर्धारित किया है क्योंकि उत्तराखण्ड की महिलाओं को जानकारी नहीं है और इसलिए एक कार्यकाल में वे अपना कार्य नहीं कर सकती हैं। मैं इसकी निन्दा करता हूँ। (घोर व्यवधान) निन्दा इसलिए करता हूँ कि महिलाओं के प्रति जो बात कही गयी है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में दिया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो घटनाएं 33

प्रतिशत आरक्षण में घटित हो रही थी, वे 50 प्रतिशत में कदापि नहीं होनी चाहिए। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पंचायतों में सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, क्यों नहीं सरकार नगर निगम के चुनाव में भी 50 प्रतिशत का आरक्षण लागू करती है। सरकार यदि महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो नगर निगम में भी आरक्षण दे। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

* श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे विद्वान साथी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने अभी–अभी यहाँ कहा कि जो संविधान में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है या दिया जा रहा है, उसमें भी मूल भावना उनके सामाजिक, शैक्षिक और भौगोलिक पिछड़ेपन की है, आर्थिक पिछड़ेपन की है। मैं निश्चित रूप से उससे सहमत हूँ। लेकिन किसी भी वर्ग या महिला का आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ापन, एक दूसरे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंगित किया गया है वह महिला की समझ को इसमें इंगित किया गया है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि समझ पर शंका करना एक बहुत कड़ा संवैधानिक अपराध है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप सुझाव दें।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का खुले दिल से समर्थन करना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारी महिलाओं पर हमारी मातृ शक्ति पर शंका प्रकट की है, उसकी कड़े शब्दों में निन्दा करना चाहता हूँ। अभी जो भाषण मुन्ना सिंह चौहान जी ने दिया, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पिछड़ापन एक अलग कारण है और उसके समझ पर शंका करना एक गम्भीर प्रश्न है। हम यहाँ पर शब्दों के जाल में या शब्दों का पोस्टमार्टम करने में लगेंगे तो बहुत गम्भीर स्थितियाँ पैदा होंगी, इसलिए जो बात यहाँ पर निश्चित रूप से उनकी समझ के बारे में कही गई है उसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। दूसरी एक गम्भीर बात यहाँ पर सरकार की तरफ से कही गई है कि जो महिला प्रतिनिधि हैं उनके पति उनके पद को चलाते हैं। हमारे सम्मानित साथी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने यहाँ तक कहा कि वह दस्तखत करते हैं, यह तो टोटली सरकार फेल्योर है। अगर इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, आप उदाहरण सुनना चाहेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, सरकार में बैठे लोग ही ऐसी बातें की रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जो दो बार लगातार वाली बात की है, पहले कार्यकाल में महिलाओं को पूरी प्रक्रिया को समझने में समय लगता है, वहाँ से माननीय सदस्य करन मेहरा एकदम से उठ गये। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्हें समझने में समय लगता है, कोई क्षेत्र एक बार आरक्षित होगा तो एक महिला चुन कर आयेगी और दूसरी बार वह क्षेत्र आरक्षित होगा तो दूसरी महिला चुन कर आ सकती है। एक बार एक महिला को समझने में पाँच साल लगेगा, यह आप कैसे तय करेंगे, क्षेत्र तो आरक्षित रहेगा। (व्यवधान)

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, क्या मंत्री लोग व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे, इसमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय सदस्य इस सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गये, वे किस नियम से फिर उसी में बोलने लग गये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008
(विधेयक संख्या वर्ष 2008)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा संशाधित एवं यथा प्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1)–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय – दो

भाग – 1

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947

धारा–11 क की उपधारा (3) एवं (4) का संशोधन एवं नई उपधारा का अन्तः स्थापन

2. संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा–11 क में–

(क) उपधारा (3) एवं (4) में आए शब्द "एक तिहाई से अन्यून" के स्थान पर शब्द "आधे से अन्यून" रख दिए जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात एक नई उपधारा (5) निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(5) महिलाओं के लिये आरक्षित प्रधान के पद, लगातार दो कार्यकाल तक के लिये आरक्षित रहेंगे।"

3\. मूल अधिनियम की धारा–12 में–

धारा–12 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं (ग) का संशोधन एवं नये खण्ड का अन्तः स्थापन

(क) उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं (ग) में आये शब्द "एक तिहाई से अन्यून" के स्थान पर शब्द "आधे से अन्यून" रख दिये जायेंगे।

(ख) मूल अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (5) के खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया खण्ड (ग ग) अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग ग) महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान लगातार दो कार्यकाल के लिये आरक्षित रहेंगे।"

अध्याय – तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961

धारा–6 क की उपधारा (2) एवं (3) का संशोधन एवं एक नई उपधारा का अन्तः स्थापन

4\. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–6 क में (क) उपधारा (2) एवं (3), में आये शब्द "एक तिहाई से अन्यून" के स्थान पर शब्द "आधे से अन्यून" रख दिये जायेंगे।

(ख) मूल अधिनियम की धारा–6 क की उपधारा (3) के बाद एक नई उपधारा (3 क) जोड़ दी जाएगी, अर्थात्–

"(3 क) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान लगातार दो कार्यकाल के लिए आरक्षित रहेंगे।"

धारा–7 क में एक नई उपधारा का अन्तः स्थापन

5\. मूल अधिनियम की धारा–7 क की उपधारा (3) के बाद एक नई उपधारा (3 क) जोड़ दी जाएगी, अर्थात्–

"(3 क) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित प्रमुखों के पद लगातार दो कार्यकाल के लिए आरक्षित रहेंगे।"

धारा–18 क में एक नई उपधारा का अन्तः स्थापन

6\. मूल अधिनियम की धारा–18 क की उपधारा (3) के बाद एक नई उपधारा (3 क) जोड़ दी जाएगी, अर्थात्–

"(3 क) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान लगातार दो कार्यकाल के लिए आरक्षित रहेंगे।"

धारा–19 क में एक नई उपधारा का अन्तः स्थापन

7\. मूल अधिनियम की धारा–19 क की उपधारा (3) के बाद एक नई उपधारा (3 क) जोड़ दी जाएगी, अर्थात्–

"(3 क) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पद लगातार दो कार्यकाल के लिए आरक्षित रहेंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के–

(1) खण्ड–3 को शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

धारा–12 की उप धारा–5 का प्रतिस्थापन–

"3 मूल अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं (ग) में आये शब्द "एक तिहाई से अन्यून" के स्थान पर शब्द "आधे से अन्यून" रख दिए जाएंगे।"

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, खण्ड–4 को शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाए। धारा–6क की उपधारा 3 का प्रतिस्थापन 4.

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6–क की उपधारा (2) एवं (3) में आये शब्द "एक तिहाई से अन्यून के स्थान पर शब्द आधे से अन्यून" रख दिये जायेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–4 विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अनिल नौटियाल–

खण्ड–5, 6 व 7 को निरसित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–5, 6 व 7 को निरसित कर दिया जाएं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो छोटा सा विधेयक जो लाना आवश्यक था चूंकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और नगरपालिका परिषद् और बोर्ड की समितियों के कार्य और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया था, इसके चलते हुए प्रशासक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया था। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये विधेयक लाया गया था श्रीमन्। जो पूर्व में अध्यादेश के रूप में लाया गया था और इसका रिप्लेसिंग बिल के रूप में लिया गया चूंकि व्यवहारिक रूप से

समयान्तर चुनाव नहीं हो रहा था और वर्तमान में ज्यों ही निर्वाचित नगरपालिका परिषद् और नगरपालिका के प्रतिनिधि चुने जायेंगे और उसके पश्चात् वे विधिवत् नगर पालिकाओं का कार्य सम्पादित करेंगे तब तक के लिए इन नगरीय निकायों में प्रशासकों के नियुक्ति के प्राविधान उपबन्धित किया जाना आवश्यक हो गया था, इसके दृष्टिगत रखते हुए अध्यादेश लाया गया था उसके तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गयी थी। सम्मानित सदन के सम्मुख विचारार्थ बिल को पारित करने की कृपा करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, नगर पालिका और नगर परिषद् जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के चुनाव समय पर ये सरकार नहीं करवा पायी, मेरे विचार से शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। लोकतांत्रिक जो संस्थाऐं हैं और चुनी हुई जो संस्थाएं हैं वहां पर प्रशासकों की नियुक्ति करना और पता नहीं सरकार कब तक चुनाव करेगी, जो अच्छे और सामाजिक सुधारक लोग हैं और इससे जुड़े हुए लोग हैं, अगर वे लोग न्यायालय की तरफ नहीं जाते, माननीय उच्च न्यायालय का यहां पर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम जो ये संवैधानिक संस्थान है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न है, इसको सुनने में क्या परेशानी है? कृपया सुन लें, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य के बारे में सदन में कहना उचित नहीं होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी, अपने आप में एक विद्वान सदस्य हैं और पुराने सदस्य भी हैं तथा अच्छी तरह वे जानते हैं कृपया उन्हें अपनी बात कहने दें।

(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था निरस्त कर दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह व्यवस्था निरस्त कर दी है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ आपने पुनः बोलने का अवसर दिया धन्यवाद। मान्यवर, जो हमारा संविधान है और विशेषकर जो हमारी संविधान की भावना है कि इन सब निकायों के चुनाव समय पर होने चाहिए। इसके प्रतिकूल सरकार आचरण कर रही है। जो हमारा संविधान संशोधन 73–74 है उसके उल्टा काम ये सरकार करने जा रही है जिससे चुनाव समय पर नहीं हो पाये। हो सकता है प्रशासकों के साथ इनकी क्या सैटिंग है कि अगले चुनाव में अपने लोगों को चुनाव जितायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपनी बात को सीमित करें माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सरकार के इस कृत्य की निन्दा करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी ने अपना संशय रखा और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि संविधान के अन्तर्गत नगरपालिका के जो उपबन्ध दिये गये हैं जो "243 प" में, वह यह है कि "प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं रहेगी।

मान्यवर, अर्थात् उसको 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करना होगा यह इसमें आवश्यक रूप से उपबन्धित कर दिया गया और इसके बाद भी अगर कभी कोई नगरपालिका विघटित की जायेगी तो उसको विघटन करने के लिए भी इसमें उपबन्ध

दिया गया है कि परन्तु किसी नगरपालिका का विघटन करने से पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जायेगा। अर्थात् इसका जो कार्यकाल पांच वर्ष का है उसको कम नहीं किया जा सकता और ये नगरपालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल 14 फरवरी, 2008 को पूर्ण हो रहा था और 14 फरवरी, 2008 एक ऐसी तिथि थी जिस तिथि को नगरपालिका और नगर पंचायतों का चुनाव करवाना सम्भव नहीं था। श्रीमन् सम्भव इसलिए नहीं था क्योंकि लोक सभा के निर्वाचन की तिथियाँ घोषित हो चुकी थी और 24 फरवरी, 2008 उसके लिए तिथि निश्चित हो चुकी थी। अब लोक सभा निर्वाचन के साथ-साथ हम नगरपालिका निर्वाचन करने की स्थिति में नहीं थे और इसको दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया और यह निर्णय चूंकि अत्यावश्यक था और यह निर्णय यदि हम इससे, अब माननीय सदस्य यह भी प्रश्न कर सकते हैं कि क्या उससे पहले आपने क्यों नहीं किया तो हम निर्वाचित पंचायतों को, निर्वाचित स्थानीय निकायों को भंग नहीं करना चाहते थे। इसलिए 14 फरवरी तक उनके कार्यकाल को रखा गया और उसके तत्काल बाद परिस्थितियाँ अनुकूल हुई तो उसके निर्वाचन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी। इसी के तहत चूंकि 14 फरवरी को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया और उसके तहत यह प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की गयी।

श्रीमन्, सरकार का कोई ऐसा मंतव्य नहीं है और सरकार स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि हम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आधार पर ही यह प्रक्रिया संचालित करना चाहते हैं इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह छोटा सा विधेयक रखा गया है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–6 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008

(विधेयक संख्या .... वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के लिये अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1)–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 10 क में एक नई उपधारा (4) का अन्त स्थापन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–10 क के अन्त में निम्नलिखित एक नई उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

"(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी नगर पालिका का, उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यवहारिक न हो, वहाँ ऐसी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की समस्त शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों का प्रयोग

एवं कार्यान्वयन, जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो उप जिलाधिकारी के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी, 'प्रशासक' कहलायेगा, और ऐसे प्रशासक को विधिक रूप में नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, अध्यक्ष या समिति, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छः मास या नये बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

धारा-10 कक का निरसन

3. मूल अधिनियम की धारा-10 कक एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

मूल अधिनियम की धारा-13 ग के खण्ड (घ) का निरसन

4. मूल अधिनियम की धारा-13 ग के खण्ड (घ) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

धारा-13 घ में एक नये खण्ड का अन्तःस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा-13 घ के खण्ड (ठ) के पश्चात् एक नया खण्ड अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

"(ड) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो।"

निरसन और अपवाद

6. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष–

वैसे तो परम्परा यही है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण से ही यह चर्चा आरम्भ होती परन्तु दुर्भाग्यवश अनुपस्थिति के कारण उस समय चर्चा आपके भाषण से नहीं हो सकी है। अब कृपया अपने विचार रखें।

नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि "मंजिलें उनको मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं बुलन्द हौसलों से उड़ान होती है।" माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपना बजट भाषण है उसका मैंने अध्ययन किया और मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था जब जिन हाथों में जाती है इसका स्वरूप उसी रूप में हो जाता है। जब यह व्यवस्था राम–कृष्ण के हाथों में जाती है तो यह मुक्ति का द्वार बन जाता है और जब यही व्यवस्था कबीर और रहीम के हाथों में जाती है तो यह भक्ति का द्वार बन जाती है और जब यही व्यवस्था नेहरू जी के हाथों में जाती है, शास्त्री जी के हाथों में जाती है तो युक्ति का प्रतीक बन जाती है और जब यही व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, इन्दिरा जी के हाथों में, झांसी की रानी के हाथों में जाती है तो यह शक्ति का प्रतीक बन जाती है और जब यही व्यवस्था राजीव जैसी युवा शक्ति

के हाथों में जाती है तो यह उन्नति का प्रतीक बन जाती है और जब यही व्यवस्था अशक्त हाथों में जाती है तो अशक्ति का प्रतीक बन जाती है और जब यही व्यवस्था भ्रष्ट हाथों में जाती है तो यह व्यवस्था विरक्ति का प्रतीक बन जाती है और आज माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे बजट भाषण को पढ़ने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि आज ऐसे कमजोर हाथों में यह व्यवस्था है, भले ही पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का प्रयास हुआ हो, यह सख्त व्यवस्था है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ऐसे कमजोर हाथों में यह व्यवस्था है और ये आंकड़े परिलक्षित हैं।

मान्यवर, कुल प्राप्तियाँ 12112.38 करोड़, कुल व्यय 12441.32 करोड़, सम्मेकित घाटा माननीय अध्यक्ष जी, 328.94 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति को सरकार ने दिखाने का प्रयास किया है 10456.56 करोड़, राजस्व व्यवस्था दिखाने का प्रयास 8662.51 करोड़ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने यह जो आंकड़ों का हेरफेर किया है, मैं बहुत नम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यह सरकार के आंकड़े हैं और जो यह सरकार ने सरप्लस बजट दिखाने का प्रयास किया है यह केवल, लाभ का बजट को दिखाने का प्रयास किया है। यह केवल इस सरकार की देन नहीं है, पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉंग्रेस की सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में, मान्यवर, यह ग्राफ बता रहा है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह मेरा ग्राफ नहीं है।

मान्यवर, 2005–06 में जो वास्तविक आंकड़े हैं हम उस लिहाज से आमदनी और व्यय में बराबर आ गये थे। जो घाटा था वर्ष 2001–2002 में 2002–2003 में 2003–2004 में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी का कुशल वित्तीय प्रबन्धन एवं वित्तीय अनुशासन था और जो वित्तीय ज्ञान था उसके आधार पर 2006–2007 में हमें 896.37 लाख का बजट का राजस्व फायदा था, वह इस आंकड़े से परिलक्षित होता है। मान्यवर, 2006–2007 में 896.37 और वर्ष 2007–08 में इन्होंने 943.91 लाख के फायदा का बजट दिया है और इस समय 1794.03 के आंकड़े दिये हैं यह एक अनुमानित आंकड़ा दिया है।मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो यह सरकार सरप्लस बजट प्रस्तुत करने में अपनी पीठ थपथपा रही है। यह केवल इस सरकार का प्रयास नहीं है, यह प्रयास पूर्ववर्ती कॉंग्रेस सरकार और माननीय तिवारी जी के वित्तीय अनुशासन, वित्तीय कुशलता और जो वित्तीय बुद्धिमता का प्रयोग किया गया है यह इसी का परिणाम आज सामने दिखायी देने लगा है। इस सरकार ने वार्षिक योजना, बहुत बड़ी लम्बी–चौड़ी बातें हुई हैं और एक संदेश पूरे प्रदेश में देने की कोशिश की गयी कि सरकार ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। कॉंग्रेस सरकार ने, वर्ष 2005–2006 में वार्षिक योजना थी 2700 करोड़ की और वर्ष 2006–07 में

4000 करोड़ की वार्षिक योजना कॉंग्रेस सरकार ने इस प्रदेश में लाकर एक अपनी आप में कीर्तिमान स्थापित किया है।

मान्यवर, यह वार्षिक वृद्धि 48 प्रतिशत हुई है। अब इस सरकार की बात कहना चाहता हूँ। वर्ष 2007-2008 में 4378 करोड़ की वार्षिक योजना इस सरकार ने बनायी और इस वर्ष सरकार ने 2008-09 में भी रु0 4775 करोड़ की वार्षिक योजना बनायी है। मान्यवर, यह वृद्धि का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है यह मात्र 8 से 10 प्रतिशत के बीच में है। कॉंग्रेस सरकार में 48 प्रतिशत वार्षिक बजट की वृद्धि हुई है। इस शासन काल में वर्ष 2007-08 में रु0 4378 करोड़ और इस समय 4775 करोड़ है, इस तरह से यह वृद्धि मात्र 8 से 10 प्रतिशत तक की है। मान्यवर, महंगाई 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक बढ़ी है। मान्यवर, जिस चीज की कीमत आज तीन साल पहले 10 रु0 थी, उसकी कीमत आज 18 रु0 हो गयी है और जिस की कीमत पहले 100 रु0 थी, उसकी कीमत आज 180 रु0 की हो गयी है। इस तरह से महंगाई लगभग 50 से 80 प्रतिशत के बीच बढ़ गयी है और जो इस सरकार की वार्षिक योजना वृद्धि है वह मात्र 8 से 10 प्रतिशत के बीच में है।

मान्यवर, यह सरकार इस बजट के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, यह निश्चित रूप से इस सरकार के वित्तीय कुशासन को भी दर्शाता है। मान्यवर, वैट के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही गयी हैं कि सरकार ने इस को रोकने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में भी महंगाई को कम करने की बात की गयी थी। मान्यवर, इसमें आंकड़े उन्होंने दिये थे, तमाम तरह के तुलनात्मक उदाहरण थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चुनावी भाषण था, हमने अखबारों के विज्ञापनों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से खण्डूड़ी जी का भाषण सुना था। उन्होंने कहा था, 15 दिन के अन्दर हम इस प्रदेश में महंगाई को कम कर देंगे। पिछले साल में तो इस बारे में कोई प्रयास नहीं हुआ, इस साल प्रयास हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या प्रयास हुआ है, उसे मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा हम आटे का वैट चार प्रतिशत से एक प्रतिशत करेंगे, तीन प्रतिशत कम किया है मैदे में चार प्रतिशत से एक प्रतिशत करेंगे, सूजी पर एक प्रतिशत किया है, बेसन पर एक प्रतिशत किया है, दालों पर एक प्रतिशत किया है। चावल पर पहले भी 4 प्रतिशत था और आज भी 4 प्रतिशत है।

मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आटे पर जीरो प्रतिशत वैट है, मैदे पर जीरो प्रतिशत है, सूजी पर जीरो प्रतिशत है। देशी घी पर यहां साढ़े बारह प्रतिशत वैट है, उत्तर प्रदेश में एक प्रतिशत वैट है। बेसन पर यहां पर एक प्रतिशत वैट है, उत्तर प्रदेश में जीरो प्रतिशत है। दालों में यहा पर एक प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में जीरो प्रतिशत है। चावल में यहा पर भी 4 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में भी 4 प्रतिशत है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार ने वैट कम करके महंगाई को कम करने का प्रयास किया है। अभी 16 रुपये किलो आटा बिक रहा है, अब कितने में बिकेगा, इस बारे में कल मैंने यहां के व्यापारियों को बुलाकर पूछा कि चार प्रतिशत से कम करके एक प्रतिशत वैट हुआ है, इसके कारण कितना आटा सस्ता होगा और दालें कितनी सस्ती होंगी? तो उनका कहना था कि एक रुपये बीस पैसे का अन्तर आएगा। बड़ी मुश्किल से डेढ़ रुपये का अन्तर आएगा। जो सोलह रुपये किलो आटा बिक रहा था, वह बड़ी मुश्किल से साढ़े चौदह, पन्द्रह रुपये किलो बिकेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि महंगाई इस तेजी से बढ़ रही है। अगर यह सरकार वास्तव में इस प्रदेश में महंगाई कम करना चाहती थी तो उसके लिए इस सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। यह कदम उठाये जाने चाहिए थे कि बी०पी०एल० परिवारों को जिस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी देकर सस्ता अनाज दिया जाता है, वह करते और हिन्दुस्तान के अन्दर अनेक प्रदेशों के समान अपने स्रोतों के आधार पर उन परिवारों को, जो बी०पी०एल० श्रेणी में हैं लेकिन किसी गलती की वजह से बी०पी०एल० की श्रेणी में वे परिवार नहीं आ पाये हैं, लेकिन ये परिवार सचमुच गरीब हैं, ऐसे परिवारों की सूची बनाकर, उनको चिन्हित करके उन परिवारों को, जो बी०पी०एल० की सूची में नहीं आ पाए लेकिन सचमुच गरीब हैं, उन परिवारों को प्रदेश सरकार अपने स्रोतों से साधन जुटा कर उन परिवारों को गेहूँ चावल और सस्ता अनाज मुहैया करा सकती थी। लेकिन इस सरकार ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी–बड़ी बातें हुई हैं। राज्य की जो आय है, वह कहां से होती है, रुपया कहाँ से आता है? यह चार्ट सांख्यिकी विभाग का है यह सरकार बहुत बड़ी–बड़ी बातें करती है और कहती है हमने बहुत वित्तीय अनुशासन किया है तब हमने एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह चार्ट बताता है कि जो सबसे अधिक 38.50 प्रतिशत प्रदेश को राजस्व प्राप्ति होती है, वह केन्द्र सरकार के अनुदान से होती है। दूसरे नम्बर पर अपने स्रोतों से, अपने स्वयं के राजस्व से जो प्राप्ति होती है, वह 25.2 प्रतिशत होती है।

माननीय अध्यक्ष जी, रुपया कहाँ जाता है? सरकार का सबसे अधिक 26.28 प्रतिशत व्यय वेतन भत्तों तथा मजदूरी आदि में होता है। दूसरे नम्बर पर, जो निर्माण कार्य हैं, उनमें 21.24 प्रतिशत व्यय होता है। पेंशन आदि में 5.85 प्रतिशत व्यय होता है। ऋणों के निवेश का ब्याज चुकता करने में 10.09 प्रतिशत व्यय होता है। मान्यवर, सरकार ने अपने स्तर पर कोई वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास नहीं किया है, जिससे यह कहा जाता सकता है कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि वित्तीय अनुशासन स्थापित करने में रही है और यह सरकार अच्छा बजट देने में सफल हो पाई है।

माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ और एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष इस सरकार ने अपना लक्ष्य 461.98 करोड़ रुपये का रखा था और जिसमें पिछले दो महीने, जो आबकारी के बजट के थे, उनको भी जोड़ दिया गया था तथा इस लक्ष्य के सापेक्ष विभाग को वित्तीय वर्ष 2007-08 में 375 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है और इस वर्ष इन्होंने 501 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, जब 461 करोड़ रुपये के सापेक्ष आबकारी में इनकी आमदनी 375 करोड़ ही ला पाये तो मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूँ कि यह सरकार लक्ष्य तो रखती है, लेकिन लक्ष्य के प्रति सरकार गम्भीर नहीं रहती है। अच्छा बजट दिखाने के लिए सिर्फ अनुमानित राजस्व प्राप्तियां दिखाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार ने जो लक्ष्य 501 करोड़ का रखा है, उसको एकबार भी वह नहीं कर पायेगी। इसके अलावा मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में एक निर्णय दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल एवं स्कूल से शराब की दुकानें 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। लेकिन पूरे प्रदेश में तमाम ऐसी शराब की दुकानें खुली हैं जो 100 मीटर के दायरे के अन्दर है और यह निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना और संविधान की भावना के खिलाफ है।

मान्यवर, स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है कि इसे 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है, एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी घटा दी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहले तो आपने सर्किल रेट को 100 से 400 प्रतिशत तक बढ़ा दिया और जब हमने, विपक्ष के सदस्यों ने सदन के अन्दर हो-हल्ला किया और आपके माध्यम से सरकार के सामने अपनी बात को रखा और जनान्दोलन हुआ, जनता ने विरोध किया तो सरकार ने जनता के दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर सर्किल रेट को कम किया।

मान्यवर, इसमें कितनी सफाई से खेल खेला गया कि पहले तो सर्किल रेट को 100 से 400 प्रतिशत तक बढ़ा दिया और जब जनदबाव हुआ बाद में इसे 100 से 150 प्रतिशत तक कम कर दिया गया। उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ कि यदि राजपुर में किसी जमीन के सर्किल रेट आपने 400 प्रतिशत बढ़ा दिये और बाद में उसे 150 प्रतिशत घटा दिया तो फिर भी पहले की अपेक्षा उसका सर्किल रेट में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मान्यवर, कोई चीज यदि 100 रुपये की थी और उसका दाम 400 रुपये कर दिया गया और बाद में उसे घटाकर 250 रुपया कर दिया, 100 रुपये में प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी थी बाद में 250 रुपये पर 7 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी हो गई तो इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 100 रुपये में 7 रुपया 200 रुपये में 14 रुपया और 250 रुपये में साढ़े तीन रुपया, कुल मिलाकर 17.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार से जमीन के एक्चुअल सर्किल रेट में 17.50 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी की वृद्धि है। जब कोई जमीन खरीदेगा तो उस व्यक्ति को 17.50 प्रतिशत ज्यादा दर पर जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी।

मान्यवर, मैं खुले शब्दों में इस प्रदेश सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि यहां की सरकार ने यहां के गरीबों को भूमिहीन बनाने का अभियान चलाया है, सरकार यह प्रयास कर रही है कि यहां के लोग जमीन को नहीं खरीद सकें, रजिस्ट्री न कर सकें।

मान्यवर, खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए सरकार बाध्य कर रही है मेरा आरोप है कि सरकार आंकड़ों में हेर-फेर करके यह साबित करने का प्रयास कर रही है लेकिन इस प्रदेश की गरीब लोगों की जेब पर डकैती डालने का प्रयास कर रही है। मनोरंजन कर को 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। आप 30 प्रतिशत भी कर दें तो भी हमारे सिनेमा हॉल बन्द होने के कगार पर हैं। आज हमारा जो सिनेमा उद्योग है, वह बन्दी के कगार पर है। यदि आप सिनेमा उद्योग को बचाना चाहते हैं तो इस कर को शून्य होना चाहिए। यदि आप इसे 10 प्रतिशत भी करेंगे तब भी आपको ज्यादा आमदनी होगी। अधिक से अधिक लोग पिक्चर हॉल में जायेंगे। उससे यह उद्योग बच सकता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर सिनेमा उद्योग को बचाना है तो मनोरंजन कर को कम किया जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य था 2009 तक प्रत्येक गाँव को विद्युतीकृत करने का। इस सरकार ने भी उसी लक्ष्य को बल देने का प्रयास किया है। भारत सरकार की राजीव गांधी

विद्युतीकृत योजना में 90 प्रतिशत अनुदान मिलता है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से 10 प्रतिशत अनुदान मिलता है लेकिन इसके बाद भी जिस प्रकार से यह सरकार कछुए की चाल से चल रही है, मुझे नहीं लगता कि 2009 तक हर परिवार को विद्युत से जोड़ने का लक्ष्य, यह भारत सरकार का लक्ष्य है, यह लक्ष्य इस सरकार की चाल से मुझे नहीं लगता कि उसकी पूर्ति हो सकेगी। उन्होंने चिन्हित किया है कि सर्वे करवाया है कि 25 हजार मेगावाट बिजली गंगा, यमुना और इस प्रदेश की सहयोगी नदियों के माध्यम से उत्पादित की जा सकती है। अभी हम 25 हजार मेगावाट के लक्ष्य के विरुद्ध काफी पीछे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में जहां हम 21वीं, 22वीं सदी में जाने की बातें कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे लेकिन सरकार इस दिशा में कोई गम्भीर कदम नहीं उठाने जा रही है।

मान्यवर, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार ने इसके लिए 189.55 करोड़ की व्यवस्था की है। वृहद योजना के लिए 60 करोड़ की है। मैं कहना चाहता हूं कि अकेले मेरे विधानसभा क्षेत्र में भैरवगढ़ी पम्पिंग योजना 30 करोड़ की है इसमें एक करोड़ रुपया पिछली सरकार ने दिया था अब यह 60 करोड़ आपने केवल वृहद पम्पिंग योजना के लिए व्यवस्था की है। अब अकेले केवल खिर्सू की भी योजना है इसी तरह से हमारे अन्य साथियों के क्षेत्रों की भी योजनाएं होंगी। मैं नहीं समझता हूं कि 60 करोड़ का अल्प प्रयोजन करके यह सरकार लोगों की प्यास बुझाना चाहती है इससे तो यह लगता है कि यह सरकार प्रदेश के लोगों को प्यासा मारना चाहती है जलकर और सीवर कर के बारे में 24 करोड़ रुपया माफ कर दिया। यह कॉंग्रेस की सरकार में घोषणा हुई थी कि इस प्रदेश में किसी से जल कर और सीवर कर नहीं लिया जायेगा और इसमें आदेश भी जारी हुए थे। (व्यवधान) अच्छा होगा मुख्यमंत्री जी जवाब दें।

मान्यवर, आपको बहुत मौके मिलते हैं क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी तो बीच–बीच में मौका ढूंढ लेते हैं, खण्डूड़ी जी उनको फिर भी मंत्री नहीं बना रहे हैं। पिछले एक साल से वह अपनी होशियारी, अपनी उपलब्धता दिखाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिफारिश कर रहा हूं। (व्यवधान)

मान्यवर, भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता और भाग्य से कम कुछ नहीं मिलता है, हम तो कर्मयोगी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमने 24 करोड़ सीवर कर और जल कर माफ कर दिया है, जब तक कॉंग्रेस की सरकार थी तब तक सीवर कर और जल कर की वसूली बिल्कुल नहीं

हो रही थी, वह तो तिवारी जी की सरकार ने कर दिया था, इन्होंने तो पुरानी सरकार की उपलब्धियों को अपने खाते में डाल कर अपनी पीठ थपथपायी है। मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को अपना आत्म चिन्तन और आत्म मंथन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, परिवहन विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि नई बसें खरीदने के लिए इस सरकार ने कोई प्राविधान नहीं किया है। हमारे उत्तराखण्ड में नैशनल गेम होंगे, दिल्ली सरकार ने आधुनिक बसें खरीदने की बात कही है। लेकिन इस सरकार ने औली और देहरादून में जो नैशनल गेम होंगे, उसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। पी0डब्ल्यू0डी0 के मामले में कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बजट में व्यवस्था 01 हजार 58.25 करोड़ की है, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बार बजट में इनकी जो व्यवस्था थी वह 845.45 करोड़ की थी।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो आपके माध्यम से सरकार को सुनाना है, मेरा मालूम आपकी तरफ जायेगा तो तब यह बात सरकार की तरफ बहुत मजबूती से जायेगी और पीठ की ताकत भी इसमें जुड़ेगी तो सरकार पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा। इसमें इन्होंने 158.25 करोड़ की बजट में व्यवस्था की जबकि पिछली बार 845 करोड़ था। वर्ष 2006–07 में तिवारी जी की सरकार थी उसमें 750.89 करोड़ का प्राविधान था। जिस तरह से हमने सर्किल रेट के मामले में उदाहरण दिये। आज से चार महीने पहले सरिया की कीमत 2600 रुपये कुन्तल थी, आज सरिया की कीमत 3500 रुपये कुन्तल हो गई है। सीमेन्ट के दाम में 400–500 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि महंगाई इतनी तेजी के साथ बढ़ी कि आपने सड़क जैसी व्यवस्था को, माननीय मुख्यमंत्री जी तो देश के भूतल परिवहन मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने देश में चतुर्भुज योजना की बात भी की थी, यह बात ठीक है इन्होंने तो केवल चार शहरों को जोड़ने की बात की थी, वर्तमान कॉंग्रेस सरकार ने पूरे देश के गाँव को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत और राजीव गाँधी ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ने की बात की है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सड़कों के मामले में वृद्धि का प्रतिशत का अनुपात है वह इतना कम है कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। मेरी हमेशा से सोच रही है कि हमें गाँव का विकास करना है, किसी विकास खण्ड का विकास करना है, विकास के लिए सबसे आवश्यक है यातायात का होना, यातायात के लिए सबसे आवश्यक है सड़कों का निर्माण होना। अगर गाँव में सड़क बनेगी तो गाँव में मास्टर भी रहेगा, गाँव में चिकित्सक भी रहेगा, गाँव में ग्राम विकास अधिकारी भी आयेगा, गाँव में विधायक भी आयेगा, गाँव में मंत्री का भी दौरा होगा और कभी–कभी मुख्यमंत्री का भी दौरा होगा। अगर यातायात की

सुविधा नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम कितना ही सरप्लस बजट की बात करें, लेकिन जो हमारा सपनों का प्रदेश था, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के गठन की बात कही है। एक तरफ माननीय अध्यक्ष जी, लगातार यह बात पूर्व में हुई है कि हमारा प्रदेश छोटा प्रदेश है इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक निगमों की आवश्यकता नहीं है। उसी के तहत ही कर्मचारी कल्याण निगम का गठन इस प्रदेश में नहीं हुआ। मैंने अपनी सरकार में रहते हुए जब मैं खाद्य मंत्री था तो मैंने कर्मचारी कल्याण निगम के गठन की लगातार पैरवी की थी लेकिन प्रदेश में एक सहमति बनी कि नये निगमों का गठन प्रदेश में नहीं होना चाहिए। अब उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के गठन की बात सरकार द्वारा कही गई है। निश्चित रूप से प्रदेश के लिए यह एक व्यय भार बढ़ाना होगा उसमें कुछ अधिकारियों को उसका चेयरमैन बनाकर उनको जिम्मेदारी देकर कुछ लोगों को खुश करने की पहल हो सकती है, जिसकी मैं निन्दा करता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार का जो रूरल हैल्थ मिशन है उसका जिक्र इस बजट में नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप भी बाहर जा रहे हैं। मेरी आवाज आपको बाहर भी सुनाई पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष–

शिक्षा पर तो अलग से चर्चा होनी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, स्वास्थ्य में केवल 323.26 करोड़ का प्राविधान किया है। मान्यवर, जो कि केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि है। मैं सोचता हूँ कि स्वास्थ्य जैसे विषय पर यह वृद्धि बहुत कम है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवनों के निर्माण की बात नहीं की है और न ही बजट में इसके लिए कोई प्राविधान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में और उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में उपकेन्द्रों और फार्मासिस्टों के पदों के सृजन के बारे में सरकार ने बजट में कोई जिक्र नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी समाज के लिए और देश के लिए शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षकों के योगदान का देश और प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। यदि शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा तो निश्चित रूप से देश और हमारे प्रदेश का स्तर ऊँचा होगा। किन्तु सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए कोई योजना ऐसी नहीं बनाई जिससे हम कह सकें कि इस प्रदेश की शिक्षा का स्तर और

उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई गम्भीरता से प्रयास किये हों और न ही सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया है। चाहे वह कम्प्यूटर शिक्षा का मामला हो। पिछली सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षा के लिए काफी कुछ प्रयास किये लेकिन वे प्रयास इतने पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी उनके नतीजे भी सामने आये। लेकिन वह प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा नहीं किये जा रहे हैं। जो प्रयास किये जा रहे हैं, वे उतने पर्याप्त नहीं हैं। आज हम कह सकते हैं कि तमाम विद्यालयों में जो कम्प्यूटर लगे हुए हैं वे विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण, विद्युत के अभाव के कारण व जनरेटर न होने के कारण खराब हो गये हैं। कम्प्यूटर शिक्षा की आज हाथी के दांत जैसी स्थिति बनी हुई है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और होते हैं।

* मुख्यमंत्री (मे0ज0 (अ0प्रा) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0)–

मान्यवर, पिछली सरकार की तारीफ कर रहे हैं या उसकी कमियाँ बता रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

कमियाँ भी बता रहा हूँ और अच्छाईयाँ भी बता रहा हूँ। मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कम्प्यूटर शिक्षा की एक नींव रखी थी और उम्मीद करते थे कि उस नींव पर भव्य इमारत इस सरकार द्वारा खड़ी की जानी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे उस नींव पर भव्य इमारत खड़ी की जा सके। मान्यवर, यह सही है कि एक साल का कार्यकाल किसी भी सरकार के लिए बहुत अधिक नहीं होता है और इस बात को हमारे साथी भी जानते हैं कि एक साल में पाँच साल के बराबर काम किया जा सके। लेकिन एक साल का समय इतना कम भी नहीं होता कि जो नींव रखी गई विकास की हो या शिक्षा की, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने एक साल में एक साल के बराबर भी काम नहीं किया। पर्यटन के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने 81.76 करोड़ का प्राविधान किया है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के लिए 6 करोड़ का प्राविधान किया गया है जबकि 10 करोड़ का प्राविधान करना चाहिए था। मान्यवर, दो क्षेत्रों ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी–बड़ी बातें सरकार द्वारा की जाती हैं लेकिन सरकार ने दोनों ही क्षेत्रों में कोई ऐसी पहल नहीं की, चाहे वह साहसिक एडवैंचर हो।

मान्यवर, साहसिक पर्यटन के रूप में ऐसी कोई भी नीति इस सरकार द्वारा नहीं बनायी गयी जिससे साहसिक पर्यटन से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़े और प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तराखण्ड प्रदेश अपने आप में एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल रहा है और त्रिवेणी के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। प्रदेश में हेमकुण्ड साहिब, पिरान कलियर शरीफ, नानकमत्ता जैसे अनेकों ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं लेकिन सरकार ने यहां पर एक साल में कोई ऐसी योजना नहीं बनायी जिससे पर्यटकों के लिए ये आकर्षण के केन्द्र बन सकें और न ही इन जगहों का सौन्दर्यीकरण किया गया।

मान्यवर, हमारा प्रदेश देश और विदेशों में पर्यटन के दृष्टिकोण से और धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध रहा है लेकिन सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में जनता के सामने यह स्पष्ट कहा और उल्लिखित किया था कि हमारी सरकार के पर्यटन मंत्री थे, वे 17 बार विदेश यात्रा में गये वहाँ से पर्यटन के क्षेत्र में अनुभव व ज्ञान अर्जित करके आये, आपके तमाम साथियों ने कहा था कि पर्यटन के नाम पर कॉग्रेस सरकार के पर्यटन मंत्री ने विदेश यात्री की है, हम उनकी जाँच करायेंगे और यह आपके चुनाव घोषणा-पत्र में भी था। दो जाँच मुख्य रूप से थी, शराब बिक्री की माँग और पर्यटन के रूप में कॉग्रेस सरकार में मंत्री की विदेश यात्रा। माननीय खण्डूड़ी जी भी उस बात से सहमत थे। मैं अपनी सरकार के पर्यटन मंत्री जी की बुराई कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारे साथी कह रहे थे कि सारंगी के सुर में सुर मिला रहे हैं। जैसे सुर बजता है सब लोग सुर से सुर मिलाने लगते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ और मैं इस बात से सहमत हूँ कि चाहे हमारी ही सरकार के क्यों न हो, पर्यटन मंत्री द्वारा जो 17 बार विदेश यात्रा की और धन का दुरूपयोग किया, निश्चित रूप से आपने पिछली सरकार से जाँच की माँग की थी कि प्रदेश में सबसे बड़ा शराब का घोटाला और सबसे बड़ा विदेश यात्रा घोटाला हुआ था। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, मैं पर्यटन पर और शराब पर चर्चा करते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा उनके तमाम साथियों की बातों से सहमत हूँ, उनके मैनीफेस्टो से भी सहमत हूँ। पटवारी भर्ती घोटाला था इससे मेरा ताल्लुक रहा, पटवारी भर्ती के घोटाला की जाँच कर लें। आपने एक आयोग बनाया है, पुलिस घोटाला उच्च न्यायालय में चल रहा है। सरकार सच्चे मन से अगर भ्रष्टाचार की जाँच कराना चाहती, जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने उस समय भी कहा था कि अगर 99.9 प्रतिशत तो क्या यदि आपकी जाँच में 0.1 प्रतिशत भी हरक सिंह रावत की कमी निकल जायेगी तो हरक सिंह इसी सदन के अन्दर मंत्री पद का त्याग कर देगा। यदि यह सरकार सचमुच में भ्रष्टाचार की मुहिम को लिये है तो माननीय अध्यक्ष जी, पटवारी भर्ती जाँच कराये, शराब के घोटाले की जाँच कराये सरकार, हमारे पर्यटन मंत्री जब विदेश गये थे, उसकी भी जाँच करें। तो मैं इस सरकार को कहूँगा कि सचमुच ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मिटाने की मुहिम को लिए हुए है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक पर्यटन मास्टर प्लान लागू इस सरकार ने नहीं किया है, न ही इस प्रदेश में कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिससे हम ये कह सकें कि यह सरकार गम्भीर है। एक बात और कहना चाहता हूँ जब मैं आपदा प्रबन्धन मंत्री था तो पेड़ से गिरने पर, सांप के काटने पर, पहाड़ से गिरने पर इस तरह की हमारे प्रदेश में ऐसी घटना रोज ही होती रहती हैं। उत्तराखण्ड में पेड़ों से गिरने या सांप के काटने से या फिर बिजली गिरने से काफी आपदायें आती हैं इसके लिए भारत सरकार द्वारा कोई आपदा राहत नहीं दी जाती।

माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन सांप के काटने से लोग घायल हो जाते हैं मृत्यु हो जाती है उन गरीब परिवार को, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए कोई उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है कि वे अपने को राहत पहुंचा सकें। लेकिन इसमें इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का प्राविधान होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि वास्तव में हम उन असहाय लोगों की मदद कर सकें।

राज्य कर्मचारियों के मामले में कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, छठे वेतनमान की बात पर पूरे देश में चर्चा हो रही है मैंने रेलवे विभाग का बजट पढ़ा है। रेलवे विभाग का भी छठा वेतनमान दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजे के अन्दर घुस गया है। आज से एक साल पहले हम कहते थे कि यह दरवाजे पर दस्तक दे रहा है लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि यह दरवाजे के अन्दर प्रवेश कर रहा है लेकिन इस बजट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया। इस तरह का प्राविधान नहीं किया गया। टोकन मनी का प्राविधान नहीं किया गया कि हम इस प्रदेश में, देश में छठा वेतनमान लागू होता है, भारत सरकार छठा वेतनमान लागू करती है तो हम अपने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए उनको छठे वेतनमान देने के लिए, जो वेतन आयोग की संस्तुतियाँ होंगी तद्नुसार इस प्रदेश में अपने कर्मचारियों को छठा वेतनमान लागू किया जायेगा इस तरह का कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया।

औद्योगिक विकास के मामले में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं उनके बयान अखबारों में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हम इस प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, कथनी और करनी में अन्तर होता है। वास्तव में आज जो इस प्रदेश का औद्योगिक विकास है, औद्योगिकीकरण का एक ढांचा जो पिछली सरकार के द्वारा खड़ा किया गया था। आज वह ढांचा ढहने के कगार पर खड़ा हो गया है और ऐसी परिस्थितियाँ हो गयी

हैं कि इस प्रदेश से औद्योगिक विकास और फैक्ट्रियाँ, फैक्ट्री मालिक अपने इस प्रदेश से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास का जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ वृद्ध, विधवा और विकलांगों के लिए। मैंने पिछले बजट सत्र में कहा था कि हमारी सरकार ने 133 प्रतिशत पेंशन में वृद्धि की थी। हमने 400 रु0 प्रति वृद्ध, विधवा, विकलांग को पेंशन देने की बात की थी। यह बात ठीक है कि भारत सरकार ने सार्वभौमिक वृद्ध पेंशन योजना चलाई है और प्रदेश सरकार ने भी उसको अपने यहाँ कार्यान्वित करने की बात कही है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पेंशन को बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है मैंने पिछले बजट सत्र में भी कहा था कि इस प्रदेश में उन लोगों को, जो वृद्ध हैं विधवा हैं, विकलांग हैं, उनको, सम्मान की जिन्दगी जीने का एक अधिकार होना चाहिए। रु0 400 में कोई वृद्ध, विधवा, विकलांग अपना जीवन-यापन नहीं कर सकता। हम जब गाँव के दौरे पर जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं असहाय जीवन जी रहे हैं। हमने कहा था मान्यवर, पिछले सत्र में कि 1000 रु0 कम से कम उनकी पेंशन होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस पर कोई प्रयास नहीं किया है। एक जिक्र और करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, जब पिछला चुनाव था तो यह बातें हुई कि लाल बत्तियाँ बाँटी गयी। माननीय अध्यक्ष जी, एक पूरा अभियान कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ हमारे मित्रों ने चलाया कि कॉंग्रेस की सरकार में तीन सौ लाल बत्तियाँ बाँटी गयी।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे शर्म के साथ और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लालबत्ती तो नहीं बाँटी हैं। तीन सौ लालबत्ती से तो परहेज किया है लेकिन वेतनमान, मानदेय दे रहे हैं। आज मुझसे कोई कह रहा था। मैंने कहा कि आप क्या हो तो उसने कहा कि मैं उपाध्यक्ष हूँ। उसने कहा कि कोई कहता है कि ये सात हजारी हैं, ये आठ हजारी है और ये दस हजारी। अब ये नये-नये नाम दिये जा रहे हैं दर्जाधारी के बजाए, राज्य मंत्री, उप मंत्री के बजाए कि इनको राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसका जिक्र न करते हुए आज यह चर्चा पूरे प्रदेश में है कि यह आठ हजारी है यह दस हजारी है आवास के भत्ते में इतनी वृद्धि हुई है।

मान्यवर, आज आवास भत्ता आपने 5000 कर दिया, तो यह राज्य हमने इसलिए नहीं बनाया था, इस राज्य की स्थापना हमने इसलिए नहीं की थी, नेताओं

को रोजगार देने के लिए इस प्रदेश की स्थापना नहीं हुई थी। जो शहीदों ने सपना देखा था, जो संघर्ष किया था, जो हमने नारा लगाया था "आज दो अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो" 'बद्रीनाथ से आई आवाज, उत्तराखण्ड दे सरकार, धारचुला से आई आवाज, उत्तराखण्ड दे सरकार,' यह जो नारा हमने लगाया इस नारे के पीछे यह लक्ष्य नहीं था कि लखनऊ से देहरादून राजधानी आ जायेगी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड नाम हो जायेगा। इसके पीछे लक्ष्य था उत्तराखण्ड के उन तमाम लोगों के सपनों को साकार करने का। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि क्या यह राज्य हमने नेताओं को रोजगार देने के लिए बनाया है? नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं बनाया है? इसलिए 7 हजारी, 8 हजारी, 10 हजारी करेंगे, आवास भत्ता देंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के बेरोजगार नौजवानों पर तमाचा है।

मान्यवर, अभी एक विज्ञापन आया था सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर, तो उसमें लिखा था कि 1 लाख 18 हजार नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारी सरकार ने रोजगार दे दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नम्र शब्दों में बड़े विनम्र शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपके आंकड़े अपने गले से नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमने एक विज्ञापन देखा वह यह था कि हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे देश में नम्बर-1 आये हैं। तो शिक्षा आचार्यों पर लाठी चार्ज हो रहा है, नर्सरी टीचर्स को नौकरी नहीं मिल रही है, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट भूखा मर रहा है, प्रदेश का वृद्ध, विधवा, विकलांग भूखा मर रहा है, प्रदेश का किसान भूखा मर रहा है, प्रदेश के पहाड़ के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, पहाड़ के लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है, पहाड़ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और अगर नम्बर-1 आने पर लोगों को रोजी-रोटी नहीं मिल रही है, अगर नम्बर-1 आने पर लोगों को चूल्हा न जल रहा हो तो अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नम्बर-2 आते नम्बर-3 आते तो क्या दशा होती, क्या हालत होती, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब नम्बर-1 मुख्यमंत्री के प्रदेश की यह हालत है तो नम्बर-2, नम्बर-3 की क्या हालत होती।

माननीय अध्यक्ष जी, आप छठी बार इस विधान सभा और उत्तर प्रदेश की विधान सभा के जनप्रतिनिधि हुये हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नम्बर-1 आये हैं और वहीं 18 प्रदेशों का सर्वे हुआ था, तो हमारा प्रदेश सबसे अन्तिम नम्बर अट्ठारवें पर था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कैसा आंकड़ा है, यह कैसा सर्वे है कि माननीय मुख्यमंत्री नम्बर-1 और प्रदेश फिसड्डी, प्रदेश सबसे पीछे अन्तिम पंक्ति में विकास की पंक्ति में खड़ा

है तो माननीय अध्यक्ष जी, यह आश्चर्य की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के विज्ञापन में 1 लाख अट्ठारह हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही है, किन लोगों को रोजगार मिला है? मैंने सदन के माध्यम से यह सवाल किया कि मैं सही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का आंकड़ा सही है, यह विषय माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, पीठ के माध्यम से, सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के बीच में यह आंकड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं, यह विषय उनको निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया है 1 लाख 18 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को मैंने रोजगार दिया है, यह फैसला प्रदेश का नौजवान करेगा कि वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विज्ञापन दिया है वह विज्ञापन सही है या गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आर्मी के बैकग्राउण्ड से हैं।

मान्यवर, हमें तो बहुत गर्व होता है और इतना बड़ा गर्व होता है कि हमारे इस उत्तराखण्ड के गढ़वाल और कुमांयू के सैनिकों ने चाहे वह सियाचिन का क्षेत्र हो, कच्छ का क्षेत्र हो या लद्दाख का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों की रक्षा की है और इन क्षेत्रों में रहते हुए अपने सीने पर गोली खाकर देश की रक्षा की है और इस उत्तराखण्ड का नाम हमेशा गौरवशाली और स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। मान्यवर, आज भूतपूर्व सैनिकों की दुर्दशा हो रही है। मैं पिछले दिनो लैंसडोन और चमोली के दौरे पर गया था, जो भूतपूर्व सैनिक पुलिस में भर्ती हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खण्डूड़ी जी की सरकार के रहते हुए भी इनके साथ थानों में दोहरे नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है। मान्यवर, 6–7 साल उनकी सेवाओं को हुए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मान्यवर, इस सरकार ने सैनिकों के लिए 14.52 करोड़ का प्राविधान किया है। मान्यवर, यह प्रदेश ऐसी भुखमरी की कगार पर खड़ा है, आज पूरा प्रदेश चाहे वह महिला हो, नौजवान हो, भूतपूर्व सैनिक हो, हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। मान्यवर, विपक्ष के तमाम साथी यहाँ पर अपने सुझाव अन्य विषयों पर देंगे।

मान्यवर, कल जब हमने विधान सभा गेट के बाहर सदन चलाया था तो मैंने वहाँ पर भी महाभारत का एक उदाहरण रखा था और आज मैं इस सदन के सामने महाभारत के उस उदाहरण को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, जब गांधारी अपने महल में बैठी थी और जब गांधारी को दूतों ने यह सूचना दी कि राजमाता आपके सारे पुत्र युद्ध में मारे जा चुके हैं, राजमाता विलाप करते हुए युद्ध के मैदान में जाती है और चारों तरफ देखती है कि गांधारी के पुत्रों के शव बिखरे हुए हैं। गांधारी विलाप करती है महल के कर्मचारियों ने गांधारी को समझाने की कोशिश की कि राजमाता

जो होना था वह हो गया है अब आप महल में चलिए। इस पर गांधारी जी ने कहा कि मैं तो ऐसी अभागी माँ हूँ जिसने अपने जीवन में अपने सारे पुत्रों को खो दिया है। मैं उस महल में जाकर क्या करूँ। मैं तो यहीं पर अपने पुत्रों के शवों पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूँगी। गांधारी जी को 10 दिन, 20 दिन हो जाते हैं विलाप करते हुए, भूखी प्यासी रहते हुए। इसी तरह गांधरी जी को 25 दिन हो जाते हैं, धीरे-धीरे गांधारी जी को भूख लगने लग जाती है। गांधारी जी सोचती हैं कि मैं इस भूख का क्या करूँगी, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन धीरे-धीरे भूख इतनी तेज होने लगती है कि भूख को मिटाने के लिए गांधारी जी को कोई उपाय नहीं सूझता है। दूर बेर का एक पेड़ खड़ा था, उस पर बेर लगे हुए थे। गांधारी जी बेर के पेड़ के नीचे जाती हैं और बेर के पेड़ के नीचे से बेर तोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन बेर इतनी ऊँचाई पर लगे होते हैं और फिर भूखी प्यासी गांधारी जी, उछल भी नहीं सकती हैं। तो बेर को तोड़ने के लिए गांधारी जी अपने एक पुत्र के शव को खींचकर बेर के पेड़ के नीचे रखती हैं, फिर दूसरे पुत्र के शव को खींचकर, उसको पहले पुत्र के शव के ऊपर रखती हैं, इसके बाद तीसरे पुत्र के शव को दूसरे पुत्र के शव के ऊपर रखती हैं, इसी तरह से गांधारी जी अपने पाँच पुत्रों के शवों को क्रमशः एक के शव को दूसरे के शव के ऊपर रख करके अन्त में अपने पुत्रों के शवों के ढेर के ऊपर चढ़कर बेर के पेड़ से बेर तोड़ती हैं, तब अपनी भूख को मिटाती हैं।

मान्यवर, इसीलिए कहना चाहता हूँ जब भूख पर देवताओं का बस भी नहीं रहा तो हम तो इन्सान हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, महिलाएं हैं। जहाँ हम को पेट की भूख है, जहाँ हमको मानसिक भूख है, वहीं हमको शारीरिक भूख भी है, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारी भूख नहीं मिटेगी। हमारी शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं होगा तो हमारी मानसिक भूख नहीं मिटेगी। हमें रोजी-रोटी नहीं मिलेगी तो हमारी शारीरिक भूख नहीं मिटेगी। इस बजट के माध्यम से इस सरकार ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया है, जिससे कि मैं कह सकूँ कि यह सरकार प्रदेश के लोगों की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भूख मिटाने का प्रयास कर रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने राजस्व मंत्री के रूप में अपना बजट रखा था तो उस समय भी मैंने कहा था कि एक युक्ति है कि बच्चा रोता है और माँ दूध पिलाती है। मैं हमेशा इससे हटकर बात करता रहा हूँ केवल माँ बच्चे के रोने का इन्तजार करती है। यह भी हो सकता है, बच्चा बेहोश हो गया हो, मर गया हो, इसलिए बच्चा रो नहीं रहा हो। अगर माँ ने बच्चे को 08 बजे सुबह दूध पिलाया हो, तो जो माँ अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए दिन में दो बजे बच्चे को अपनी गोद में लेकर दूध पिलाती है।

माननीय, मैं उस माँ को जिम्मेदार माँ कहता हूँ। जो सरकार और प्रशासन बिना आन्दोलन किये हुए, बिना धरना प्रदर्शन के, बिना संघर्ष के जनता की समस्याओं को सुनती है, नौजवानों की समस्याओं को सुनती है, मैं उस सरकार को जिम्मेदार सरकार और प्रशासन कहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2001 में जब यह सरकार थी तो शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ था और आज जब यह सरकार आयी है, तो डिप्लोमा फार्मासिस्टों पर, शिक्षा आचार्यों पर लाठी चार्ज हो रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो बातें, दो पंक्तियाँ अपने मित्रों और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूँ, जनता की ओर से इनके लिए दो पंक्तियाँ कह रहा हूँ–

"क्यों लोग हमें आजमाते हैं, कुछ पल साथ रहने के बाद दूर चले जाते हैं।
सच ही कहते हैं लोग कि सागर के मिलने के बाद लोग बारिश को भी भूल जाते हैं।।"

माननीय अध्यक्ष जी, अगर लोग यह भूल जाएं कि बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी नहीं आएगा और नदियों में पानी नही होगा तो सागर सूना हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जनता वह बारिश है, यदि जनता नहीं होगी तो लोकतंत्र में सरकार नहीं बनेगी। इनको यह सरकार रूपी सागर मिला है, तो बारिश को भूल गये हैं, उस जनता को भूल गये हैं, जिस जनता ने यह सागर रूपी सरकार इनको सौंपी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ–

"हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले,
बहुत निकले अरमां मेरे फिर भी बहुत कम निकले।"

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत उम्मीदें थीं, इन्होंने ऊँट के मुँह में जीरा डालने का काम जरूर किया है लेकिन इस प्रदेश के निर्माण में इस प्रदेश के संघर्ष के साथ बहुत उम्मीदें जनता को थी लेकिन आज हर अरमान यहां की जनता का टूटता जा रहा है। इस प्रदेश के गरीबों का अरमान टूटता जा रहा है और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने यह जो बजट, झूठा पुलिन्दा आज यहाँ रखा है, यह असत्य पर आधारित है। यह इस प्रदेश को गुमराह करने वाला पुलिन्दा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बजट का घोर विरोध करना चाहता हूँ। यह असत्य बजट है। यह प्रदेश के गरीबों के खिलाफ, अल्पसंख्यक भाईयों के खिलाफ, बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ, इस प्रदेश की वृद्ध विधवाओं के खिलाफ, ऊर्जा के खिलाफ, सिंचाई के खिलाफ यह बजट है। इसमें पर्यटन के लिए कोई प्राविधान नहीं है ये तमाम व्यवस्थाएं इस बजट में नहीं हैं, इसलिए मैं और मेरा दल इस बजट का विरोध करता है, इसके खिलाफ अपना मत प्रस्तुत करता है।

यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से माननीय अध्यक्ष जी पीठ का आभार प्रकट करना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को केवल एक विरोधी पक्ष द्वारा कही गयी बात के रूप में न लें, क्योंकि मैंने कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि हम इस लोकतंत्र को जिन्दा रखना चाहते हैं और लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब दोनों पटरियां मजबूत हों, क्योंकि लोकतंत्र की दो पटरियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। अगर एक पटरी भी कमजोर होगी तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रदेश के लोकतंत्र को और मजबूत करें। ऐसी परम्पराएं इस प्रदेश में स्थापित करें जो निश्चित रूप से इस प्रदेश के विकास के लिए लाभकारी हों। इस प्रदेश के सुनहरे भविष्य के साथ हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, गांधारी तो देखती नहीं थी, यह आंकड़े कहाँ से लाए, कहीं लिखे नहीं है। वह तो साफा बांधकर रखती थी। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया।.....

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन चले गये हैं, ट्रेजरी बेंच खाली है केवल एक मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी सुनें या ना सुनें, कह कर तो हम जाएंगे ही। हमने अभी तक जो सुनाया है, चाहे इधर वालों को सुनाया हो, चाहे उधर वालों को सुना रहे हों, नहीं लगता कि आप लोग इस प्रदेश का विकास कर पायेंगे। इस प्रदेश की गरीब जनता को यह लोग देख पायेंगे। मान्यवर, बात आती है, मैदा, आटा और सूजी, आम वस्तु है।.......

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े खेद का विषय है कि बहुजन समाज दल के नेता बोलने के लिए खड़े हुये और माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर चले गये, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनना चाहते।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, ऐसा नहीं है, यह तो कलेक्टिव रिसपांसबिलिटी की बात है, यदि मैं भी यहां पर नहीं होता तो आप यह आपत्ति कर सकते थे।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, यह तो अजीब बात है कि सत्ता पक्ष के लोग नहीं हैं, ट्रेजरी बेंच पूरा खाली है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को छोड़कर एक भी मंत्री सदन में नहीं बैठे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं तो यहां पर बैठा हूँ, प्रत्येक माननीय सदस्य की कही बात का संज्ञान लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों को तो कम से कम यहां पर बैठना चाहिए, हमारी सरकार के समय तो ऐसा नहीं होता था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मानतीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि जब हमने यह कहा कि जब पहले विपक्ष नाराज होता था तो वह विपक्ष के लोगों को विकास योजनायें देते थे। कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तिवारी जी से मेरी बराबरी कहाँ हो सकती है, वह चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं और केन्द्र में मंत्री रहे हैं, तो मेरी उनसे कहाँ तुलना हो सकती है। आपने कहा कि तिवारी जी भी सदन में नहीं आते थे तो आने की तो तुलना हो रही है और विकास की बात कर रहे हैं तो उसकी तुलना नहीं हो रही है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के बारे में अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों का ज्यादा ध्यान रखती है बजाय उत्तराखण्ड की सरकार के। मान्यवर, आटा, मैदा और सूजी जितनी भी जनोपयोग की चीजें हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आटे की आवश्यकता सबसे ज्यादा गरीब आदमी को होती है, अमीर को भी होती है, लेकिन उसे कम होती है, बजाय गरीब के। जो मेहनतकश आदमी होता है, जो अपने शरीर से मेहनत करता है, उसे दिन के तीन बार रोटी चाहिए, तभी वह काम कर पायेगा। माननीय पंत जी तो एक रोटी खाते होंगे, बाकी तो सूप वगैरा ही लेते होंगे। लेकिन इनको उस आदमी की परवाह नहीं है जो आदमी 24 घंटे में से 18 घंटा फावड़ा लेकर खेतों में काम कर रहा है, उसको अपने साथ ही अपने बच्चों की भी गुजर–बसर करनी हैं उस आटे में 4 प्रतिशत वैट लगा दिया, आज उसको 1 प्रतिशत कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि उस 1 परसेन्ट की आवश्यकता क्या है? आप अमीरी पर टैक्स लगाइये, उसकी वाहवाही लूटने का प्रयास न करें। जो चीजें दैनिक उपयोग की हैं, गरीब लोगों की हैं, उनको तो कम से कम टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तभी आप गरीबों का कुछ भला कर पायेंगे।

मान्यवर, इसी तरह से स्टाम्प ड्यूटी की बात है तो इस प्रदेश में औद्योगिकीकरण हुआ और काफी लोगों को इससे रोजगार भी मिला, देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के काफी बड़े क्षेत्र में इंडस्ट्री लगी, लोगों के कारोबार चले और इससे स्टाम्प ड्यूटी भी बहुत ज्यादा आयी। लेकिन इस सरकार के आते ही

कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया और नुकसान ही नहीं हुआ, अनेक लोगों ने, नुकसान के कारण कई लोगों ने आत्म हत्या भी की। उन लोगों के परिवार बर्बाद हो गये और आज सरकार उनकी स्टाम्प ड्यूटी घटाने और परमीशन देने का काम कर रही है मेरा कहना है कि यदि आज आपको स्टाम्प ड्यूटी घटानी ही थी और बिल्डरों को परमीशन देनी ही थी तो इस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता कहाँ थी।

मान्यवर, प्रदूषण के विषय में सरकार अनुमति नहीं दे रही है। आधे-अधूरे जो उद्योग हैं अगर उनका पूरा औद्योगीकरण नहीं होगा तो इससे प्रदेश का, आम जनता को नुकसान होगा। माननीय अध्यक्ष जी, बात ऊर्जा की आती है, हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश है। बड़ी-बड़ी डींगें हांकना, पेपरों में आना कि इतनी ऊर्जा है और कई हजार करोड़ रुपये का विद्युतीकरण के लिए बजट रखा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में कोई एक गांव मुझे ऐसा बता दें जिसमें समुचित विद्युतीकरण हुआ हो। गांव में विद्युत गई है, लेकिन काम आधे-अधूरे होते हैं। बी0पी0एल0 के नाम पर हजारों करोड़ रुपये आज बरबाद हुए हैं, लेकिन एक गांव में 4 पोल लगा दिये, 2 पोल लगा दिये, एक ट्रांसफार्मर लगाने से समुचित विद्युतीकरण नहीं हो सकता और यहां तक कि हरिद्वार में काम करने में इतनी कठिनाई भी नहीं है और उस जिले का कम से कम 80 प्रतिशत देहाती क्षेत्र विद्युतीकरण से आज भी खाली है। पेयजल की अगर मैं बात करता हूँ तो स्थिति यह है कि रुड़की एक बहुत ही सुन्दर शहर है। अपने आप में रुड़की का नाम भी है, लेकिन यहां कई सौ लोगों को पीलिया हो गया है किसलिए कि पेयजल है, टंकी है, दूसरी व्यवस्था है, टंकियां सीवर से टकराती हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पीलिया है, वो बेड पर हैं, लेकिन साफ-सुथरी पेयजल उपलब्ध कराने में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम है।

देहात की बात करते हैं, जहां स्वजल चल रहा है स्वजल अपने आप में एक ऐसी स्कीम सरकार ने दी है कि जहां भी वो चल रही है कहीं आज तक पूर्ण नहीं है और उसमें मैं समझता हूँ कि 70 प्रतिशत तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे लोगों को पेयजल मिलने की सम्भावना नहीं है। हैंड पम्प, पिछले वर्ष काफी कहा गया कि हम 50-50 हैंड पम्प देंगे, लेकिन किसी भी विधान सभा क्षेत्र में 10-15 से ज्यादा हैंड पम्प नहीं दिये गये हैं। सरकार पेयजल के प्रति गम्भीर नहीं लगती है। सिंचाई और लघु सिंचाई की बात करूँ।

हरिद्वार में अभी वर्षा हुई पाले पर। अगर उस क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था होती तो निश्चित रूप से नुकसान कम हो सकता था। जो सरकारी नलकूप

हमारे हैं वे 80 प्रतिशत बन्द हैं। उनको रिबोर होना है, दूसरे काम होने हैं। उसके लिए समुचित बजट में हरिद्वार का इसमें कहीं नाम नहीं और उस क्षेत्र का नाम भी नहीं है कि वहां पर नये नलकूप लगवाएंगे, किसानों की फैसेलिटी के लिए उनकी नालियां बनवाएंगे। किसान के प्रति सरकार का रवैया है वह विश्वास से परे है। किसान के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है, किसान का कोई हित यह सरकार नहीं देख रही है। गृह विभाग की बात हम करते हैं। गृह विभाग की स्थिति यह है कि देहरादून में 5 चोरी कहा से आयी, आज तक इस पर जॉच ही चल रही है और जांच ही लगता है कि चलती रहेगी। अभी हमारा पिछले हफ्ते प्रश्न था हरिद्वार में 38 डकैतियां पड़ी हैं। जो आजादी से पहले पड़ती रही होंगी वह आज फिर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कोई इस पर अंकुश लगाने वाला नहीं है, किसी की इसमें जवाबदेही नहीं है। जब तक जवाबदेही नहीं होगी, जवाब मांगा नहीं जायेगा, उसमें बैठकर समीक्षा नहीं होगी, कोई मतलब नहीं बनता कि अपराध रूकें। पहले हर जिले में विधायक के साथ मासिक मीटिंग होती थी। आज पूरी तरह इस सरकार के आने के बाद से वो बन्द है। कोई मासिक मीटिंग नहीं हो रही है, कोई देखने-सुनने वाला नहीं है। अफसरशाही हावी है, उसे हावी होने से इस प्रदेश को नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता है। शिक्षा की अगर मैं बात करता हूँ आज ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू है, हमारे प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। आज जो गरीब हैं उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है।

मान्यवर, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें खद्यान्न योजना, मिड डे मील योजना हजार चली होंगी लेकिन पाँचवीं कक्षा के बच्चे नाम लिखने की स्थिति में नहीं हैं। मान्यवर, यदि हम इस प्रदेश का उद्धार चाहते हैं, हम इस प्रदेश को वाकई प्यार करते हैं तो हमें सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना होगा, हमें शिक्षा का स्तर ऊँचा करना होगा जिससे देहात में पढ़े बच्चे ऊँचे स्कूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके आस-पास तो बैठ पायें। आज स्थिति यह है कि वह नौकरियों में नहीं आ पायेगा, वह रोजगार से वंचित रहेगा और गरीब वहाँ तक नहीं पहुँच पायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जो वन विभाग और खनन विभाग हैं हरिद्वार में, ऊधमसिंह नगर में, देहरादून में इस विभाग द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि कोई अपने मकान में मिट्टी भराई करना चाहता है तो वह ट्रैक्टर से मिट्टी लाना चाहता है तो उससे 25-25 हजार रुपये का जुर्माना तहसीलदार और एस०डी०एम० और डी०एम० द्वारा लिया जा रहा है, इतना जुर्माना गरीब किसान कहाँ से देगा? खनन के नाम पर किसानों का शोषण, मजदूर का शोषण किया जा रहा है। इस प्रदेश में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है सरकार का पहला फर्ज बनता है कि गरीब

की सुने, गरीब की मदद हो। लेकिन ऐसा लगता है कि पूँजीपति के लिए यह सरकार बनी है, गरीब के लिए इस सरकार के पास टाइम नहीं है, गरीब के लिए यह बजट भी नहीं है।

समाज कल्याण की बात करते हैं तो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में पूरे प्रदेश में बन्दर बाँट है, किसी भी दलित गाँव का समुचित विकास इस योजना के तहत नहीं हुआ। हाँ, ऐसा हुआ है कि कहीं कोई छोटा दलित गाँव है, अगर 60 किलोमीटर की रोड उसको जोड़ती है, तो इस पैसे से उसका निर्माण किया गया है न कि उस गाँव का विकास किया गया है उनको विकास के नाम पर कुछ धन दिया भी गया है तो पशु दिये गये हैं। उसमें भी वह दूध देने वाले नहीं हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त यह स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना है। स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में सरकार सुधार नहीं करती है तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ नहीं होगा। इससे केवल कुछ लोगों का घर भरेगा। मान्यवर, हम रोज पेपर पढ़ते हैं और पहाड़ की, प्लेन की बात आती है और बहुत से लोग हैं जो इसमें खाई पैदा करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो परिसीमन के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि पहाड़ से जनता का नीचे को पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जाय। वहाँ पर जनता नहीं रहेगी तो वहां सीटों का क्या होगा? सरकार पहाड़ पर उद्योग की बात कर रही है, लेकिन अभी तक लगवाये नहीं हैं। जो हमारे सम्मानित विधायकगण पहले भी हैं और आज भी हैं, चुनाव तो वे पहाड़ से लड़ते हैं लेकिन रहने के लिए कोठी देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी में बनाते हैं। जो पहाड़ का प्रेमी है वह पहाड़ पर निवास नहीं कर सकते, उस स्थिति को वह झेल नहीं सकते, तो उन्हें वहां की बात करने का भी हक नहीं है। जो जहां रहेगा वहां की बात उसे करनी चाहिए। संवैधानिक रूप में जो भी व्यवस्था होगी उसका सम्मान हम करेंगे। बातों में खाई पैदा करना, जाति और मूल निवास की बात का विरोध करना, पहाड़ के विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर उन्हें रोजगार मिले जो हमारी माताये बहिनें हैं उनको रोजगार मिले, अगर वाकई सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। हमारे यहां काफी इन्डस्ट्रीज हैं। मेरा क्षेत्र सिडकुल पड़ता है, वहां पर एक-एक फैक्ट्री में कई हजार महिलाओं को रोजगार मिला है। अगर सरकार उनकी पैकेजिंग वहां ले जाय, तो जैसे कि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में पैकेजिंग हो रही है उस पैकेजिंग को आप पहाड़ पर भी ले जाइये तो उनको भी पैकेजिंग में रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है, सरकार काम करना नहीं चाहती है। इस बार ये सत्ता में बैठे हैं दूसरी बार हम बैठेंगे।

मान्यवर, हमारी स्थिति यहां बैठते हुए भी स्पष्ट है और साफ सुथरी है। पहले से अच्छी है। बढ़ते जा रहे हैं, आप स्वयं देख लें। (हँसी) मान्यवर, महँगाई चरम पर है। आज जो महँगाई का दौर है, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में 72 रुपये, 80 रुपये और 73 रुपये दिहाड़ी मजदूर को मिलती है। आटे का रेट ही इतना अधिक है कि वह सूजी और मैदा तक तो जा ही नहीं पायेगा। मान्यवर, 73 रुपये में उस योजना के अन्तर्गत दिहाड़ी करके अगर कोई परिवार एक दिन का भी काम चलाकर दिखा दे तो मैं उसे मान जाऊँगा। राज्य सरकार को उस योजना के अन्तर्गत 73 रुपये से बढ़ाकर 150 करना चाहिए था बजट में, और यह कहना चाहिए था कि अगर केन्द्र सरकार 73 रुपये दे रही है तो शेष पैसा राज्य सरकार देगी तो अच्छा होता। लेकिन राज्य सरकार उत्तराखण्ड की गरीब जनता का, मजदूरों का भला नहीं करना चाहती।

मान्यवर, जहाँ तक मैं समझता हूँ यह बजट न तो बहुजन हिताय है और न ही बहुजन सुखाय है, यह बजट सिर्फ पूंजीपतियों का बजट है। माननीय श्री जैन साहब हँस रहे हैं। मैं इस बजट का विरोध करता हूँ और नेता प्रतिपक्ष से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2008–09 के बजट पर चर्चा पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जैसा कि बजट को प्रचारित किया गया है। मान्यवर, मैं अभी ताजे–ताजे होल्डिंग्स को देख रहा था कि आटा, सूजी, मैदा और दाल में वैट घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है और वस्तुस्थिति नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर रखी है। जब कि हमारे मदर स्टेट में जिन पर शून्य प्रतिशत वैट है। आज यहाँ उन पर वैट लगाया जा रहा है। मान्यवर, होना यह चाहिए कि इन पर पूरी तरह से वैट समाप्त कर के इसमें और रियायतें देने की आवश्यकता है खास तौर पर जो पिछड़े क्षेत्र हैं, विकास की दृष्टि से उन क्षेत्रों में रियायती दरों पर अनाज बाँटने की आवश्यकता है। जैसा कि इस सरकार ने रियायती दरों पर अनाज बाँटने की बात कही थी और उन्होंने इस बात को अपने घोषणा पत्र में भी कही थी और सस्ता अनाज देने की बात भी कही थी। लेकिन इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ा शोशा छोड़ा गया है जेन्डर बजट का।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपको 10 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाता है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, जैन्डर बजट की बात कही गई है और जो बजट की नई मदें हैं उनमें इसका अध्ययन किया गया तो इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जो बजट जिस विभाग को जा रहा था, जा रहा है। महिला विद्यालय, कन्या विद्यालय पहले भी थे, अब भी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला विद्यालयों को सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। अगर यह सरकार इसमें प्राविधान करती कि हम विधवा महिलाओं को एक हजार रुपया पेंशन देंगे, वृद्ध महिलाओं को एक हजार रुपया पेंशन देंगे। मान्यवर, कन्याओं को हायर एजुकेशन के लिए बजट में कोई प्राविधान करते तो निश्चित रूप से यह बजट, जो जैन्डर बजट का नारा था, साकार होता लेकिन यह एक खाली धोखा सा दिया गया है जैन्डर बजट के नाम से। जो आम बजट था उसी के प्राविधानों को इसमें दिखाया गया है कि यह जैन्डर बजट है और मान्यवर कई कार्यक्रम उन्हें इसमें शामिल किया गया है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम को दिखा दिया गया है, जैन्डर बजट में। जो कि भारत सरकार का कार्यक्रम है और एक आम बजट का कार्यक्रम है। तो यह जैन्डर बजट सरासर धोखा है इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ परिवहन विभाग को सुदृढ़ीकरण हेतु 12 करोड़ रुपया दिया गया है लेकिन जनता को आज भी परिवहन के नाम से कोई सुविधा नहीं मिल रही हैं। तहसील मुख्यालयों को परिवहन निगम की बसों से नहीं जोड़ा गया है। हमारे यहाँ से सल्ट तहसील से देहरादून के लिए अभी तक कोई परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आखिर इनको अनुदान देने का औचित्य क्या है जब यह व्यापारी की तरह जिन रूटों में आमदनी अच्छी है। रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और कौशानी में परिवहन की सुविधा दी जा रही है। क्या केवल शहरी क्षेत्रों में ही जहाँ आमदनी अच्छी होती है उन्हीं क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा दी जायेगी?

मान्यवर, जो सुदूर जगह के लोग हैं उनको ये सुविधा प्रदान की जायेगी। इसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं हैं एक बात निश्चित रूप से इसमें अच्छी कही है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, जो चालकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात कही गयी है वह अच्छी बात है, इसका व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में एक संस्थान खोलने से नहीं पूरे प्रदेश में संस्थान खोलने की बात करनी चाहिए। जो आज बस दुर्घटनाओं का हाल है पूरे पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक, चालकों के अन्दर ट्रैफिक मैनर नहीं है यातायात की जानकारी होनी चाहिए, जो रोड में साइन बोर्ड लगें हैं उनकी जानकारी नहीं है और विकलांग के ड्राइवर लाइसेंस बनाये जा रहे हैं इसमें भी सुधार होना चाहिए।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए और उद्यानीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही सिंचाई के बारे में पिछले वर्ष कहा गया था कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के लिए पैसा रखेंगे और उसको जोर–शोर से प्रसारित किया गया। लेकिन इस बार उसका कहीं जिक्र नहीं है। पिछली बार उसमें कुल तीन करोड़ रुपया रखा गया। आज पर्वतीय क्षेत्र में हम कितनी बात कर लें और कितनी सरकार बदल जाय और मंत्री बदल जायें लेकिन कृषि की बागवानी, कृषि और उद्यानीकरण में सुधार होने वाला नहीं हैं जब तक वहां चकबन्दी लागू नहीं करेंगे और जमीन की चार दीवारी नहीं करेंगे। क्योंकि वहां जंगली जानवरों का इतना आतंक हो गया कि छः माह के किसानों की कमाई को सुअर रात में एक घंटे में बरबाद कर देता है। एक जड़ाक खेत में घुसता है तो कई फुट के गड्ढे खेतों में कर जाता है और बड़ी से बड़ी बाढ़ को तोड़ देता हैं आज जरूरत है पहाड़ के खेतों की चकबन्दी करने की व बाउंडरी करने की, जिससे वहां नुकसान न हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिसके लिए बड़ी धनराशि की जरूरत थी इस बजट में नहीं रखी गयी है जब तक हम पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे और चकबन्दी की व्यवस्था नहीं करेंगे क्योंकि पहाड़ की स्थिति ऐसी है कि एक धार से दूसरे धार में सामग्री ले जाने में बहुत परेशानी होती है। किसानों की सारी ताकत खत्म हो जाती है और लाभ उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। आज लोगों में ये अन्तर आ गया है कि वे जानवर पालना छोड़ रहे हैं और खेती करना छोड़ रहे हैं, सिर्फ मजदूरी करना उचित समझ रहे हैं। 70–80 रुपया जो भी मिल जाय वही ठीक है। उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आसमानी बारिश पर निर्भर रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, शिक्षा की बात कही गयी और तकनीकी शिक्षा की बात कही गयी है। जो जरूरत है सरकार ने उसको समझने का प्रयास नहीं किया हैं पिछली सरकार ने हर स्कूलों में कम्प्यूटर भेजे लेकिन आज इस सरकार के आने के बाद एक बिजली का खम्भा तक नहीं लग सका। वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं हैं हर विद्यालय में विद्युतीकरण करने की आवश्यकता है ताकि उन विद्यालयों में कम्प्यूटरों का उचित रूप से प्रयोग हो सके। इसकी भी जरूरत थी हर स्कूल तक इन्टरनैट लगाने की, जहां इन्टरनैट का केबिल नहीं जा सकता वहां पर मोबाईल कार्ड पहुंचाने की, इस प्रकार से हमारे बच्चे दुनिया से जुड़ पाते और जो जानकारी दुनिया के पास है वह जानकारी आज हमारे बच्चों के पास नहीं है, इस प्रकार से तमाम चीजों की जानकारी नहीं मिल पायेगी। जब तक ये व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है, इस बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैं भी इसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्र की अपनी विशेष पीड़ा है बार–बार इस बजट में भी कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक औद्योगिक नीति घोषित कर रहे हैं लेकिन वह नीति घोषित नहीं की गयी है। जैसा कि अभी बी0एस0पी0 के नेता माननीय शहजाद जी ने कहा कि हरिद्वार में खाली पैकिंग हो रही है। इस तरह के उद्योग खासतौर पर आई0टी0 के उद्योग हैं, हम सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस भी वहीं बनायेंगे और यूनिवर्सिटी भी वहीं खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी वहीं खोलेंगे। क्या पर्वतीय क्षेत्र में भी ऐसी चीज ले जायेंगे? उद्योगों के लिए वहां न रॉ मैटेरियल है और न वहाँ मार्केट है तो आखिर पर्वतीय क्षेत्र में जायेगा कौन ? आज जरूरत है कि पर्वतीय क्षेत्र में नॉलेज हब के रूप में विकसित करने की, वहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलने की, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। साथ–साथ नये विषयों से डिग्री कॉलेज खोलने की। इसलिए यह बजट निराश करने वाला बजट है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

(इस समय 03 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री केदार सिंह फोनिया पीठासीन हुए।)

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया यह सरकार की प्राथमिकताओं, उसके कार्य करने का ढंग, उसकी सोच और उसकी दिशा का स्पष्ट आइना है। सरकार का यह बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य को ऋण के जाल से मुक्त करने की सोच और प्रयास को दर्शाता है राज्य के सीमित संसाधनों का सम्यक् उपयोग करते हुए राज्य के समुचित विकास के स्पष्ट दृष्टिकोण की ओर इंगित करता है। मान्यवर, 12,441 करोड़ रुपये व्यय का राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत करने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और कोई भी नया कर न लगाने के लिए उन्हें बधाई देता हूँ।

मान्यवर, सरकार द्वारा एक बड़ी राहत देते हुए जलकर और सीवरकर समाप्त किया गया तथा दोनों करों के रूप में आम उपभोक्ताओं पर बकाया 24 करोड़ की राशि माफ की गई। मान्यवर, आटा, मैदा, सूजी और दालों पर वैट की दर चार के स्थान पर एक प्रतिशत की गई तो यह निश्चित रूप से लोगों की रोटी की समस्या को कम करने का प्रयास है जोकि बहुत ही सराहनीय है। मान्यवर, किसानों को तीन लाख रु0 तक के कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क नहीं देय होगा, यह प्राविधान कृषि को प्रोत्साहित और समर्थन की भावना को दर्शाता है। मान्यवर, वित्तीय अनुशासन

को ध्यान में रखते हुए भी जनकल्याणकारी, खासकर महिलाओं एवं गरीब तबके के लोगों के कल्याणार्थ योजनाओं के लिए समुचित व्यवस्था का ध्यान इस बजट में रखा गया है। सरकार ने मातृशक्ति की वन्दना कर बीस विभागों की योजनाओं में जेण्डर बजटिंग के लिए 656 करोड़ का प्राविधान इस बजट में किया है, जोकि स्वागत योग्य है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा बी०पी०एल० परिवारों के लिए सार्वभौमिक बीमा योजना लागू कर कल्याणकारी तथा लोकहितकारी कदम उठाया गया है।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा नई ऊर्जा नीति के तहत विद्युत उत्पादन क्षेत्र में स्थानीय उद्यमियों और उपभोक्ता समूहों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों को बिजली की सुचारू आपूर्ति के साथ ही लघु उद्यमिता व कुटीर उद्योगों को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर, ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के लिए रु० 661.59 करोड़ का प्राविधान कर सरकार का भागीरथी प्रयास है। मान्यवर, इस सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर सरकार ने स्वस्थ नजरिया प्रस्तुत किया है। मान्यवर, बेहतर वित्तीय प्रबन्धन व प्रशासनिक सुधार के लिए राज्य की अपनी स्वतंत्र निर्माण इकाई उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के गठन का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मान्यवर, सड़क, सेतु निर्माण में गति लाने की दिशा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 13 नये खण्डों तथा सिंचाई विभाग के 6 खण्डों को लोक निर्माण विभाग के साथ सम्बद्ध करने से कार्य में गति आई है और वर्ष 2008-09 में 213 करोड़ रु० की अधिक धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है जोकि एक सराहनीय कदम है।

मान्यवर, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण हेतु नई माँग से प्राविधान किया गया है और इस सरकार द्वारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्राविधान किया गया है जोकि स्वागत योग्य है। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष शीतकालीन साऊथ एशियन फेडरेशन गेम्स, जो औली और देहरादून में आयोजित होंगे, के लिए 50 करोड़ रु० की व्यवस्था कर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सरकार दृढ़ संकल्प है। मान्यवर, गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति सहित समस्त बी०पी०एल० परिवारों की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को 25 हजार रु० की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से दिए जाने हेतु।

मान्यवर, वर्ष 2008-09 में 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि गौरा देवी कन्याधन योजना का लाभ आय के आधार पर दिया जाना चाहिये, क्योंकि वर्ष 2002-03 में बी०पी०एल० सर्वे किया गया है, उसमें कई

खामियाँ हैं। वास्तविक गरीब बी0पी0एल0 श्रेणी आई0डी0 में नहीं है। आई0डी0 प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर आय प्रमाण-पत्र मान्य किया जाये, इससे जहाँ एक ओर गरीब परिवारों की बालिकायें शिक्षित होंगी वहीं दूसरी ओर गौरा देवी कन्याधन योजना का लाभ आम गरीब वर्ग को प्राप्त होगा, इसके मानकों की पुनर्समीक्षा की जानी आवश्यक है। मान्यवर, टिहरी बांध परियोजना जलाशय निर्माण से जनपद उत्तरकाशी जाने के लिए सड़क मार्ग की दूरी बढ़ी है, जिससे लोगों का समय और भाड़ा अधिक लग रहा है इसलिए देहरादून, सुवाखोली, भवान नगुण, मोटर मार्ग का चौड़ीकरण व डामरीकरण कराया जाना आवश्यक है इस मोटर मार्ग के प्रारम्भ होने से देहरादून से उत्तरकाशी की दूरी 78 किलोमीटर कम हो जायेगी जिससे यात्रियों के धन और समय की बचत होगी। मान्यवर, फूलों की खेती, बागवानी पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है फूलों की खेती को प्रोत्साहित कराने की योजना बनायी जानी चाहिए।

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा पर्यटन के क्षेत्र में साहसिक, धार्मिक पर्यटन को विकसित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, दयारा, बुग्याल, कुशकल्याण, सहस्रताल, बेलक, जौरायी टॉप, मिढारा, खेड़ाताल, डोडीताल,नचिकेताताल, हर्षिल्ता बुग्याल, नागणी ढांग, हरि महाराज, चौरंगीखाल, बाल खिला पर्वत, असी वारुणीयात्रा तथा पंचाकोसी वारुणी यात्रा मार्ग आदि खूबसूरत पर्यटन स्थलों का विकास कर पर्यटन को आर्थिकी से जोड़ा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस दिशा में गम्भीरता से प्रयास करेगी तथा उत्तरकाशी के पर्यटन स्थलों के विकास के लिये पर्यटन सर्किट कार्ययोजना बनाकर यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिये विशेष ध्यान देगी।

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी भूकम्पीय जोन-5 में है, प्रत्येक वर्ष किसी न किसी आपदा के आने से जन धन की क्षति होती आ रही है। इन्द्रावती नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य, कफलौं में बह गये पुल और सड़क का निर्माण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण हेतु विशेष पैकेज दिया जाये, करूणाकर पैकेज के अन्तर्गत आठ गाँवों के छूटे परिवारों को शीघ्र अनुमन्य सहायता राशि का भुगतान किया जाय तथा पाटा-संग्राली एवं बागी गांव का अन्य आठ गांवों की भांति करूणाकर पैकेज से पुनर्वास किया जाना अत्यावश्यक है। आपदा और भूस्खलन प्रभावित गांव किशनपुर, पट्टी, साडा, ककराड़ी, नेपाला कोठी का सर्वेक्षण करवाया जाये।

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में काश्तकारों का ध्यान नकदी फसलों विशेषकर सब्जी तथा आलू, सेब, राजमा, उत्पादन की ओर गया है, लेकिन उचित भण्डारण, शीत भण्डारण एवं मण्डियों के अभाव में काश्तकारों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नही मिल पाता है, इसलिए शीत भण्डार एवं मिनी मण्डियों की स्थापना किया जाना आवश्यक है तथा यह भी सुझाव है कि उत्पाद का समर्थन मूल्य तय किया जाय। जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी, पटवारी नौगाँव, डुण्डा, पुरोला, मोरी, नैखाड़ तथा आराकोट में मिनी मण्डियां व शीत भण्डारों की स्थापना की जाये। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि प्रबन्धन समितियां गठित नहीं हैं तथा जो भूमि पूर्व में राजस्व विभाग की थी वह अब वन भूमि घोषित होने से सभी विकास/निर्माण कार्य बाधित हो गये हैं, इसके लिये ठोस नीति बनाये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, लोकप्रिय सरकार द्वारा राज्य में तीलू रौतेली पुरस्कार, गौरादेवी कन्याधन योजना, महिला मंगल दलों को राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ अवार्ड, राज्यस्तरीय युवा महोत्सव इत्यादि योजनाओं को प्रथम बजट से ही प्राविधान कर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास सराहनीय है। मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से काश्तकारों की कृषि भूमि अधिग्रहीत की गई है, इसके लिए राज्य सरकार की पुनर्वास नीति बनाये जाने की आवश्यकता है तथा प्रभावित परिवार का एक व्यक्ति आवश्यक रूप से रोजगार पर लगाया जाना आवश्यक है तथा बिजली उत्पादन के पश्चात प्रभावित क्षेत्र को निःशुल्क बिजली दिये जाने का प्राविधान किया जाना चाहिए। रोजगार उपलब्ध कराने की बात स्पष्ट होनी चाहिए। मान्यवर, लोकप्रिय सरकार द्वारा सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के संचालन के लिए बजट में प्राविधान किया गया है। यह सरकार की दूरदर्शिता व जनता के प्रति जवाब देही को प्रदर्शित करता है, यह सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन ने मुझे सुना इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है और जिस तरह से इसे प्रचारित किया जा रहा है, यह सत्य से परे है ऐसा मुझे बजट भाषण पढ़ने से प्रतीत हुआ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं के लिए जेण्डर बजट की घोषणा की गई यह घोषणा

पिछले बजट में भी की गयी थी और इसे बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा इसमें की है लेकिन इस घोषणा द्वारा महिलाओं को भ्रमित करने के लिए और उत्तराखण्ड की महिलाओं को धोखा देने का ही काम किया गया है, क्योंकि जेण्डर बजट का अवलोकन करने से पता चलता है कि इसमें महिलाओं के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया है।

मान्यवर, जेण्डर बजट के पेज एक में प्राथमिक अध्यापकों का वेतन एवं बालक–बालिकाओं के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था की गयी है, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इसका महिलाओं से सम्बन्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जेण्डर बजट के पेज–3 पर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा की जो बात की गयी है। मान्यवर, पिछले वर्ष के बजट में प्रोत्साहन के रूप में अनुदान दिया जाता था वह इस बजट में बन्द कर दिया गया है, जोकि निन्दनीय है। इसका महिलाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। मान्यवर, जेण्डर बजट के पेज–5 में विद्यालयों के उच्चीकरण का उल्लेख किया गया है।

मान्यवर, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में विद्यालयों की जो स्थापना दर्शायी गयी है, इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह महिलाओं के लिए नहीं है। मान्यवर, इस बजट के पेज–7 एवं 8 में कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय के लिए धन का आवंटन का प्राविधान किया गया है। महाविद्यालयों के लिए भूमि क्रय के बजट का निर्धारण किया है। मान्यवर, मैं जहा तक समझता हूँ यह महिलाओं के लिए नहीं है मान्यवर, इस बजट के पेज–11 से 13 में शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के बजट का जिक्र किया गया है, इसका भी महिलाओं से कोई लेना–देना नहीं है।

मान्यवर, पेज–16 पर महिलाओं को 50 हजार बजट का प्राविधान रखा गया है, इस सम्बन्ध में कहना है कि जूडों का प्रशिक्षण न तो पर्वतीय क्षेत्रों में और न ही मैदानी क्षेत्रों में, और न ही जो महिलाएं गाँव में रहती हैं, उनको दिया जाता है। इस सम्बन्ध में भी यह कहना कि यह महिलाओं के लिए व्यवस्था की गयी है, वह भी निराधार है। माननीय अध्यक्ष जी, पेज–15 से 16 पर जो राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं मिनी स्टेडियमों के निर्माण एवं युवा महोत्सव के लिए जो बजट की बात कही गयी है। मैं समझता हूँ इससे भी महिलाओं का कोई लेना–देना नहीं है। मान्यवर, पेज–17, 18, 19 एवं 20 पर जो चिकित्सा उपकरणों के सम्बन्ध में कहा गया है कि स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना, उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण आदि उपलब्ध कराया गया है और बजट का निर्धारण किया गया है, महिलाओं का उत्थान इससे होने वाला नहीं है। मान्यवर,

पेज–21, 22, 23, 24 एवं 25 पर महिलाओं के सशक्तीकरण की योजना का उल्लेख किया गया है उसमें कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं, प्रदेश सरकार से इसका कोई लेना–देना नहीं है।

मान्यवर, पेज–26, 27 एवं 28 पर जो विधवा पेंशन , वृद्धा पेंशन, नेत्रहीन अपंग बच्चों के लिए बजट में निर्धारण किया गया है, इसमें भी महिलाओं का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। पेज–29 में बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण और शिक्षा के सम्बन्ध में जो बजट का निर्धारण किया गया है इससे भी महिलाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। मान्यवर, पेज–30 पर केन्द्र से सम्बन्धित माईक्रो मोड योजना को दिखाया गया है लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार का इस योजना से कोई लेना–देना नहीं है। मान्यवर, पेज–32, 33, 34 एवं 35 पर राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत जो केन्द्र सरकार से राहत राशि मिलती है। मान्यवर, जिन योजनाओं को पूरे प्रदेश के जनपदों में लागू करने की घोषणा की है। यह भी केन्द्र पोषित पूरी योजना है। मान्यवर, इसमें 73 रुपये मजदूरों को मजदूरी दी जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी जनपद में 73 रुपये में कोई मजदूर उपलब्ध आज की तारीख में नहीं है।

मान्यवर, सरकार ने इतनी भी जहमत उठाने की कोशिश नहीं की है कि इस योजना को, जो केन्द्र सरकार ने यहां दी है, उस योजना को किस प्रकार से यहां लागू किया जाय। यदि केन्द्र सरकार 73 रुपये और कम से कम राज्य सरकार 73 रुपये इस बजट में निर्धारित करती तो मैं समझता कि सरकार गरीबों के प्रति और उस योजना के प्रति संवेदनशील है इसलिए मैं इसकी भी निन्दा करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, पेज–39, 40 और 41 पर अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत योजना का चयन कर लाभान्वित करने का प्राविधान इसमें किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछले बजट में इसी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन गरीब बी0पी0एल0 किसानों को जमीन क्रय करके देने का वादा किया था, उसके लिए बजट का निर्धारण किया था लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले बजट में जो वादा किया था, उसका जीरो परसेंट भी पालन नहीं किया गया और गरीब भूमिहीन किसानों को कोई जमीन खरीद कर नहीं दी गयी है। मैं इसलिए इसकी निन्दा करना चाहता हूँ कि पिछली बार तो झूठा प्राविधान बजट में कर भी दिया गया था लेकिन इस बार के बजट में उसका निर्धारण भी नहीं किया गया है गरीबों की तरफ देखा भी नहीं गया है, गरीब पर्वतीय किसानों की तरफ देखा भी नहीं गया है, गरीब मैदानी किसानों की तरफ देखा भी नहीं गया है, मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए जेण्डर बजट के नाम पर जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं और वाह-वाही लूटना चाहते हैं, यह धोखा देने का कार्य इस सरकार ने किया है, महिलाओं को भ्रमित करने का जो कार्य किया है, यह निन्दनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दलितों की पूर्ण रूप से इसमें उपेक्षा की गयी है इसमें इसलिए दलितों की उपेक्षा की गयी है क्योंकि पूरे बजट का 19 परसेंट स्पेशल कम्पोनेन्ट के द्वारा पूरे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर खर्च करने का प्राविधान भारत सरकार का है। भारत सरकार के पार्लियामेंट कमीशन ने एक गाईड लाईन बनाई है, उस गाईड लाईन का पालन इस सरकार ने नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए पालन नहीं किया है क्योंकि वह यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों की, यहां के गरीब लोगों की तरक्की होते हुए नहीं देखना चाहती है, उसकी उन्नति नहीं करना चाहती है, उसका उत्थान नहीं करना चाहती है। मात्र घोषणा करके, मात्र झूठा बहकावा देकर वाहवाही लूटना चाहती है लेकिन उसकी समस्या का समाधान किसी प्रकार से भी नहीं करना चाहती है। मैं इसलिए इस बजट की निन्दा करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बारे में कहा है, जब हमने अखबार पढ़े तो उसमें देखा और टी०वी० पर एक बहुत मोटी-मोटी लाईन देखी कि किसानों की बहुत हितैषी यह सरकार है, किसानों का बहुत उद्धार करना चाहती है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो घोषणा इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि किसान जो क्रय करेगा, उस पर स्टाम्प ड्यूटी जो पहले एक लाख पर लगती थी अब उसे बढ़ा दिया है और अब किसान 3 लाख तक जो क्रय करेगा, उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि यह परम्परा पहले से चली आ रही है, तीन लाख की छूट स्टाम्प पर पहले से थी और इस सरकार ने पिछले कुछ महीनों में उसे बन्द किया और बन्द करने के बाद आज यह घोषणा की कि हम किसानों के बहुत हितैषी हैं, हम किसानों की बहुत तरक्की करना चाहते हैं, उसकी बहुत उन्नति करना चाहते हैं। ये दिया है किसानों को। एक और चीज मैंने कृषि के बजट में देखी, कहा गया कि कृषि का बजट बढ़ा दिया गया है मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि का बजट बढ़ा दिया गया है लेकिन बजट में और उसके साथ जो भी किताबें दी गयी हैं, उनमें कहीं यह उल्लेख नहीं है कि कृषि में किसानों को सरकार क्या सुविधा देने जा रही है, कृषि में किसानों का क्या भला करना चाहती है सरकार। कुछ नहीं करना चाहती है सरकार। इसलिए मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछली बार यह कहा गया था कि प्रत्येक बी0पी0एल0 का जो पात्र है, उसको 30 हजार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति और दुर्घटना में मरने वाले लोगों को 25 हजार रुपया दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष में कितने लोगों को यह सुविधा दी गयी? मैं जहां तक समझता हूँ, हो सकता है कि एक आध को मिला होगा। शून्य में ही इसकी रिपोर्ट आएगी क्योंकि सरकार देना नहीं चाहती, इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया उसमें बनायी गयी है। यदि सरकार वास्तव में इस योजना को लागू करना चाहती है, वास्तव में गरीबों को हक देना चाहती है, वास्तव में गरीबों का उत्थान करना चाहती है तो इसकी जो जटिल प्रक्रिया है, उसे सरल करना बहुत ही अनिवार्य है। सरकार वायदे तो बहुत करती है, गरीबी की बात तो बहुत करती है, सदन में भी भाषण देती है और बाहर भी भाषण देती है, लेकिन यह सरकार गरीबों का उत्थान नहीं करना चाहती है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में जो इस बजट में दिया गया है कि हम छूट देंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड के इतिहास में भू-कानून, जो कि एक काला कानून है और उसे लागू करके उत्तराखण्ड सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में जो हमें शुल्क मिलता था, अगर आप पिछले आंकड़े देखें तो वर्ष 2006-07 और 2007-08 के आंकड़े देखें तो इसमें यह शुल्क आधे से भी कम प्राप्त हुआ है, सरकार झूठे वायदे करती है और देना कुछ भी नहीं चाहती है। सड़कों के मामले में मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सड़कें कहीं भी नहीं बन रही हैं, हरिद्वार जनपद का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के अन्तर्गत अभी हमारे प्रदेश में चौथा चरण भी पूरा नहीं हुआ है और भारत वर्ष में इस योजना का सातवां चरण चल रहा है। तो इतनी उन्नति यह सरकार सड़कों के बारे में हमें देना चाहती है, इसलिए मैं इस बजट की निन्दा करता हूँ।

मान्यवर, बिजली की समस्या के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज उत्तराखण्ड को बने 8 वर्ष हो गये हैं, जब से यह उत्तराखण्ड सरकार बनी है, ऊर्जा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुये हैं। ऐसा किसी भी सरकार में नहीं हुआ है कि पूरे उत्तराखण्ड में सात से आठ घंटे तक विद्युत की कटौती की गई है। अभी पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जा रही है, यह सरकार नहीं चाहती कि यहाँ की बिजली में सुधार हो। मान्यवर, पूरे हरिद्वार जनपद में बिजली की लाइनें पुरानी हो चुकी हैं और उनके टूटने से कई बार दुर्घटनायें हो चुकी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी, समय का ध्यान रखें।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, अभी मेरे तीन मिनट बाकी हैं। मान्यवर, बिजली के बारे में सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, सरकार द्वारा कुटीर ज्योति योजना प्रारम्भ की गई थी जिसमें बी0पी0एल0 परिवारों को कनेक्शन दिये गये थे और कहा गया था कि इसका बिल जमा नहीं करना होगा, लेकिन आज सरकार के द्वारा उन गरीब लोगों की आर0सी0 काटी जा रही है और उनको तहसील भेजा जा रहा है, उनके घर को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है सरकार पहले तो झूठे वायदे करती है और पहले तो उनको कनेक्शन दिये गये और बाद में उससे मुकर कर गरीब लोगों की नीलामी करवा रही है। उनके बिल माफ करने के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। किसानों पर जो सरचार्ज लगाया गया है वह 50 प्रतिशत से ज्यादा है, उसे भी किसी प्रकार से कम करने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है।

मान्यवर, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता पर पेयजल के बारे में कहना चाहता हूँ कि इसमें केवल 6 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। 2006 से 2940 नल जो सरकार ने लगाये हैं, वह सिर्फ हरिद्वार जिले में खराब पड़े हैं और इस बजट में वह नल भी सही नहीं हो पायेंगे, नयी योजनाओं की बात तो दूर है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैंने इसी बात पर नियम-300 और नियम-53 के अन्तर्गत दिया है और जो क्वेश्चन मैंने आज दिया है, उसमें भी उठाया था तो इस बारे में सरकार ने हमसे वायदा किया, आश्वासन दिया कि हम सिंचाई के साधन हर क्षेत्र में उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन बजट में देखता हूँ तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, इसलिए धोखा देती है यह सरकार, झूठ पर आधारित है यह सरकार, और यह बजट झूठ का पुलिन्दा है।

मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण करने की आज हरिद्वार में बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यह नदी-नालों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके लिए 2007-08 में भी कोई बजट नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ नियंत्रण में बजट का निर्धारण होना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन इस बजट में मात्र 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में ही इस काम के लिए 77 करोड़ रुपये की योजना जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया इस सिग्नल का सम्मान कीजिये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सरकार का निन्दनीय बजट है यह भी कहना चाहता हूं कि इन विभाग में जो जंगली जानवरों के द्वारा या जंगली हाथियों के द्वारा, पार्क से सटे हुए जो गाँव हैं, उनमें जान–माल का खतरा रहता है इसका कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया है। जब कोई विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र देता है और पत्र के माध्यम से समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराता है। मैं यह बताना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि जब यह पत्र सचिव के पास जाता है और जब सचिव से हम विधायक लोग वहां पर मिलते हैं तो सचिव कहते हैं कि आपके पत्र पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं लिखा, इस पर मैं क्या कार्यवाही करूं? मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए उत्तराखण्ड में। जब कोई सम्मानित विधान सभा का सदस्य मुख्यमंत्री को या मंत्री को पत्र दे तो उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि आपने जो समय मुझे दिया था, उससे कुछ ज्यादा समय मेरे द्वारा लिया गया है। इसलिए अपनी बात को खत्म करने के लिए केवल इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट असत्य पर आधारित है, झूठ का पुलिन्दा है, बेरोजगारी दूर करने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। महिलाओं को भ्रमित करने के लिए बजट है, युवाओं का विरोधी यह बजट है, केवल आंकड़ों पर आधारित बजट है, आंकड़ों के बल पर सरप्लस बजट दर्शाया गया, यह जादूगरी का करिश्मा किया गया है इसलिए इस बजट की जितनी निन्दा हो, क्योंकि यह दिशाहीन बजट है, मैं इसकी उतनी निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

*श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं और आपका धन्यवाद अदा करता हूं। सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और अपनी बात को रखने से पहले एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शेर कहना चाहूँगा "मत सताओं हमें इतना, हम इस सरकार के सताए हुए हैं। एक दिन वो भी था जब फूलों को हम मसल देते थे, आज कांटों को हम सीने से लगाये हुए हैं, मित्रों मत घबराओ फिर वही बहारें आएगी (चार साल बाद की बात मैं कर रहा हूँ जब कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी) मत घबराओ फिर बहारें आएंगी इसलिए दिल को हम समझाए हुए हैं।"

माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, यह बजट दिशाहीन है और यह जो बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है यह झूठ का पुलिन्दा है और यह बजट जो यहां पर प्रस्तुत किया गया है यह युवा विरोधी बजट है, महिला विरोधी बजट है। इस बजट की जितनी निन्दा हम करें वह बिल्कुल कम है। मैं इसमें एक चीज मुख्य रूप से यह कहना चाहूँगा कि जो बजट पेश किया गया है उसमें सबसे पहले जो राज्य सरकार ने इस बजट में चीजें रखीं हैं, उसमें केन्द्र की जो योजनाएं हैं, जिसको हमारे अन्य साथियों ने भी कहा है उन योजनाओं को इस बजट में अपने प्रयास में जोड़ने का प्रयास किया है। चाहे कस्तूरबा गांधी योजना जो केन्द्र का बिन्दु है, इसे लें, चाहे इसके साथ राष्ट्रीय रोजगार योजना जिसके विस्तार हेतु 16 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान केन्द्र सरकार ने रखा है, उस बिन्दु को लें, चाहे इसके साथ-साथ मध्याह्न भोजन की बात को लें, चाहे जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल पर इसके विस्तार की बात कही हो और सबसे ज्यादा निन्दा मैं इस की करना चाहता हूँ कि इस बजट में पेज-7 में स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण करने की बात है पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की बात है यह निश्चित रूप से गरीब विरोधी बात की गयी है। जहाँ पर एक ओर सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य में बी0पी0एल0 परिवारों के लोगों को सुविधा देंगे। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो एम्बूलेंस सेवा हमें उपलब्ध करायी जा रही है उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा और जो राजपुर रोड में अपनी एम0आर0आई0 मशीन लगाकर बैठा है, एक्स-रे मशीन लगाकर बैठा है वह इस पी0पी0 योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार का जो निजीकरण का प्रयास है, एक षड़यंत्र के तहत ये रचनाएं रची जा रही हैं। इसके साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र की मैं बात करूँगा। आज तराई में, चाहे हरिद्वार में जो नये उद्योग लगाये गये थे वे उद्योग आज बन्द हो रहे हैं और तराई से पलायन हो रहा है। यहां पर हौंडा जनरेटर की बात है निश्चित रूप से इसकी हमें निन्दा करनी चाहिए और जो सबसे महत्वपूर्ण है आबकारी नीति में, हमने पहले भी कहा कि कुमाऊँ और गढ़वाल जो पर्यटन की दृष्टि से आय के स्रोत को उत्पन्न करते हैं तो उससे पहले भी वहां एफ0एल0-2 के गोदाम थे। उनको कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल में दिया जाता था, लेकिन इस सरकार ने यहाँ कि

माफिया संस्कृति को पनपाने के लिए, माफियाओं को अपने निजी हाथों में रखने के लिए, यहाँ पर उनको संरक्षण देने के लिए जो हमारी आबकारी नीति है, उनके हाथों के सुपुर्द में दी गयी है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज यह सरकार जेन्डर बजट की बात कर रही है, इस जेन्डर बजट में महिलाओं के हित के लिए कोई बात नहीं कही गई है, उनको स्वावलम्बी बनाया जाय, इसमें यह बात भी नहीं कही गयी है। मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा जो वित्त पोषित योजना चल रही है, महिला समूह के माध्यम से जो योजना चल रही है, ग्रामीण परिवेश की गरीब महिला जो अपने समूह के माध्यम से, छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से अपने छोटे-छोटे कामों को अंजाम दे रही है, इस सरकार ने कहीं पर ऐसा प्राविधान नहीं किया है कि ब्लॉकों में, हर क्षेत्र में विपणन केन्द्र स्थापित करके उन चीजों को हम खरीद सकें। इसके साथ-साथ यह युवा विरोधी बजट है, इसमें इस बात को मैं इसलिए कहूँगा कि हमारा जो पहाड़ का युवा है वह बेरोजगारी की लाईन में खड़ा है उसके बारे में यह सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है, हमारी पहाड़ की जवानी दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रही है, ये सरकार कहीं पर व्यवसायिक शिक्षा का प्राविधान नहीं कर रही है, यहाँ पर ऐसी व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करें कि जो हमारे पहाड़ की प्राकृतिक सम्पदायें हैं, उसकी शिक्षा हमारे विश्वविद्यालय के अन्दर, डिग्री कॉलेज के अन्दर और इण्टर कॉलेज के अन्दर दी जाये जिससे वह अपने अन्दर आत्मनिर्भरता की अलख जगा सकें। उसकी जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर वह उसकी पैदावार कर सके ताकि जो बेरोजगारी की फौज खड़ी है उसको समाप्त किया जा सके।

साथ-साथ मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि आज पहाड़ के अन्दर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहा है, हमारे पहाड़ के जो शिल्पी हैं, जो ताम्र नगरी है उसको समाप्त करने का एक षड़यंत्र रचा जा रहा है, हमारा पहाड़ का व्यक्ति अपने हाथों से ताँबे के कलश आदि चीजों को बनाता था। इस सरकार ने बजट में उनके लिए कहीं पर भी कोई प्राविधान नहीं किया है कि उसके हाथ से बनाये हुए कलश आदि को हम खरीदने का प्रयास करें। यहाँ पर जो कम्प्यूटर प्रणाली की चीजें हैं उनको सरकार प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है इससे जो हमारी अनुसूचित जाति की ताम्र नगरी है, जो हमारी परम्परागत शैली है उसको हतोत्साहित करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण चीज पर्यटन है, पर्यटन के बारे में यह सरकार नहीं सोच रही है, एक चीज मैं कहना चाहूँगा, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर हमारी नदियाँ हैं वहाँ पर सरकार कोई चिन्तन नहीं कर रही है कि वहाँ पर झील बनाई जाय, वहाँ पर जो पर्यटन से

कोई रोजगार लेता है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तो उसको विभिन्न विभागों के चक्कर काटने में ही उसका समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन सरकार ने चाहे वन विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग हो या उससे सम्बन्धित विभाग हो उसमें कोई सामंजस्य बिठाने का प्रयास नहीं किया है।

उसके साथ-साथ समाज कल्याण के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि विधवा पेंशन जो हमारे प्रतिपक्ष ने भी कहा कि इसमें कोई राशि बढ़ाने का प्राविधान नहीं किया। समाज कल्याण के अन्दर जो मुख्य बात है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको उनकी शादी के लिए उनके इलाज के लिए बहुत कम बजट मिलता है, उससे एक ब्लॉक में चार या पाँच लोग लाभान्वित होते हैं। सरकार ने उसमें राशि बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं किया है। इसके साथ जो औद्योगिक नीति बनाई है उसका क्या स्वरूप होगा उसका भी जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है।

मान्यवर, दीन दयाल उपाध्याय की योजना के बारे में यहाँ पर हर्ष व्यक्त किया जा रहा है, उसकी धनराशि बढ़ाये जाने के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं आया। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा अल्मोड़ा की पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न के माध्यम से भी माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था। इस बात को आज मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि अल्मोड़ा पेयजल के मामले में बहुत संवेदनशील है। जो सरयू शेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना है, आज त्राह-त्राह अल्मोड़ा नगर के अन्दर मची है, उस पर सरकार बिल्कुल गम्भीर नहीं है, इस बात की मैं निन्दा करता हूँ। इसके साथ-साथ हमारे भैसियाछाना ब्लॉक के अन्दर तोक पिपलखेत और तोक जिठानी है, वहाँ पर भूस्खलन से पलायन की स्थिति आ गयी है, सरकार उनके विस्थापन के सम्बन्ध में कहीं चिन्तनशील नहीं है। इस बजट में मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के लिए मात्र 6 करोड़ का प्राविधान रखा गया है, इससे मुझे सरकार की ऐसी मंशा अच्छी नहीं लगती है, यह राशि बहुत कम है। इसमें ऐसा लगता है कि अल्मोड़ा में स्वर्गीय गोवर्धन तिवारी मेडिकल कॉलेज जो वहाँ पर है, हमने इस विधान सभा के अन्दर भी उस बात को रखा था उसको तीव्र गति से बनाने का प्रयास यह सरकार नहीं कर रही है। इसके साथ ही मैं इस बात को गौरवान्वित होकर कह रहा हूँ।

मान्यवर, कि हमारे अल्मोड़ा ने अपनी संस्कृति के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। अल्मोड़े के अन्दर कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं चाहे वह धावक हों या बैडमिन्टन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने खेलों में एक ख्याति अर्जित की है। लेकिन अल्मोड़े के अन्दर

एक जो हमारा स्वर्गीय हेमवती नन्दन स्टेडियम है, उसके विस्तारीकरण की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है लेकिन इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सभी साथियों के साथ प्रस्तुत बजट की निन्दा करता हूँ। यह बजट दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, युवा विरोधी और महिला विरोधी तथा दिशाहीन बजट है और अपने आपको नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करता हूँ और आपको नमन करता हूँ।

श्री हरिदास–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस सदन में वर्ष 2002 में चुन कर आये थे और उस समय बजट एक हजार पचास करोड़ का था। मान्यवर, माननीय तिवारी जी, जब इस राज्य से गये तो चार हजार करोड़ का बजट छोड़कर गये। हम सब यह सोच रहे थे कि 10 प्रतिशत तो बजट पहले से बढ़ेगा ही। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। यह सरकार चार हजार करोड़ का बजट तक खर्च नहीं कर पायी। इस वजह से केन्द्र सरकार ने राज्य के बजट को नहीं बढ़ाया।

मान्यवर, जब बच्चा रोता है तभी माँ भी दूध पिलाती है। जब पिछला बजट ही यह सरकार खर्च नहीं कर पाई तो भारत सरकार बजट को क्यों बढ़ायेगी। मान्यवर, सरकार के पास न कोई योजना है और न कोई नियोजन है। माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल के बारे में कहना चाहता हूँ कि शहरों में पाईप लाईन हैं वे काफी पुरानी और जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। कई जगहों में पाईप लाइनों में लिकेज है और उन पानी की पाईप लाइनों में सीवर का पानी भी चला जाता है जिससे लोगों को हैजा, पीलिया और पेट से सम्बन्धित बहुत गम्भीर बीमारियाँ हो जाती हैं। किन्तु सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, पेयजल की बहुत गम्भीर समस्या है। यह समस्या केवल शहरों में ही नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी गम्भीर समस्या है। इस बात को माननीय मंत्री जी ने माना था कि पेयजल की समस्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी है। पेयजल को सुधारने के लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत तक नल खराब हैं किन्तु उनके सुधार के लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर अलग से चर्चा कराने की बात कही है। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, बजट जो रखा जाता है वह

इसलिए रखा जाता है कि गरीबों, पिछड़ों का विकास हो, उत्थान हो, लेकिन इस बजट में उनके उत्थान के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार कोई भी सांसद हो, विधायक हो, पंचायत हो, कोई भी विकास की योजना हो उसमें 22.50 प्रतिशत दलितों के उत्थान के लिए खर्च किया जायेगा। लेकिन इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, मेरा तो यह मानना है कि पिछले साल जिस तरह से बंदरबांट हुई है, उसी तरह की बंदरबांट यह सरकार इस वर्ष भी करेगी। अगली बार तो हम वहाँ पर बैठेंगे। (हँसी)

मान्यवर, मैं इस बजट की घोर निन्दा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बी०पी०एल० श्रेणी के लोगों के लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गौरा देवी कन्या धन योजना के माध्यम से धन देने की बात कही गई है। उनके अलावा भी बहुत से गरीब लोग हैं जिनको दो जून की रोटी चाहिए।

मान्यवर, इस सरकार ने पिछले एक साल में हमारे बी०पी०एल० परिवारों के लिए कोई भी कार्ययोजना ऐसी नहीं बनायी जिससे इन परिवारों को दो रोटी का गुजारा मिल सके। उनको डीजल नहीं चाहिए और उनको पैट्रोल नहीं फूँकना। उनको मात्र दो रोटी चाहिए, आज इस बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, यदि ऐसे परिवार के बच्चों की आंख खराब होती है तो सरकार उन्हें लेंस भी उपलब्ध नहीं करा सकती है। जब उनको दिखेगा ही नहीं तो वह कहाँ से काम कर पायेंगे? ऐसे लोग तो बी०पी०एल० से भी नीचे चले जायेंगे। बी०पी०एल० परिवारों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में कोई ऐसी योजना नहीं रखी गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार गारंटी योजना की बात यह भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार की योजना में प्रदेश सरकार को यह हक है कि बी०पी०एल० परिवारों के लोगों की दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपया देने का कार्य कर सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जबकि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पैसा 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया है। इसकी जानकारी माननीय पंत जी, आपको भी है इस प्रकार से इस सरकार ने इसे 150 रुपये कर देनी चाहिए थी। जो रोजगार गारंटी का पैसा है वह ज्यों का त्यों पड़ा है। उसका भी उपयोग कहीं नहीं हुआ है। सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि जो पैसा भारत सरकार द्वारा दिया गया है रोजगार गारंटी योजना से, उस पैसे का सदुपयोग हो सके, ऐसी योजना बनानी चाहिए इस प्रकार की योजना तभी सक्षम होगी। हमें रोजगार गारंटी के पैसे को दिहाड़ी में 150 रुपया करना पड़ेगा तभी ऐसे परिवारों का फायदा होगा।

मान्यवर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात हुई थी, मेरे क्षेत्र में है जो बालिकाओं के लिए है। भारत सरकार ने इस विद्यालय के लिए 20 लाख रुपये दिये थे, वे बीस लाख रुपये के पिलर ही खड़े किये हैं उसके अलावा और कुछ नहीं किया गया है यह विद्यालय रुड़की में चल रहा है, उस स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ रही है और वह कक्षा आठ में गयी है। लेकिन कक्षा आठवीं के बाद उनका कोई भविष्य नहीं है, अब वे इसके बाद कहाँ पढ़ेंगे इसका कोई पता नहीं हैं सरकार उन लड़कियों के प्रति गम्भीर नहीं और जो ऐसे दलित परिवार के बच्चे हैं उनके प्रति गम्भीर नहीं हैं और न ही बी0पी0एल0 परिवार के लोगों का ध्यान दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को यह भी कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों पर जरूर ध्यान दें। प्रदेश के उन बेरोजगार नवयुवकों के बारे में कहना चाहता हूँ कि पिछली बार सरकार द्वारा सदन में कहा था कि 70 प्रतिशत प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। इस सम्बन्ध में माननीय पंत जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का पता नहीं। वह कमेटी कहाँ गयी और न उसने रिपोर्ट दी और न हमें पता चला कि उस पर क्या कार्यवाही हुई है। विधान सभा में एक दिन भी बहस नहीं हुई और न उस पर चर्चा हुई। इसके बारे में सदन में बताना चाहिए था।

मान्यवर, जो फैक्ट्रियाँ हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में लगायी गयी हैं, उन्होंने कहाँ-कहा हमारे प्रदेश के बच्चों को रोजगार दिये हैं? मैं मानता हूँ अगर वह 70 प्रतिशत की रिपोर्ट दें कि हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया है। यदि हमारे प्रदेश का कोई भी अधिकारी इन फैक्ट्रियों में कार्य कर रहा हो उसकी जानकारी हमें दे दें, मान्यवर, इन फैक्ट्रियों में प्रदेश के बाहर के राज्य के लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के या अन्य प्रदेश के हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस सरकार ने इस सम्बन्ध में एक संसदीय कमेटी बनानी चाहिए और उस सिडकुल का दौरा करें और ये देखें कि कहाँ 70 प्रतिशत लोग रोजगार में रखे गये हैं। कहाँ अधिकारी और कर्मचारी हमारे प्रदेश के हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा बात न करते हुए इस बजट भाषण में हमारे नेता माननीय सदस्य शहजाद जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ और मैं इस बजट भाषण का घोर विरोध करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री गगन सिंह--

मान्यवर, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया गया, जिसका मैं हृदय से आभारी हूँ। मान्यवर, सर्वप्रथम तो मैं बजट का समर्थन करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा

जो बजट है उसमें माननीय मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी एवं उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार खरी उतरेगी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड का सर्वांगीण विकास होगा। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट में कुछ बिन्दु छूट गये हैं जिनको मैं सम्मिलित करने का निवेदन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी में मृग विहार होने से तमाम विकास कार्य जिसमें सड़कें, विद्युत परियोजना, पेयजल लाईन आदि हैं, जो विकास के प्रथम सोपान हैं, एकदम बन्द हो गये हैं। इसके निराकरण हेतु अस्कोट कस्तूरी मृग विहार का पुनः सीमांकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि पुनः सीमांकन का अधिकार राज्य सरकार के अधीन नहीं है तो विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना मात्र एक दिन स्वप्न बनकर रह जायेगी। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला में मोबाइल सेवा इस आधार पर नहीं लगाई जा रही है कि उक्त क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है मोबाइल सेवा होने से माओवादी खतरा बढ़ सकता है।

मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि उक्त क्षेत्र से लगी सीमा नेपाल के जिला धारचूला में नेपाल सरकार द्वारा मोबाइल सेवा लागू कर दी गयी है। यदि माओवादियों को अपनी गतिविधियों को अंजाम देना है तो भारतीय मोबाइल सेवा की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। देश आज इक्कीसवीं सदी में जी रहा है। उक्त क्षेत्र को सचल संचार व्यवस्था से वंचित रखना सर्वांगीण विकास की अवधारणा में खरा नहीं उतरता है। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला–मुनस्यारी अति दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्र है। जहाँ प्रतिवर्ष भीषण घटनाएँ होती रहती हैं तथा कई परिसम्पत्तियाँ नष्ट होती हैं। जैसे मालपा काण्ड, बरम काण्ड, रांथी सेलमा आदि। अनेक उदाहरण हमारे समक्ष हैं। समस्या निस्तारण हेतु संवेदनशील क्षेत्र में आपदा केन्द्र की स्थापना, जून से सितम्बर तक हैलीकाप्टर की मौजूदगी, मोबाइल सचल वाहनों की व्यवस्था की आवश्यकता है। साथ ही परिसम्पत्तियों के रख रखाव पुनर्निर्माण के लिए प्रतिवर्ष 25 करोड़ रु0 के पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, प्रदेश में गुर्जर भाईयों को स्थायित्व हेतु सरकार द्वारा जो कारगर कदम उठाये गये हैं। वह सराहनीय कदम हैं। इसी तर्ज पर महोदय का ध्यान प्रदेश में विलुप्त प्रायः आदिम जनजाति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, इस जाति के लोग आज भी खानाबदोशी जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें स्थायित्व प्रदान

करने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य तराई भावर एवं दून घाटी में 5–5 एकड़ भूमि आदि की सुविधा प्रदान कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु कारगर कार्यवाही की आवश्यकता है। मान्यवर, प्रति वर्ष इनकी जनसंख्या घटती जा रही है, जबकि वृद्धि होनी चाहिए। आज इन समुदायों की जनसंख्या 400 रह गई है और लगभग 120 परिवार हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट में जोड़ दिया जाए। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला मुनस्यारी के निवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए चूँकि उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का रहन–सहन, खान–पान, वेश–भूषा आदि समान हैं। समान परिवेश एवं समानता के आधार पर इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए।

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा अग्रिम कार्यवाही होने तक उक्त पिछड़े क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक स्थिति जो दयनीय स्थिति में है, को मद्देनजर रखते हुए पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को ओ0बी0सी0 का दर्जा मिले। मान्यवर, पूरे प्रदेश में गोरिल्ला संगठन के हितों में भी सरकार को कारगर कदम उठाना पड़ेगा। मान्यवर, प्रदेश में शिक्षा आचार्यों के भविष्य को देखते हुए मूल विद्यालय में समायोजित कर उन्हें न्याय दिलाने की आवश्यकता है जिससे कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना होने पायें। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत पवित्र धार्मिक स्थल छिपलाकेदार, कोकिला, कनार, धारचूलाकोट को पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित कर इन धार्मिक स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला में बरम में सौ–शैय्या वाले चिकित्सालय की नितान्त आवश्यकता है जिससे कि स्थानीय जनता को चिकित्सा में हो रही असुविधा से निजात मिल सके।

मान्यवर, अन्त में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट को समर्थन कर माननीय खण्डूड़ी जी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का समर्थन करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि उपरोक्त समस्या का यथासमय निराकरण हो पायेगा।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

(इस समय 04 बजकर 32 मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

मान्यवर, बहुत जोरों से प्रचारित किया गया कि आटे पर और कुछ अन्य चीजों पर वैट की दर एक प्रतिशत की गई और साथ-साथ बहुत प्रचारित किया गया कि सीवर टैक्स और वाटर टैक्स भी माफ कर दिया गया। मान्यवर, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि यह कार्य आज ही क्यों हुआ, बजट में क्यों हुआ? वैट की दरें तो पहले भी आप परिवर्तित करते रहे। जब उत्तर प्रदेश ने आटा, सूजी, मैदा, दालों पर अपना वैट कम कर दिया तो सरकार की मजबूरी हो गई क्योंकि यहाँ का व्यापार एक तरह से तबाह हो गया था, तो सरकार ने अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाया यह एक मजबूरी से कदम उठाया है।

मान्यवर, इसी तरह से वाटर टैक्स की बात करें तो पूर्व सरकार ने आंशिक कदम ले लिया था तो उसी परिपाटी को इस सरकार ने आगे बढ़ाया है। मान्यवर, इस बजट में बार-बार कहा गया और कुछ बातें भी कही गई कि पर्वतीय क्षेत्र में पलायन रोका जाए और किस तरह से पलायन रुकेगा इस पर सरकार द्वारा गम्भीरता नहीं दिखाई है, कहा गया कि पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग लगाये जायेंगे और प्रोत्साहन दिया जायेगा और यह प्रोत्साहन पहली बार नहीं दिया जा रहा है, सन् 1970 से, 71 से लगातार प्रोत्साहन पर्वतीय क्षेत्र में दिये जा रहे हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि उन प्रोत्साहनों से, उन सब्सिडी से पर्वतीय क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित हुये और जो उद्योग स्थापित हुए तो आज कमोबेश स्थिति है कि वे उद्योग चल नहीं रहे हैं, क्या स्थिति फिर से वही होने जा रही है? मान्यवर, यदि पलायन को रोकना है पर्वतीय क्षेत्र में, तो हमें पर्यटन का विकास करना होगा, यही एक मात्र तरीका है पर्वतीय क्षेत्र में पलायन को रोकने का।

मान्यवर, बड़ा दुःख होता है कि पूरे बजट भाषण में पर्यटन के क्षेत्र में इतनी कम तवज्जो दी गई है, यह देखकर हैरानी होती है। मान्यवर, मैं विदेशों में गया, कई देशों की यात्रा करने का मौका मिला, तो छोटे-छोटे देशों में जैसे मॉरीशस में एक मास ट्रान्सपोर्टेशन का सिस्टम है, जहाँ आदमी बसों में पर्यटन के लिए जाता है और बस में एक गाईड होता है, जो बताता है कि यहाँ की क्या-क्या विशेषता है। इस पूरे बजट में गाईड की ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की कोई बात नहीं की, कि किस तरह से हम उत्तराखण्ड की संस्कृति के बारे में बता सकें, पर्यटकों को कौन-कौन से अच्छे स्थान हैं, उनके बारे में बता पायें, कहीं भी किसी गाईडेंस की बात इस बजट में नहीं कही है मास ट्रान्सपोर्टेशन के लिए नहीं कहा है।

मान्यवर, जब तक हम कुछ रूट्स मास ट्रान्सपोर्टेशन के लिए रिजर्व नहीं करेंगे तब तक हम पर्यटन का सही विकास नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, कहा जाता है कि साहसिक पर्यटक खेलों की ओर युवाओं का बहुत आकर्षण होता है और आज भी मात्र एक लाईन में बात को समाप्त कर दिया गया कि साहसिक पर्यटन विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। क्या विकास किया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं की गयी है। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार की जो मंशा है कि पहाड़ का पलायन रोका जाय, यह कहीं पर भी इस बजट में परिलक्षित नहीं होता है। मान्यवर, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं के साथ कहीं न कहीं कोई बेमानी कर रही है, मैं यह कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, वाणिज्य कर में जहां लगातार हमारा लक्ष्य 20 प्रतिशत बढ़ रहा है वार्षिक, वहीं इसमें स्टाफ की कमी है। पिछली सरकार में माननीय पंत जी ने खड़े होकर कहा था कि 30 प्रतिशत स्टाफ की कमी है। इस बजट के अन्दर वाणिज्य कर के अन्तर्गत नये पद सृजित करने की दिशा में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, इसी प्रकार जो पिछली बार सर्विस टैक्सेस की बात आयी थी पिछली बार जो 33 दिन की सर्विस टैक्स वसूली का कार्य प्रदेश सरकार के पास आने जा रहा है, इसके लिए सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसके लिए सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस बजट में गुड्स एण्ड सर्विसेस टैक्स 2010 में सारे भारत में लगने जा रहा है, इसके लिए किस तरह से ट्रेनिंग की जायेगी इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

मान्यवर, इस सरकार द्वारा जो स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में एक प्रतिशत की कमी की गई है इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ। मान्यवर, प्रदेश में जो फर्जी रजिस्ट्री का व्यापार चल रहा है उसको रोकने का क्या प्राविधान होगा और इसके लिए ऐसे अधिकारियों को क्या दण्ड दिया जायेगा जो इसमें लिप्त पाये जायेंगे, इसका जिक्र भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि जो सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्ति मरेंगे उनके आश्रितों को 50 हजार रुपये दिये जायेंगे लेकिन अब पता चल रहा है कि वह 50 हजार रुपये ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर हैं, जिनका परमिट सिर्फ सवारी ढोने के लिए है, उनसे यदि टक्कर होती है तो तभी मिलेगा, इनमें रोडवेज की बसें या परमिट की टैक्सियां हैं। मान्यवर, हम तो कहते थे कि कोई दुर्घटना होने पर 50 हजार रुपये मिलेगा, क्योंकि ऐसी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में बड़ा अफसोस है कि कोई भी मौत अगर सड़क पर होती है तो उन्हें मिलना चाहिए। मान्यवर, मौत यह कहकर नहीं आती है कि अमुक चीज से दुर्घटना होने पर आपकी मृत्यु होगी, यह तो किसी भी वाहन से हो सकती

है। ट्रैक्टर ट्राली, या प्राईवेट वाहनों से भी हो सकती है क्या सरकार इतनी भी दयाशील नहीं हो सकती है कि ऐसी मृत्यु होने पर आश्रितों को 50 हजार रुपये दे दें, मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और जो सड़क दुर्घटनाएं आये दिन होती हैं। मान्यवर, रोजाना 10–15 व्यक्तियों की ऐसी दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, इसके प्रति सरकार संवेदनशील होगी।

मान्यवर, लोक निर्माण के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि 845 करोड़ रु० से बजट बढ़ाकर 1050 करोड़ रु० किया गया है। पिछले साल 24 लाख रुपये की एक किलोमीटर सड़क बनती थी और इस वर्ष यह 33 लाख रुपये में बन रही है। इसका मतलब यह है कि यदि हम किलोमीटर में देखें तो जितने किलोमीटर सड़क बनाने का प्राविधान पिछले साल रखा गया था, उससे कम किलोमीटर सड़क इस साल बनेंगी। यानि अवस्थापना के रूप में हम पिछड़ रहे हैं। मान्यवर, यदि पिछले वर्ष पांच सौ सड़कें बनी तो इस साल कम से कम सात सौ किलोमीटर बननी चाहिए थीं। मान्यवर, यदि बजट का प्राविधान देखा जाय तो इसमें हमारी सड़कें और कम होंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ऊर्जा मंत्री भी हैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ऊर्जा की बात आती है तो इस समय यह हालत है कि लाईन को देखने के लिए लाईनमैन नहीं है और न ही रिक्रूटमेंट हो रहा है। मान्यवर, आज हालत यह है कि हमारे सब स्टेशन को देखने के लिए जे०ई० तक नहीं है, इनको लाईनमैन ही देख रहा है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस दिशा में तुरन्त सोचना चाहिए और नई नियुक्तियां करनी चाहिए।

मान्यवर, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत जो योजनाएं हैं वे सभी ठप हो गयी हैं। मेरे जनपद ऊधमसिंह नगर में जसपुर ब्लाक में आज की तारीख तक, रिकार्ड के साथ कहता हूँ, एक भी राजीव गांधी योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है मान्यवर, जितने भी पोल लगे हैं, अभी तक ऊर्जा विभाग को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। मान्यवर, उनको कोई देखने भालने वाला नहीं है, ऊर्जा विभाग को वे अभी तक स्थानान्तरित नहीं हुए हैं। जब एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स यानि के ज्यादा से ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी जिस समय होती है, उस समय पूरे देश के अन्दर ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस बजट के अन्दर यह नहीं बताया गया कि जब एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं, उस समय हमारे प्रदेश की जनता को सुख देने के लिए क्या करेंगे? हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जाड़ा बहुत पड़ता है, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था बनाने जा रही है? बड़ा अचम्भा होता है कि हर साल जाड़ों में बिजली की कमी होती है और गर्मियों में बिजली की कमी होती है। उसकी क्या व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है, क्या हम थर्मल प्लान्ट यहां पर लगाएं, जो सिर्फ उसी समय चले

या हम कोई गैस पाईप लगाकर कर उस पर आधारित संयंत्र लगाएं, जो सिर्फ जाड़ों में और गर्मियों में चले और हमें ऊर्जा दे? इस तरह की कोई व्यवस्था देने की बात सरकार ने नहीं की है।

मान्यवर, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की बात आयी, एक शौचालय बनाने के लिए ग्रामीण अंचल में बी0पी0एल0 परिवार को मात्र 1200 रुपया दिया जाता है। क्या 1200 रुपये में एक शौचालय बन जाएगा? किस तरह से हम 1200 रुपये में एक शौचालय बना पाएंगे, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसकी राशि बढ़ाने की अति आवश्यकता है। रेन वाटर हारवेस्टिंग की बात आयी, मान्यवर, मैं बड़ा अच्छा आपको एक इग्जाम्पल दूँगा, मेरे यहां स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मैंने कहा कि यह बड़ी बिल्डिंग बन रही है इसमें रेन वाटर हारवेस्टिंग का टैंक बनाइये। उस विभाग के पास, रेन वाटर हारवेस्टिंग का जो टैंक बनाते हैं, उसका डिजाईन तक उपलब्ध नहीं है। हम रेन वाटर हारवेस्टिंग की बात करते हैं और डिपार्टमेंट के पास रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम कैसे बनाया जाएगा, उसका डिजाईन तक उपलब्ध नहीं है। यह हालात हैं।

मान्यवर, उच्च शिक्षा में, माननीय पंत जी से गुजारिश करूंगा कि इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने पूरे भारत में 16 ऐसे केन्द्र खोलने की मंशा जाहिर की है, जिसमें विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, यह बात भारत सरकार ने कही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की कि मेरी विधान सभा में 950 एकड़ जमीन नेफा के अन्दर है और बगल में एस्कॉर्ट फार्म के अन्दर 500 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो सरकारी जमीन है। मैंने उनसे कहा था कि इस 900 एकड़ में हमारे इन्स्टीट्यूट्स खुल जाएं, टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट्स और जो 500 एकड़ जमीन है, उसके अन्दर आवासीय क्षेत्र बन जाए, जिसमें प्रोफेसर रहें, टीचर्स रहें और स्टूडेंट्स रहें और उन दोनों के बीच में सफल सर्विस करके हम बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, जो हमारे पर्वतीय से लेकर मैदानी क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐसा हब बनेगा जो पूरे विश्व स्तर का होगा। भारत के अन्दर एक अलग सा हब होगा। इसकी स्थापना की जाय, मैंने यह लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जहाँ भारत सरकार इतनी बड़ी बात कह रही है, पूरे भारत के अन्दर 16 ऐसे हब बनाने की बात कर रही है और जहां हम उसको बना सकते हैं, इस बजट में उच्च शिक्षा के अन्दर उसका कोई जिक्र नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार आखिर चाहती क्या है? युवाओं को क्या दिशा देना चाहती है? किसी तरह की कोई दिशा इस बजट में नहीं है। मान्यवर, अभी हमारे बसपा के नेता जी ने औद्योगिक विकास के ऊपर कहा कि मिट्टी बुलान के ऊपर किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंघल जी, कृपया समाप्त करें।

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, एक बिन्दु और उठाना चाहूँगा, जो कि महत्वपूर्ण है। रेता, बजरी जो इस प्रदेश से बाहर जा रहा है, उस पर हमें नियंत्रण करना होगा और कुछ न कुछ रेता, बजरी हमारे सरकारी विभाग के लिए निम्न रेटों पर आरक्षित करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहीं न कहीं जो हमारे प्रदेश का विकास है, वह अवरूद्ध होगा। मान्यवर, बोलने को तो अभी बहुत कुछ है, अगर मुझे दो–तीन मिनट और दे दें तो मैं कृषि के ऊपर जरूर बोलना चाहूँगा। इस बजट के अन्दर पहली बार यह देखने में आ रहा है पंतनगर यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। जहां भारत सरकार ने इसमें 60 हजार करोड़ रुपये देकर कृषकों के लिए सुविधायें दी हैं, वहीं इस प्रदेश की सरकार ने कृषि के लिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के लिए किसी भी प्रकार के बजट का प्राविधान नहीं किया है। (व्यवधान)

इसके अलावा गन्ना किसानों का किस तरह से पेमेन्ट होगा, कितना भुगतान होने जा रहा है, सहकारिता और गन्ना मिलों में इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। चीनी मिलें हमारी लगातार घाटे में जा रही हैं, इसमें गन्ना मिल मालिक भुगतान करेंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है, प्रदेश के कृषकों के साथ कुठाराघात हो रहा है मैं इस बजट का विरोध करता हूँ, क्योंकि यह बजट दिशाहीन है और लक्ष्यहीन है।

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट का विरोध कर रहा हूँ, इस बजट भाषण में जो देखने को मिलता है, वह यह मिलता है कि इस बजट भाषण में कुछ लोगों की अनदेखी की गई है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या ओ०बी०सी० के लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है और हमारे प्रदेश उत्तराखण्ड में सबसे पहले शिक्षा का उद्धार करने की जरूरत है। सरकार इसके लिए हर तरफ से बजट दे रही है, लेकिन उसमें जो उर्दू तालीम है और जो उर्दू अध्यापक हैं, जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि शिक्षा ही स्तर में सुधार के लिए जिम्मेदार है, जो

बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में किसी भी तरह के बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। क्योंकि शिक्षा से ही उनके स्तर में सुधार आ सकता है, मान्यवर, लेकिन जहाँ पर बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं वहां पर किताबें नहीं हैं, जहां पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ के स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं और जिन स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, वहाँ पर उर्दू के टीचर तैनात हैं। मान्यवर, इससे लगता है कि सरकार शिक्षा के प्रति गम्भीर नहीं है। एक वर्ग जो उर्दू की तालीम लेना चाहते हैं, जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको सरकार नजरअंदाज कर रही है।

मान्यवर, वनों से गूर्जरों को निकाल कर जो गैंडीखत्ता और पथरी में बसाये गये हैं, वह लोग बहुत सीधे-सादे हैं। वह अभी जंगलों से निकलकर बाहर आये हैं और आज तक वह लोग अपनी भैंसों के जरिये ही गुजर-बसर करते थे, उनको जंगलों से निकालकर ऐसी हालत में छोड़ दिया गया है, जैसे लावारिस। उनके लिए भी सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, इन लोगों के उद्धार के लिए, सुधार के लिए कोई भी बजट नहीं रखा गया है एक मात्र सड़क बीच में से निकाली है और दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर जहाँ पर वह लोग बसे हैं, वहाँ बिल्कुल कच्चा रास्ता है और बरसात में वहाँ से निकला भी नहीं जाता। उनकी उच्च शिक्षा का कोई बन्दोबस्त नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, उन्हें हर तरह से नकारा गया है और उनके भविष्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जंगली जानवरों को, आज जो बहुत बड़ा एक तरह से किसानों के ऊपर कहर है। हर तरह से वह जान-माल का नुकसान कर रहे हैं। इसमें गूर्जर बस्ती भी हैं। जहां उनके लिए कोई भी इंतजाम जंगली जानवरों को रोकने के लिए नहीं किया गया है और रात-दिन एक-एक खेत में एक-एक मजदूर बेचारा वहाँ रहता है और कभी-कभी उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है।

मान्यवर, इस ओर सरकार ने इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया है। पेयजल की समस्या पूरे प्रदेश में है, लेकिन खास तौर से जिला हरिद्वार में लालढांग क्षेत्र ऐसा है जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी। इसमें कई गाँव तो ऐसे हैं जैसे लालढांग, मिट्ठीबेरी, रसूलपुर और गैंडीखत्ता, मोगैलपुरा, पेरी पड़ाव ये उधर के तमाम गाँव जो हैं, जो हाथ संचालित जो नलके हैं वो काम नहीं करते हैं। बगैर मशीन के वहाँ कोई नल नहीं लग पाता है इसलिए 10-10 नलके इस बार भी मिले हैं, उसमें कोई भला होने वाला नहीं और जो नल पहले से गढ़े हैं जल स्तर नीचे को उतरता जा रहा है और पूरे साल के लिए भी वो नहीं चलते और तमाम नल खराब पड़े हुए हैं।

मान्यवर, सिंचाई के लिए ऐसे ही पिछले साल में कुछ ट्यूबवेल लगे थे, जिससे किसानों को थोड़ी राहत पहुँची है, लेकिन अगले चार साल हो गये अलग बजट अब तक भी कोई किसानों की सिंचाई के लिए, ट्यूबवेल के लिए कोई धन नहीं दिया गया है। इससे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है आज फसलें सूखी हैं, हर तरह से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों के लिए इस बजट में कोई खास प्राविधान नहीं है।

मान्यवर, अभी चाहे उर्दू में पिछड़ी जाति हो या आरक्षण के जो दूसरे वर्ग हैं चाहे वे जनजाति के हों या एस0सी0 के हों, पिछड़ों के हों उनके लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि हम हर विभाग में जो आरक्षित श्रेणी के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने के लिए चाहे वे उर्दू अध्यापक हों या दूसरे आरक्षित पद हों, उनके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिससे हम इसे पूरा कर सकें। तो इसलिए इस बजट से पता लगता है कि सरकार गम्भीर नहीं, बल्कि एक तरह से इन लोगों की वो उपेक्षा कर रही है। मान्यवर, हज कमेटी, जो एक साल सरकार को बने हुए हो गये हैं, हज कमेटी का गठन किया है उसमें हम लोगों को मेंबर बनाया गया है और हज कमेटी के लिए एक मीटिंग की सूचना हमें टेलीफोन से दी गयी और जब हम देहरादून के करीब आ गये तो पता लगा कि मीटिंग पोस्टपोन कर दी गयी है। कोई मीटिंग हज कमेटी की नहीं हुई। जो सदस्य बने हैं उनको मीटिंगों की सूचना तक नहीं दी जा रही है सरकार ने उसके चेयरमैन को नियुक्त कर दिया है। क्या ऐसी कोई परम्परा, कोई नियम है कि बिना मेंबरों के ही कोई पद दे दिया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है और क्योंकि इसके बजट का इसमें कोई प्राविधान नहीं है, न ही इसके जो पद हैं जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनको कहीं नियुक्त किया। हज हाउस कलियर में बनाया गया है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और ये कैसे हज कमेटी चलेगी जब तक किसी विभाग से कोई अधिकारी, कर्मचारी आयेगा, उसे उसके बारे में पता नहीं होगा तो वो चेयरमैन भी जो होगा, मनचाही करेगा, जो सरकार चाहेगी, वो करेगा। इसके लिए कोई भी बजट किसी किस्म का इसमें नहीं है।

मान्यवर, वक्फ बोर्ड है। वह अभी गठित नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड का एक मात्र काम रह गया है कि कलियर का है, कलियर पर ही वक्फ बोर्ड ध्यान देता है। मान्यवर, कलियर का जो चेयरमैन होता है वह उसको देखता है, वक्फ बोर्ड की अन्य सम्पत्ति है हमारे प्रदेश में उसकी कोई परवाह नहीं करता है वहाँ पर कलियर शरीफ का मेला लगने वाला है, इसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इससे पता लगता है कि सरकार इस तरफ गम्भीर नहीं है। मेरा यही कहना है कि

इस बजट में कोई नई बात नहीं कही गई है। यहाँ पर सरकार भेदभाव का काम कर रही हैं इस बजट को देखने में लगता है कि सरकार गम्भीर नही है। इस बजट का मैं पुरजोर से घोर विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी साथियों की बात से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ और मैं इस बजट की घोर निन्दा करता हूँ। मैं सदन का ध्यान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण है उसके पृष्ठ–4 पर डालना चाहता हूँ, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का 2.89 प्रतिशत दिखाया गया है जी0डी0पी0, इसमें यह कहना है कि सरकार ने जहाँ एक तरफ खर्च दिखाया है उस पर लगभग ऋणों के प्रतिदान के रूप में 569.22 करोड़, ब्याज 1249.03 करोड़ तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि में लगभग 2877.61 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए लगभग 217.43 करोड़, और पेंशन में लगभग 727.36 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित दिखाया गया है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ जी0डी0पी0 3 प्रतिशत से अधिक नहीं जानी चाहिए वहाँ पर इन्होंने 2.89 प्रतिशत व्यय पहले से दिखाया है। जो वेतन भत्तों आदि पर व्यय दिखाया गया है वह 2877.61 करोड़ दिखाया गया हैं मैं इस बात की यहाँ पर निन्दा करता हूँ कि छठा पे–कमीशन आने वाला है उसमें वेतन आदि की बढ़ोत्तरी होगी, बजट में किसी तरह इसको समायोजित किया जायेगा, इसका उल्लेख नही है। अगर दो प्रतिशत छठे पे–कमीशन के आधार पर बढ़ोत्तरियाँ होती हैं तो यह तीन प्रतिशत से कहीं अधिक हो जायेगा जबकि इसे तीन प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता है, मैं इस बात की भी निन्दा करता हूँ। दूसरा मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय उत्तराखण्ड राज्य की घोषणा हुई थी वह इसलिए हुई थी कि यहाँ का जो विकास है और जो यहाँ की सोच है वह लखनऊ से इसको ठीक से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए इस बात को यहाँ पर लाया गया। आज भी यही पर हम खड़े हैं चाहे सरकार इस बजट को पेश कर अपनी पीठ ठोक ले, चाहे वह किसी की भी सरकार हो, आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों को कोसने का काम करेंगी। जब इतिहास में इन पृष्ठों को पलटा जायेगा तो निश्चित ही हमें यह कोसेंगी। नये ब्लाक और नये जिले के गठन के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, आपका ध्यान रानीखेत जिले की ओर ले जाऊँगा जो 1875 में तहसील बन गई थी। सबसे पहले जिले के रूप में इसकी माँग 1955 में उठी थी। तब से समय-समय पर वहाँ के लोगों माँग करते रहे हैं जो हमारा राजस्व परिषद है, 1987 में वैंकट रमण समिति ने जिला बनाने की संस्तुति भी की थी और आठवें वित्त आयोग ने इसे वित्तीय स्वीकृति भी दे दी थी इसके बावजूद भी इसको जिले का दर्जा नहीं दिया गया है जबकि इसमें अलग से 4 तहसीलें बना दी गई हैं, यह बहुत ही अफसोसजनक है। सरकार रानीखेत जिला बनाने के लिए अपने को तैयार नहीं कर रही है।

मान्यवर, अन्य जगहों में भी नये जिलों के सृजन की बात हो रही हैं आज जगह-जगह से पूरे प्रदेश में नये जिलों की माँग उठ रही है। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज जितने भी विभागों में निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है उसमें वैट लगाने का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कोई भी विभाग का जब आगणन तैयार किया जाता है तो उसमें ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत होता हैं किन्तु सरकार द्वारा 14 प्रतिशत वैट लगाकर उसके वसूली के आदेश जारी कर दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ठेकेदारों को जो 10 प्रतिशत का लाभांश उस आगणन में है, जो 14 प्रतिशत वैट लगाया गया है और उनसे वसूली की बात की गई है तो ठेकेदार उसको कहाँ से मीटर आउट करेगा? क्या उसके लिए वह चोरी करेगा? क्या सरकार लोगों को चोरी करने के लिए बाध्य करना चाहती है?

मान्यवर, गृह विभाग की फायर सर्विस की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार ने एक तरफ 21 मीटर तक भवनों की ऊँचाई बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है किन्तु जो हमारे फायर सर्विस के कर्मचारी हैं उनके पास 14 मीटर तक के भवनों की सुरक्षा के ही तकनीकी और उपकरण हैं। मान्यवर, यह बहुत संवेदनशील मामला है, यह लोगों की जान-माल से जुड़ा हुआ मामला है। उनके पास तकनीकी जानकारी का भी अभाव है और न ही उनके पास उस तरह के इक्यूपमैंट है न ही बजट में इसका कोई प्राविधान किया गया है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में रोजगार गारन्टी विधेयक को लागू करने की बात कही जा रही है और लागू कर भी दिया गया है।

मान्यवर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ एक विभाग में एक करोड़-दो करोड़ का बजट विकास के लिए आता है वहाँ एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और 4 जे0ई0 और नीचे का जो स्टाफ होता है। वहीं जिन विकास खण्डों के माध्यम से, जिन ग्राम सेवकों के माध्यम से गाँवों में विकास योजनाओं को चालू करने की बात कही गई है। हमारे यहाँ स्टाफ की नितान्त कमी रहती है। क्या ब्लाक

का एक बी०डी०ओ० और केवल एक या दो जे०ई० के माध्यम से बड़ी लागत की योजनाओं को काम सम्पादित किया जा सकता है एक साल के अन्दर? क्या यह सही होगा? मान्यवर, सरकार को नई भर्तियाँ करनी चाहिए। नये पदों के सृजन और नई भर्तियों की ओर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसके लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य के बजट पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें कई सुविधाओं को देने की बात कही गई है। मान्यवर, जिन गरीब लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा मुफ्त मिलती थी आज उसमें भी शुल्क लेने की बात कही गई है, जिसकी मैं निन्दा करता हूँ। मान्यवर, मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था। पूरे देश में, पूरे विश्व में एड्स पीड़ितों की संख्या कम हो रही है किन्तु हमारे प्रदेश में यह संख्या बढ़ रही है। उसमें यह भी जानकारी दी गई थी कि एड्स पीड़ितों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार उनके रिश्तेदारों और वहाँ की लोकल्टी के द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, सरकार को उनके लिए कोई कम्यूनिटी सैंटर खोलने की आवश्यकता है और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। किन्तु सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रयास इस बजट में नहीं किया गया है। एड्स पीड़ितों की संख्या जहाँ पूरे देश में घट रही है, वहीं हमारे प्रदेश में क्यों बढ़ रही है यह भी एक चिन्तन का विषय है। लोगों को और अधिक जागरूक किया जाना चाहिए, इसके लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए ताकि एड्स पर रोक–थाम हो सके।

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान रोजगार की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। जहाँ हम लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। सरकार द्वारा बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। जब पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड प्रदेश की बात कर रहे थे तो उस समय मैं एक सपना देख रहा था। प्रदेश का हर नौजवान और प्रदेश की हर माँ यह सपना देख रही थी कि मेरे बेटे की नौकरी लगेगी और कहीं रोजगार मिलेगा। उनके घर की स्थिति अच्छी होगी लेकिन आज हम इससे कोसों दूर खड़े हैं और आशा लगाये हुए बैठे हैं कि वह समय आयेगा जब ऐसा होगा। मैं मैदानी क्षेत्र की तरक्की की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है कि उद्योग हमारे तराई क्षेत्र में लगे, बहुत अच्छी बात है लेकिन पहाड़ के नौजवान केवल एक मजदूर के रूप में काम करें या पहाड़ के मजदूर को केवल 2000–1200 सौ रुपये तक की या 25 सौ तक की नौकरी देने के लिए काम किया जा रहा है, क्यों नहीं पर्वतीय क्षेत्र में एजुकेशन हब्स खोले जा रहे हैं। हमारे प्रदेश को ऋषियों के ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। उन क्षेत्रों को

हम हब्स के रूप में क्यों न ले जायें और जो फैक्ट्रियॉं खोली जा रही है उनमें हमारे लोगों को अच्छी तकनीकी ज्ञान देकर रोजगार दें। इस विषय को इस बजट में नहीं रखा गया है और मैं इस बजट की निन्दा करता हूँ। मैं सिफारिश करना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से कि सरकार आगे से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ....।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय श्री करन जी, आप अपनी बात को संक्षिप्त में कहें।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, जो जरूरी बातें हैं उन बातों को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मान्यवर, इस बजट में युवा लोगों के लिए, खेल के लिए केवल 70 लाख रुपया पूरे प्रदेश के लिये इस बजट में रखा गया है। उससे खेल की सामग्री भी खरीदी जायेगी और खेल की एक्टिविटी भी करायी जायेगी, जो मेरा मानना है कि यह बहुत ही कम है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, मैं माँग करना चाहता हूँ सरकार से इस मंच के माध्यम से, कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिनके विकास के लिए विशेष विकास पैकेज की माँग मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, उसका भी प्राविधान होना चाहिए। चूंकि जहाँ पर एक विधायक का क्षेत्र चार वर्ग किलोमीटर में है वही दूसरे विधायक का क्षेत्र 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। बराबर धनराशि विधायकों को प्राप्त होती है।

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मान्यवर, जो विकास होता है वह भूमि पर होता है उतने बड़े क्षेत्रफल में, यह अन्याय के रूप में है, मैं कहूँगा। एक तरफ परिसीमन का डंडा हमारे सिर पर है, जिसकी वजह से हमारे बेरोजगार लोग पहले ही पलायन कर रहे हैं, जिससे जनसंख्या घट रही है, हमारी सीटें कम हो रही हैं। विधायकों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है जिससे विकास में गतिरोध आया है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि उत्तर प्रदेश में रहते जिस प्रकार से पर्वतीय विकास परिषद् का गठन किया गया था उसी प्रकार से आज हमारे राज्य में एक पर्वतीय विकास परिषद् गठन किये जाने की बात हमारी समझ में आ रही है और विशेष रूप से आवश्यक भी हो रहा है। आर्थिक और विकास के लिए विशेष पैकेज की माँग करते हैं हम आपसे, जिसका प्राविधान इस बजट में होना चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

सुश्री कैरन हिल्टन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, सर्वप्रथम आज के सन्दर्भ में आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह है महंगाई, जो केन्द्रीय सरकार

निरन्तर बढ़ाने में लगी हुई है। मान्यवर, सामान्य जन को परेशान करने में जो आनन्द कांग्रेस को मिलता है, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारे सरकार के लिए महंगाई एक पीड़ा का विषय है और इसीलिये सामान्य जन के लिए महंगाई कम करने के लिए वैट 04 प्रतिशत घटाकर 01 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों के लिए 30,000 रुपये की जो मेडिकल कम्पंसेशन योजना बनायी गयी वह प्रदेश के लोगों द्वारा स्वागत करने वाला विषय है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता एवं उनके प्रोएक्टिव एक्शन के तहत आई ऐम यूजिंग दी वर्ड 'प्रोएक्टिव एक्शन' एक साक्षात उदाहरण देना चाहता हूं कि दिल्ली से देहरादून तक हिन्डोन नदी के किनारे 'एक्सप्रेस वे' परियोजना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से विचार किया गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा से कलसीया तक 'एक्सप्रेस वे' बनाने के लिए विचार कर रही है जिससे उत्तराखण्ड सरकार का खर्चा देहरादून से कलसीया तक होगा और उसका लाभ पूरे प्रदेश के वासियों को ग्रेटर नोएडा तक होगा। इससे यहाँ का जो पर्यटन है उसको बहुत लाभ मिलेगा।

मान्यवर, निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों को करीब 4 करोड़ का व्यय स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि उत्तराखण्ड में चूंकि सर्दी ज्यादा होती है इसलिए प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्वेटर निःशुल्क प्रदान किया जाए। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि महिला कल्याण की राशि बढ़ाकर करीब दो गुनी कर दी गयी है जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाजपा के बहुचर्चित केन्द्रीय एजेण्डे में अपनी भूमिका बढ़ाने का कार्य किया है जिसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। मान्यवर, मैं आप सभी माननीय सदस्यों का ध्यान सरप्लस बजट की ओर दिलाना चाहती हूं। जिसमें कुल व्यय में राजस्व व्यय एवं पूंजी व्यय दोनों शामिल हैं और जो सरप्लस है उसका कारण एडमिनिस्ट्रेटिव एवं दूसरे राजस्व खर्च सीमित रखने के कारण है, न कि पूंजीगत व्यय के कारण। जिसको मैं अच्छा फाइनेन्शियल डेवलेपमेन्ट मानती हूं। मान्यवर, यह सब तब है जब हमें पिछली सरकार के इन्ट्रेस्ट का एवं उसके लोन के रिपेमेन्ट का बोझ भी सहना पड़ रहा है और आपको यह जानकर अत्यन्त हर्ष होगा कि यह सरप्लस उसके समायोजन के बाद है।

मान्यवर, मैं अपना सुझाव रखना चाहती हूं कि इस बजट में सरकार द्वारा कुष्ठ रोगियों की पेंशन बढ़ाकर रु0 1000 कर दिया जाए। इसका कारण यह है कि वे लोग समाज से कटे हुए हैं और उनका कमाई का कोई साधन नहीं है और वे

समाज की मुख्यधारा से वंचित हैं। इसलिए उनकी पेंशन रु0 1000 कर दिया जाए। मान्यवर, जैसा कि आप सबको मालूम है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि यह सब हम सबके दिलों का दर्द है। चाहे वे हमारे सत्ता पक्ष के साथीगण हों या प्रतिपक्ष के। हम सभी चाहते हैं कि उत्तराखण्ड के बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे और स्कूल ड्रॉपआउट कम से कम हो और अगर हो तो उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग की योजना जबरदस्त ढंग से शुरू हो जिससे हमारे बच्चे इस औद्योगिकीकरण के युग में स्किल्ड लेबर का कार्य कर सके और उनका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हो और हमारे स्कूल (ड्रॉपआउट्स एक्सप्लोइटेटिव जॉब मार्केट Dropouts exploitative job market) का हिस्सा न बने।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सदन के सभी सदस्य इस विकास के रथ को पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर अपना-अपना सकारात्मक योगदान दें।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट 2008-09 पर बोलने का मौका प्रदान किया इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और अपनी बात को माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य सभी विपक्षी साथियों से सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि.......... मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इसमें एक नहीं अनेकों कमियाँ हैं, सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी, मैं शहीदों को नमन करता हूँ, उत्तराखण्ड के शहीदों को नमन करते हुये कहना चाहता हूँ कि शायद यह सरकार उन शहीदों को जल्द भूल गई, उन आंदोलनकारियों को बहुत जल्द ही भूल गई, जिनका जिक्र शायद इस बजट भाषण के पहले पेज पर होना चाहिए था कि उन शहीदों को नमन करते हुये, उनके सपनों को साकार करते हुये, जो आंदोलनकारी साथी आज भी अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों से चिन्हीकरण की गुहार लगा रहे हैं, उनके लिए इस दस्तावेज में कहीं पर भी, एक शब्द भी शायद अंकित करने के लिए जो आंदोलनकारी रह गये हैं उनको चिन्हीकरण करने की बात इस सरकार ने अंकित नहीं किया है।

मान्यवर, उन स्मारकों को, जिन स्मारकों को, उत्तराखण्ड के शहीदों को नमन करते हैं, उन स्मारकों के रख-रखाव के लिए संस्कृति विभाग ने, जो स्मारक पूरे नहीं हुये हैं, उनको पूरा करने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है। आज हम सब व्यथित ही नहीं, चिन्तित भी हैं। हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि

इस उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल की समस्या के लिए चाहे पर्वतीय क्षेत्र में, चाहे मैदानी क्षेत्र में दोनों तरफ हम को देखने को मिलेगा तो शायद बजट में प्रयास किया है। लेकिन इस बजट में यह उल्लेख करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई कि विगत वर्ष की जो योजना है वह कितनी प्रगति पर है, उन योजनाओं की स्थिति क्या है, उन पर धन कितना खर्च हो चुका है और उन योजनाओं में धन की कहीं से व्यवस्था करनी है तो वह इस दस्तावेज में कहीं भी अंकित करने का प्रयास नहीं किया है। अगर यह मान लिया जाए कि सरकार ने 24 करोड़ सीवर टैक्स और वाटर टैक्स की एक बहुत बड़ी जनता को राहत दे दी है तो मैं समझता हूँ कि इसमें 6.8 करोड़ रुपये ही इंगित किया गया है, सीवर की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए। इतने बड़े दुःख का विषय है, शायद हो सकता है माननीय अध्यक्ष जी, जे०एन०एन०यू०आर०एम० में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल को सुविधा मिल जायेगी, वह भी लम्बे अन्तराल के बाद मिलेगी, फिर और नगरों का चयन किया जायेगा वह भी लम्बे अन्तराल के बाद मिलेगा। क्या सरकार का दायित्व नहीं कि हमारे नगरों में सीवरेज की व्यवस्था क्या होगी, पेयजल की व्यवस्था क्या होगी और कैसे इनके अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था होगी? यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया है उदाहरण के लिए देहरादून में ही या मसूरी को मैं कह सकता हूँ कि 40 करोड़ की योजना पूर्व में स्वीकृत योजना है सीवर लाईन की, जिसको न गत वर्ष में कहा गया और न इस वर्ष में कहीं इंगित किया गया। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में 40 करोड़ की सीवर लाईन की व्यवस्था, जिसमें मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आने वाले अवस्थापन में जुड़ जायेगी, शायद कहीं पर भी इस बजट में जोड़ने का प्राविधान नहीं किया गया।

मान्यवर, यहीं एक स्थिति है उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ मसूरी के लिए एक हार्डीफॉल की पेयजल योजना जो 7 करोड़ 12 लाख रुपये की तत्कालीन सरकार के द्वारा स्वीकृत भी की गयी और इसके लिए धन भी अवमुक्त किया गया था, लेकिन इस सरकार द्वारा इसके लिए न तो गत वर्ष में और न ही इस वर्ष कहीं पर भी यह इंगित किया गया कि उस योजना की स्थिति क्या है। मान्यवर, यही स्थिति कमोबेश पर्यटन पर है, यही स्थिति कृषि पर है। मान्यवर, बजट में जो व्यवस्थाएं की गयी हैं, लेकिन पंतनगर जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो शोध का कार्य करती है, इस यूनिवर्सिटी से हम लोगों की एक अपेक्षा है कि क्या आने वाले समय के लिए कम पानी के उपयोग वाली जो धान की फसलें हैं, या दूसरी फसलें हैं या केशकाप वाली फसलें हैं, ऐसी फसलों की प्रजातियों पर शोध करने का कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। मान्यवर, अच्छा होता इसके लिए अलग से धन की व्यवस्था होती, इस पर

शोध होता और आने वाले समय में जल के कम उपयोग वाली प्रजातियों वाली फसलों को भी उत्तराखण्ड में ईजाद किया जाता तो और भी एक बेहतर व्यवस्था कृषि के साथ जुड़ जाती।

मान्यवर, कृषि को हम मात्र पुश्तैनी मानकर कि यह हमारी छोटी–छोटी जोत हैं और इसी के आधार पर हमें इतिश्री नहीं करना चाहिए। मान्यवर, कृषि के व्यवसायीकरण से इस पूरी कृषि को दो–तीन भागों में बांटते हुए आज इस कृषि नियोजन में तीन पक्ष की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, हिमालयी क्षेत्र है, मध्य हिमालयी क्षेत्र है और फिर तराई क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों के नियोजन में अलग–अलग व्यवस्था देने की बात इस कृषि की नियोजन में कहीं नहीं की गयी है। अच्छा होता इस बजट में इसका समावेश होता और समावेश होने के बाद, जिस चीज की चिन्ता इस राज्य को बनने में, इस राज्य को चलाने में और इस राज्य में आने वाले समय में भी युवाओं के पलायन की जो बात बार–बार आती है, वह आती रहेगी उसको हम तभी यह मानकर चलते कि कृषि के मार्फत, डेयरी विकास के मार्फत, मत्स्य के मार्फत तमाम केशक्रप के मार्फत हम यहां पर प्रति व्यक्ति पर दो सौ–तीन सौ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन की आय अर्जित कर देते, अगर इस दस्तावेज में इसकी कोई व्यवस्था होती तो शायद पलायन भी रूक जाता और आने वाले समय में आर्थिक सम्पन्नता जिसकी बात हम करते हैं, वह बरकरार रहती।

मान्यवर, आपने जो अवसर दिया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और यह बजट प्रतिक्रिया ही नहीं, ये लोगों की भावना है और मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष की भावना से मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए, इस बजट में कई और सुधारों की आवश्यकता है इस ओर आपका ध्यान इंगित करता हूं, धन्यवाद।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं, और आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं अपने तमाम नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के साथियों की भावना से अपने को सम्बद्ध करते हुए इस बजट का विरोध करता हूं। मान्यवर, जैसा कि पिछले सभी बजटों के शुरू में हमेशा पढ़ने को मिलता था जो उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारी हैं उनका जिक्र जरूर होता था, लेकिन इस वर्ष के इस बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इनके कल्याण के लिए कोई योजना नहीं है। लगता है यह सरकार उत्तराखण्ड के इन महान शहीदों को भूल गयी है, जिनकी शहादत से उत्तराखण्ड बना है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड आन्दोलन में जो महिलाएं और जो गम्भीर रूप से घायल और जो सरकारी कर्मचारियों ने जो बहुत बड़ा योगदान इस आन्दोलन में दिया था उनके कल्याण के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, सबसे ज्यादा शहादतें 01 सितम्बर, 1994 में खटीमा गोलीकाण्ड में हुई थीं। मान्यवर, इसमें खटीमा के लिए एक अलग से आर्थिक पैकेज होना चाहिए था, मान्यवर, उसका कहीं भी इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया। सम्भवतः यह सरकार बहुत जल्दी उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को भूलती जा रही है।

मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है। विधवा, विकलांग और वृद्धाओं के कल्याण के लिए कहना चाहता हूँ, इस सरकार के अभी तक दो बजट पास हो चुके हैं, इससे पहले वाले बजट में जरूर वृद्धा, विकलांग और विधवाओं की पेंशन बढ़ाई गयी थी। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके आधार पर विधवा, विकलांग और वृद्धाओं की पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, छात्रवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। उसकी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं दिखाई देती है। मान्यवर, टी०एस०पी० और एस०सी०पी० का कहीं इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि कितना पैसा हम टी०एस०पी० और कितना पैसा एस०सी०पी० में लगाएंगे।

मान्यवर, खटीमा क्षेत्र जनजाति और सीमान्त क्षेत्र है, बार्डर एरिया है। वहाँ पर माओवादियों का प्रभाव है लेकिन उस क्षेत्र के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में परिलक्षित नहीं होती हैं इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जनजाति क्षेत्र है, बार्डर एरिया है और माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लिए कुछ न कुछ विकास योजनाएं होनी चाहिए। मान्यवर, कहने को तो हम बहुत जोर-शोर से कहते हैं कि हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश है और ऊर्जा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है परन्तु आये दिन कटौती हो रही है। बिजली मिल नहीं पा रही है बच्चों के इम्तिहान हैं। उनके इम्तिहान भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। मान्यवर, जो हमारे पुराने बिजली घर हैं, जो बहुत सालों से जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, जिनकी हालत अब बहुत खराब हो गयी है, उनके सुधारीकरण के लिए कोई भी व्यवस्था इस बजट में कहीं नहीं की गयी है, जिससे कि बिजली और बढ़े, जिससे कि हमारे प्रदेश को और ज्यादा बिजली मिल सके। इसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि खटीमा ने शहादत दी है और उत्तराखण्ड आन्दोलन में सबसे ज्यादा शहीद खटीमा में ही हुए हैं। खटीमा एक जनजातीय क्षेत्र है, बार्डर एरिया है, वहाँ के लिए कुछ तो सरकार सोचती। कम से कम इंजीनियरिंग

कॉलेज, बाई पास और भी तमाम योजनाएं वहाँ पर होनी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है। मान्यवर, पहाड़ से जो नदियाँ तराई क्षेत्र को जाती हैं, उनका प्रवाह काफी तेज होता है और उन नदियों से सैकड़ों एकड़ भूमि हर साल कटती है और कृषि योग्य भूमि कटती है। हर साल कृषि का क्षेत्रफल घट रहा है। इस कटाव को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए थी परन्तु इस बजट में उस कटाव को रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है।

मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य योजना चलायी गयी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं के लिए, जो गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं को देखती हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, उनको सुविधाएं देने की बात हम करते हैं लेकिन जो महिलाएं क्षेत्र में जा रही हैं, गर्भवती महिलाओं को देखती हैं, उनको हॉस्पिटल तक लाती हैं, उनको आने-जाने में तमाम तरह की कठिनाईयां होती हैं। हमारी केन्द्रीय सरकार उनको काफी सुविधा दे रही है परन्तु प्रदेश सरकार को भी कुछ करना चाहिए था। उन आशाओं को राज्य सरकार को अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थीं। उनको मानदेय देना चाहिए था, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मानदेय दे रहे हैं, इसी प्रकार आशाओं को भी मानदेय दिया जाना चाहिए, उनको यात्रा भत्ता देना चाहिए। इस चीज की व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है।

मान्यवर, खटीमा में वन भूमि पर एक स्टेडियम प्रस्तावित था, जिसमें वन विभाग द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है परन्तु सरकार द्वारा उस स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई बजट की व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है। मान्यवर, हम काफी जोर-शोर से कहते हैं। हमारे माननीय पेयजल मंत्री जी ने काफी जोर-शोर से कहा कि हम पूरे प्रदेश को पानी देना चाहते हैं। परन्तु मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में फर्स्ट स्टेज का पानी बहुत खराब है। उसमें तमाम मिट्टी, तेल और इस प्रकार की चीजें आती हैं, जिसमें बर्तन, कपड़े आदि पीले पड़ जाते हैं। पीने के लिए भी यह दूषित है। इसलिए इण्डिया मार्का टू की व्यवस्था की गई थी और तराई में आज अधिकांश यह इण्डिया मार्का टू हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और इनको सुधारने के लिए कोई व्यवस्था बजट में नहीं की गई है और न ही इन खराब पड़े हैण्ड पम्पों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, भूतो, न भविष्यति, जैसा हमारे प्रदेश में पिछली सरकार की नीतियों के द्वारा उत्तराखण्ड में उद्योगों का जो जाल वहाँ पर बिछाया गया था, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, सितारगंज, पंतनगर और रूद्रप्रयाग में सिडकुल को बनाया

गया था। परन्तु आज इस सरकार की गलत नीतियों के कारण उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हम स्थानीय 70 प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह लोग कहां पर रोजगार में लगेंगे, क्योंकि उद्योग तो यहां से जा रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत से उद्योग चले भी गये हैं। इसके लिए सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए थी कि यहां पर उद्योग लगें, फलें-फूलें और आगे बढ़ें तथा पहाड़ों में भी उद्योग लगें। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है।

मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, अब शायद चले गये, हमारे खटीमा के गन्ना किसान अपने गन्ने की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में करते हैं और उत्तराखण्ड में गन्ना किसानों को जो भी सुविधायें मिलती हैं, इसका लाभ खटीमा के गन्ना किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पर खटीमा-मझोला नाम से एक समिति भी बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो गन्ने के कमीशन का पैसा है, वह उनको नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से वहां पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, चाहे गन्ना समिति का भवन हो या सड़क आदि का मामला हो, कमीशन का पैसा नहीं मिलने के कारण सब पेंडिंग है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से गन्ना का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। मान्यवर, इसके लिए भी बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि कैसे यह पैसा लाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गोपाल सिंह जी, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री गोपाल सिंह राणा-

मान्यवर, मैं अब अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूँ। मान्यवर, खटीमा में एक वाणिज्य कर का ऑफिस है और वह मुख्य मार्ग से अन्दर की तरफ पीलीभीत रोड पर बनाया गया है, जो बैरियर वहाँ पर लगा है। जो कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच आदि का काम करता है लेकिन यह इतना अन्दर की ओर बनाया गया है और इसके अतिरिक्त वहाँ से निकलने के और भी रास्ते हैं तो बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन दूसरे रास्तों से चले जाते हैं और हमारे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। इसको सही जगह पर बनाया जाना चाहिए, प्रदेश को इससे घाटा हो रहा है इसके लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

मान्यवर, खटीमा तहसील का भवन अंग्रेजों के जमाने का है और अभी तो इसको खटीमा सरकारी फार्म में चलाया जा रहा है और इसके निर्माण के लिए पिछली सरकार ने पच्चीस लाख रुपया दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके लिए एक

पैसा भी नही दिया है, तहसील भवन का काम ठप्प हो गया है। इसके लिए भी बजट में कोई प्रावधान नही किया गया है कि कैसे यह भवन बनेगा। मान्यवर, दैवीय आपदा में मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की सड़कें आदि आज भी टूटी हैं, पुल टूटे हैं। मान्यवर, थारू और बुक्सा लोग वहाँ पर रहते हैं, आप जानते हैं कि वह बहुत सीधे लोग हैं, माफिया उनकी जमीन के पीछे पड़े हैं, माफिया उनकी जमीन को हड़प रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उनकी जमीन को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय गोपाल सिंह जी, इसे आप राजस्व के बजट में भी रख सकते हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, मैं अन्त में कहना चाहता हूँ कि विधायक निधि अब बढ़ जानी चाहिए। सीमेन्ट, सरिया और ईंटों के रेट बढ़ गये हैं, इसे अब कम से कम 2 करोड़ तो हो जाना चाहिए। माननीय संस्कृति मंत्री जी भी अब आ गये हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि इतिहास तो बहुत लम्बा है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि जो थारू लोग राजस्थान से पलायन करके मीरा भारा राणा में आये जो सितारगंज में हैं और आजकल सिढकुल में हैं। तो मेरा आग्रह है कि जो सिढकुल में मीरा भारा राणा क्षेत्र हैं उसे थारू जनजाति के लिए, जो यह महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उनके लिए 15–20 एकड़ जमीन आरक्षित करके वहाँ पर महाराणा प्रताप की स्मृति में कुछ बनाया जाना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, बजट सुनने में, पढ़ने में तो अच्छा लगता है पर जब इसमें गहराई में जाओ तो काफी इसमें कमियां नजर आई हैं। जैसे वैट को चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने की बात कही गयी है। जबकि वैट के विषय में प्रदेश के व्यापारियों ने विरोध किया था। वैट एक उनके ऊपर बोझ है, जनता के ऊपर भी बोझ है। इसको शून्य होना चाहिए। इसके साथ-साथ पेयजल के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में आप नये इंडिया मार्का नल गाड़ तो लेकिन पुराने जो खराब हैं, उनको ठीक करने की बात

नहीं की जा रही है। तो आज ऊधमसिंह नगर में जो सरकारी आंकडा है पिछले साल का करीब 2400 इंडिया मार्का हैंड पम्प खराब पड़े हैं उसको ठीक कराने के विषय में इस बजट में कुछ नहीं है प्रदेश के किसानों की जो सरकारी सहायता से ट्यूबवेल लगाये जाते हैं, काफी बड़ी मात्रा में वे स्वीकृत पड़े हुए हैं, परन्तु उनका सामान नहीं मिल पा रहा है जिससे वे ट्यूबवेल अभी तक नहीं लग पा रहे हैं। ट्यूबवेल संक्शन की यदि लिस्ट को ढूंढा जाय तो सौ, सवा सौ हर डाईविजन में स्वीकृत हैं, परन्तु बिजली विभाग से बात करो तो कहते हैं कि पोल नहीं हैं, पोल हैं तो तार नहीं हैं, यह स्थिति है।

मान्यवर, पंतनगर विधान सभा में सिडकुल का डेवलपमेंट किया गया है। आज सिडकुल से प्रदेश को रोजगार भी मिल रहा है, इससे लाभ तो प्रदेश सरकार को हो रहा है, परन्तु नुकसान पंतनगर, गदरपुर के रहने वाले जो लोग हैं, उनको उठाना पड़ रहा है। सिडकुल बनाने के समय वहां मिट्टी, रेता, बजरी की जो ढुलान उन सड़कों से हुई थी जिससे पंतनगर, गदरपुर की सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं इससे आम जन को, किसानों को, स्कूली छात्रों को, सबको परेशानी हो रही है। एक विशेष पैकेज की जरूरत है कई बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया। आज बजट भाषण के अवसर पर भी इस बात को रख रहा हूं। इसके साथ-साथ इस बजट अभिभाषण में गदरपुर में बाईपास की सख्त जरूरत है, जिसका कोई उल्लेख नहीं है। कई बार वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने भी मांग की है और मैंने भी मांग की। वहाँ एक नगर पालिका क्षेत्र है, बहुत आबादी है पर वहाँ कोई महाविद्यालय भी नहीं है। इस बजट में उसका कहीं जिक्र नहीं है और प्रदेश में जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जो सर्वे में छूट गये थे, कई बार हाय-तौबा मची। हर जनप्रतिनिधि इससे पीड़ित है, सबके पास लोग आते हैं। उनके पुनः सर्वे के लिए इस बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है। प्रदेश के जो गरीब भूमिहीन लोग हैं उनको आवासीय पट्टे देने, उनके लिए सुख-सुविधा देने की बात भी इस बजट में नहीं है।

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में मेरे हिसाब से सात जलाशय होने चाहिए। जो राजस्व की भूमि थी वह सिंचाई विभाग ने ले ली थी। वर्षों से वहां छोटे-छोटे काश्तकार इसमें खेती कर रहे हैं लेकिन उनके पास भूमिधारी का अधिकार नहीं है। आज भी वे अपनी भूमि में अवैध किसान के रूप में चिन्हित हैं।

मान्यवर, उनको भूमिधरी बनाने के लिए इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है मान्यवर, पलायन की बात यहाँ सुनता हूँ, सिडकुल में पिछली सरकार ने स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में 70 प्रतिशत आरक्षण का एक जी०ओ०

किया था, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि आज यदि वह 70 प्रतिशत आरक्षण सही ढंग से दिलाया जाय तो जो बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजी-रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको नहीं जाना पड़ेगा। आज हर फैक्ट्री में ठेकेदार नियुक्त हो गया है, फैक्ट्री में एक श्रमिक को आठ-दस हजार रुपये देना पड़ता है, लेकिन ठेकेदार के माध्यम से ढाई हजार में उसका काम चल जाता है, यह निश्चित रूप से हमारे युवाओं का शोषण है, मैं इस बजट के माध्यम से इस ठेकेदारी प्रथा का विरोध दर्ज कर रहा हूँ।

मान्यवर, राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना का जो समय एक वर्ष पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक आधा कार्य ऊधमसिंह नगर जिले में नहीं हुआ। इस विषय में विभागीय कर्मचारियों की बहुत लापरवाही है। इस योजना में जिला लेवल के अधिकारी हैं, प्रदेश लेवल के ऊर्जा विभाग के अधिकारी जुड़े हैं, इस लापरवाही को मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं। साथ-साथ जो माननीय सदस्य गोपाल सिंह राणा जी ने कहा कि पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं और तराई में कृषि की हरियाली भूमि का कटाव करती हैं, कृषि भूमि खराब करती है उसके संरक्षण के लिए भूमि संरक्षण विभाग बना हुआ है। प्रत्येक जिले में इसमें बहुत बड़ा बजट इस विभाग को मिलना चाहिए, इसका उल्लेख भी इस बजट में नहीं किया गया है, जिससे हजारों वर्ग भूमि खराब होती जा रही है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप ही हमारे संरक्षक हैं, हम लोगों को जनता ने चुनकर यहाँ भेजा है और हम आज इस गरिमामय सदन के सदस्य हैं, जब अधिकारियों द्वारा हमारा मान-सम्मान नहीं मिलता है, मैं यहाँ पर यह पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। अभी गदरपुर विधान सभा में पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक मार्च को किसान मेला हुआ और मैं वहाँ का विधायक हूँ मुझे एक निमंत्रण पत्र, एक सूचना पत्र तक नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए।

श्री प्रेमानन्द महाजन-

मान्यवर, एक और घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे खेल मंत्री जी मेरे घर के पास हो करके गये मैं उनका स्वागत नहीं कर पाया। हमें इसकी कोई सूचना नहीं मिली। हम लोग एक ही ट्रेन में रुद्रपुर से गये।

माननीय पाण्डेय जी, यह आपकी भी पीड़ा थी जब आप विपक्ष में बैठते थे। कल जब फिर आप विपक्ष में बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगी। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, यह विधायक के सम्मान का मामला है। आज जब अधिकारियों

द्वारा विधायकों का सम्मान नहीं किया जा रहा है तो आम जन का क्या हाल होगा। मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में विरोध दर्ज करता हूँ। मैं इस बजट का विरोध करता हूँ, निन्दा करता हूँ और अधिक न बोल कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन्, मैंने नाम तो भेजा नहीं था लेकिन फिर भी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपने वहाँ कहा था। शायद आप भूल गये हैं।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, ठीक है। मान्यवर, सम्मानित सदन के कई सदस्यों ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का बजट है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है लेकिन यह बजट माननीय सदन में बैठे हुए 71 विधायकों का बजट है। यह बजट उत्तराखण्ड के एक करोड़ लोगों का बजट है। यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में परिश्रम किया है और यह प्रयास किया है कि किस प्रकार से इस बजट को लोकहित में, जनहित में उत्तराखण्ड के विकास के लिए बनाया जा सकेगा। यह उनका व्यक्तिगत प्रयास है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया किसी भी बजट को किसी व्यक्ति के नाम से जोड़कर न देखा जाए। यह एक करोड़ उत्तराखण्ड के निवासियों का बजट है और कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि यह 71 माननीय विधायकों का बजट तो है ही। यह बजट कई विशेषताओं को लेकर आया है और इस बजट ने कई चीजों में ऐसी पहल की है कि केन्द्र सरकार भी ऐसी पहल करने में पीछे रह गई। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है, किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं है और जो पुराने करों की दरें थीं उन मदों में भी भारी कटौती की गई है।

मैं मदवार किसी विशेष मद पर नहीं बोल रहा हूँ। इस बजट के पीछे की स्प्रिट क्या है, इसके पीछे भावना क्या है, इस विषय का सारांश क्या है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। पुराने करों में भारी कमी करके और किसी नये कर का प्रवेश न करके जो महँगाई का आक्रोश है, महँगाई का जो कहर है उसे नीचे लाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें

सफल भी रहे। एक ओर तो केन्द्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर महँगाई को प्रोत्साहित कर रही है वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने इस करों में छूट देकर महँगाई को नीचे स्तर तक लाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने केन्द्र में बैठी माननीय मनमोहन सिंह की सरकार के हाथों से महँगाई कम करने की पहल छीन ली, और महँगाई कम करने में हम सफल रहे। मान्यवर, यह महँगाई कम करने की पहल लेने के साथ–साथ राजनीतिक दर्शन का बजट है। डैमोक्रेसी, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था है।

मान्यवर, प्रजातन्त्र के लिए जो पहली पुस्तक दुनिया में आयी उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक यानी गणतन्त्र, और गणतन्त्र को लिखने वाले थे महान लेखक प्लेटो। वह एक बहुत बड़े चिन्तक थे। उन्होंने गणतन्त्र नाम की पुस्तक लिखी और स्पष्ट किया कि किसी भी देश में या राज्य में सत्ता जिन लोगों के हाथ में हो उनमें दो गुण होने चाहिए। एक तो उनका कोई राजनैतिक दर्शन होना चाहिए और उनकी सोच होनी चाहिए कि किस किस्म का राज्य आप चाहते हैं, दूसरा वह शक्तिशाली होना चाहिए। हमारे बेहड़ जी, मुस्करा रहे हैं। जब वे इधर थे तब वे शक्तिशाली भी थे और वे अच्छे राजनीतिक भी थे। हमारी जो राजनैतिक सोच है वह देश व राज्य की सुरक्षा की है अपने देश की रक्षा करना है और सभी धर्मों की रक्षा करना है। देश की रक्षा करने के लिए इस बजट में सारे प्राविधान हैं सीमाओं पर आतंकवाद पर कैसे अंकुश लगायें और इसकी रक्षा के लिए देश के पूर्व सैनिकों के हितों की बात करें। देश व प्रदेश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो आवश्यक पैमाने हैं, वह सारे इस बजट में हैं। दूसरा कहा गया कि अपने देश के धर्मों की रक्षा कैसे करेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने सारे जलकर समाप्त कर दिये हैं। पीने के पानी पर अब कोई कर नहीं देना है। आपको तो मालूम ही है कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी परम्परा है। यात्रा मार्गों पर प्याऊ लगाये जाते थे, यात्री चलते रहते थे और निःशुल्क पानी पिया करते रहते थे। यह एक महान परम्परा थी,? इसी महान परम्परा को जीवित करने के लिए पेयजल पर अब कोई कर नहीं होगा और जो पुराने बकाये थे वह समाप्त हो गये। तो हमने प्लेटो द्वारा लिखी गये जो ये रिपब्लिक नाम की वह पुस्तक है, उसके जो मुख्य दो बिन्दु हैं उसकी हमने पूर्ति की है इस महान बजट के रूप में। अगर प्लेटो की आत्मा कहीं नभ मण्डल में या वायु मण्डल में है तो इस बजट भाषण को सुनकर कहेगा थैंक्यू, माननीय मुख्यमंत्री जी। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय फोनिया जी, आप अपनी बात सीमित कर दीजिए। आप तो विद्वान हैं और आप अपने शब्दों से गागर में सागर भर देते हैं।

श्री केदार सिंह फोनिया--

मान्यवर, मैंने पिछली बार यहाँ पर, माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे नहीं हैं। उनसे निवेदन किया था कि राज्यों में सरकारें विपक्ष का सहयोग प्राप्त करके काम करती हैं। यह बजट जनता का बजट है सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों का है और यह बजट प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए है यही भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को, अपना काम सहयोग से करना चाहिए। मैंने पिछली बार अपने बजट भाषण में कहा था कि इंग्लैंड में एक उदाहरण है। जब ग्लैडस्टन की सरकार थी और डिजरायली विपक्ष में थे। उस सरकार ने पाँच साल में मिलकर इंडस्ट्रीयल विकास का काम किया और उसी कार्यशैली का प्रतिफल था कि ब्रिटेन सभी दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ गया है उस सरकार को किसी ने यह नहीं कहा कि ग्लैडस्टन की सरकार है और डिजरायली विपक्ष के नेता हैं। तब कहा जाता था कि यह सरकार ग्लैडस्टन और डिजरायली की सरकार है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं।

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष माननीय हरक सिंह रावत जी यहाँ हैं नहीं। मैं इनसे कहना चाहता था कि ये अगर सहयोग की भावना से काम करें और पाँच साल तक उत्तराखण्ड के विकास के लिए खण्डूड़ी जी के साथ सहयोग से काम करें, तो हम भी यही कहेंगे कि ये खण्डूड़ी और हरक सिंह की सरकार है। मैं माननीय विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा अभी भी विलम्ब नहीं है इस भावना से प्रेरित होकर हमें काम करना चाहिए। माननीय शहजाद जी हैं, उनसे भी यही निवेदन है। मान्यवर, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य सुनिये आपको प्रदेश के विकास के लिए एक फोरम मिला है आप लोग गेट के बाहर जाकर एक मॉक पार्लियामेन्ट दिखा रहे हैं। अरे भाई, असली पार्लियामेन्ट में रहने वाले लोगों को मॉक पार्लियामेन्ट की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको जनता ने इस विधान सभा में बैठने के लिए भेजा है न कि गेट के बाहर। (व्यवधान)

मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि यह सरकार सिर्फ सत्ता में बैठने वालों की नहीं है। यह सरकार सबकी मिली जुली सरकार है हमको सहयोग से काम करना चाहिए। मान्यवर, बोलने के लिए तो बहुत सारे बिन्दु थे लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी के आदेशों को शिरोधार्य करते हुए मैं यह कहूँगा कि यह बजट जो है वह उत्तराखण्ड की आत्मा बनने वाली है, यह उत्तराखण्ड की आत्मा की आवाज है। इस आवाज को अगर हम ले करके चलेंगे तो उत्तराखण्ड का विकास होगा। धन्यवाद।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर जिन भी दलों की सरकार हैं उन दलों ने प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जनता के बीच में वचन दिया था कि पूरे प्रदेश में किसी की आँखों में आँसू नहीं होने देंगे, लेकिन यह बड़ी शर्म की बात है कि इस प्रस्तुत बजट से यह झलकता है कि यह सरकार अपने वचन से मुकर गयी। श्रीमन्, इस बजट की तुलना हम बच्चों के सी–सा झूले से कर सकते हैं। जिसमें अगर एक बच्चा बहुत भारी है तो वह दूसरे को सदा ऊपर टांग देता है, तो ऊपर टंगा बच्चा अपने बजनी मित्र से कहता है कि हमें उतारो तो हल्के बच्चे के लिए सी–सा झूले का खेल एक यातना है। श्रीमन्, आज सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस बजट के परिपेक्ष्य में उनका कहना था कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से बुनियादी संरचना में विस्तार किया है लेकिन वे इस बात को बताने से साफ इन्कार करते हैं कि यह बजट प्रदेश की आम जनता को ठीक उसी प्रकार से ऊपर लटका देगा जिस प्रकार से सी–सा झूले के एक कोने में भारी बच्चा हल्के बच्चे को ऊपर लटका देता है।

श्रीमन्, बजट के प्रारूप को देखकर लगता है कि बजट में सूखे और बाढ़ के स्थाई समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पूरे प्रदेश के अन्दर शहरीकरण और उद्यानीकरण के कारण खेती लायक जमीन का दायरा निरन्तर घट रहा है। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बजट में कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई संकेत नहीं है। श्रीमन्, आज पूरे प्रदेश के अन्दर जल संसाधनों के सभी संसाधन समाप्त हो गये, जल संसाधनों को, भूजल के संरक्षण सम्भरण के लिए कोई निश्चित रूप से कार्ययोजना इस बजट के अन्दर नहीं है और श्रीमन्, जो भी बड़ी–बड़ी परियोजनायें थीं, उन परियोजनाओं का आकार कागज के टुकड़े जैसा हो गया, उनके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सत्ता पक्ष के नेतृत्व के पास कोई संकल्प नहीं है, उस संकल्प का घोर अभाव है। श्रीमन्, आज पूरे प्रदेश के अन्दर केवल खेती के माध्यम से जो रूझान उत्पादन को बढ़ाने का हो जाना चाहिए था इस बजट में, वह रूझान इस बजट में देखने को कहीं नहीं मिलता है।

श्रीमन्, इस प्रदेश के अन्दर कृषि, साग–सब्जी, फल–फूल को आगे बढ़ाने के लिए, इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए था बजट में, जो कार्यक्रम बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखा जाना चाहिए था, वह इस बजट में नहीं है और यही कारण है कि आज कृषि के क्षेत्र में पूँजीनिवेश में कमी आई है। श्रीमन्, आज जो हालात पैदा हो गये हैं जिनकी समस्या

का समाधान करने के लिए कृषकों की, चूंकि किसानों की जोत लगातार घट रही है, इसको नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं रखा गया और इसलिए श्रीमन्, आज पूरे प्रदेश के अन्दर कृषि आयोग के अनुसार 30 प्रतिशत फल–फूल और सब्जी उचित रख–रखाव के अभाव में नष्ट हो रहे हैं और इसलिए कृषि के क्षेत्र में पूँजीनिवेश में कमी आई है। श्रीमन्, भारत के संविधान में कानून व्यवस्था राज्य का क्षेत्राधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जिस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल हों, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक–चौबन्द होने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन श्रीमन्, उस प्रदेश में, उत्तराखण्ड प्रदेश में चम्पावत के, मान्यवर, सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल की सीमा से माओवादियों का घुसपैठ करना यह प्रदेश के अन्दर एक अनहोनी घटना है। माओवादियों ने न केवल घुसपैठ की बल्कि भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की है मान्यवर, इतने से ही वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चम्पावत के जिलाधिकारी के साथ धक्का–मुक्की भी की है। इस घटना से प्रदेश सरकार को दुनियाँ में मुँह छिपाने की जगह नहीं है। मान्यवर, प्रदेश सरकार के हाव–भाव तो कम से कम ऐसे दिखने चाहिए थे जिससे यह आभास होता कि प्रदेश सरकार आतंकवादियों को मुँहतोड़ जवाब देने का इरादा रखती है। मान्यवर, संगीनों के साये में चलने वाले राजनेता आम जनता को सुरक्षित होने का आभास कैसे महसूस करा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह तो अनर्थ है, लोगों को 10–15 मिनट मिले हैं। (व्यवधान) मान्यवर, इसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि आंखों से अंधे धृतराष्ट्र ने एक जमाने में संजय का सहारा लेकर वास्तविकता जानने की कोशिश की कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पाण्डवों के बीच में क्या चल रहा है। मान्यवर, इस घटना को प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं तो पाते हैं कि भली चंगी आंखें होने के बावजूद कुछ मूंछों की ऐंठन, कुछ फौजशाही की तानाशाही और कुछ दरबारी संजयों के शातिरपन ने उन्हें ऐसा धृतराष्ट्र बनाकर रख दिया जिन्हें कभी वास्तविकता नहीं दिखायी जाती।

मान्यवर, दाल–भात गरीब आदमी का खाना है, लेकिन यदि दाल 70 रु० प्रति किलोग्राम बिक रही हो और चावल, गेहूं के दाने गरीबों का मुंह चिढ़ा रहा हो तो खण्डूड़ी सरकार यह कैसे कह सकती है कि जनता उसके इशारों पर नाचेगी। यही कारण है कि गढ़वाल के संसदीय उप चुनाव में आम जनता के बीच में मुंह की खानी पड़ी, इसलिए कहना चाहता हूं कि भूखा आदमी अब किसी का मुलाहिजा नहीं करने वाला है। भूखा आदमी भगवान (व्यवधान) के नैवेद्य को भी खा जाता है और भगवान शक्कर का बना हो तो उसे भी खा जायेगा। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इस बजट में भूख मिटाने का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो यह भूखा आदमी एक दिन आपकी लोकशाही को भी खा जायेगा। अन्त में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

चौ० यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2008–09 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रोड्यूसर अपनी पिक्चर या कोई कम्पनी अपना प्रोडक्ट बाजार में उतारती है तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी अपने बजट को इसी रूप में सभी के सामने प्रस्तुत किया है इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ बातें इसमें अच्छी भी हैं।

मान्यवर, वैट कम करना निश्चित रूप से अच्छी बात है। शहरी गरीब मलिन बस्तियों के सुधार एवं सुविधा के लिए 13.86 करोड़ रुपया खर्च करना बहुत अच्छी बात है। (मेजों की थपथपाहट) गन्ने का भुगतान, जो यहां सदन में घोषणा हुई थी, उसको देना बहुत अच्छी बात है। (मेजों की थपथपाहट) बाकी और कोई बात इस बजट में ऐसी नहीं है, जो प्रशंसा के योग्य हो। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अभी वैट की बात आयी कि आटा, दाल और सूजी पर वैट 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया। अगर यह न ही लगाते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या परेशानी थी? इसके साथ बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो खाना बनाने में इस्तेमाल होती हैं। रिफाइंड है, तेल है, दाल है, मोटा चावल है, मसाले हैं और भी बहुत सारी सामग्री है, इन पर तो वैट कम किया जा सकता था। बासमती चावल पर आप वैट बढ़ा सकते थे, क्योंकि उसको रईस आदमी खाते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इन्होंने कहा कि हमने मनोरंजन कर कम कर दिया। 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया है, उन पर तो अंकुश लगा रहे हैं परन्तु जो उनके मालिक हैं, उन पर इनका क्या अंकुश है? मैं रात ऐसे ही घूमता

हुआ जा रहा था, प्रभात सिनेमा के सामने खड़ा हो गया। प्रभात सिनेमा में जाकर मैंने टिकटों का रेट मालूम किया, 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये। उसके बराबर में जो सिनेमा है, वहां रेट मालूम किया, 15 रुपये, 35 रुपये, 60 रुपये। मैं समझता हूँ कि यह भिन्नता नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। जब छविगृह वाले एक टिकट पर 3 रुपये उसके सुधार के लिए लेते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। ऐसे ही केबिल ऑपरेटरों की बात है, उन पर टैक्स इन्होंने कम किया। आप कहीं चले जाइये केबिल ऑपरेटर अच्छी बस्तियों में साढ़े चार सौ रुपये चार्ज कर रहे हैं और मलिन बस्तियों में डेढ़ सौ रुपया भी चार्ज कर रहे हैं, उन पर भी सरकार का कोई अंकुश नहीं है उन पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, तभी तो मनोरंजन के साधन पब्लिक को सस्ते में मिलेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इन्होंने एक घोषणा और की कि हमने किसानों के सरकारी ऋण पर जो स्टाम्प फ्री है, वह एक लाख से तीन लाख तक कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूँ, यह इनकी घोषणा नहीं है। पिछले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने यह घोषणा 30 दिसम्बर, 2007 तक कर रखी थी। 31 दिसम्बर, 2007 से बैंकों ने स्टाम्प फिर से लेना शुरू कर दिया। इनकी घोषणा 31 दिसम्बर, 2007 से लागू होनी चाहिए। तभी इससे काश्तकारों को लाभ मिलेगा। शहरों में वैल्युएशन निकालते हैं, किसी जगह की, वैल्युएशन में एक वैल्युअर आता है, वैल्यू निकालता है कि उस कोठी की वैल्यू कितनी है, उस पर लोन प्रोवाईड कर देता है काश्तकार की जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। काश्तकारों के सर्किल रेट अपनी जगह हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तीन लाख रुपये का लोन सिर्फ उसको मिलेगा, जिसके पास कम से कम 100 बीघा जमीन हो। छोटे काश्तकारों को जो लोन मिलेगा, वह मिलेगा, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपया।

माननीय अध्यक्ष जी, लोन की बात आती है, एक ट्रैक्टर करीब साढ़े चार लाख रुपये का आता है, तीन लाख रुपये में होता क्या है? इस लोन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है इसको कम से कम 5 लाख से 10 लाख के बीच में करने की प्रबल आवश्यकता है। बैंक जो लोन देता है, 53 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देता है। एक हेक्टेयर में 11–12 बीघा जमीन होती है। मतलब बैंक एक बीघा पर 4 हजार रुपये आंकता है। काश्तकार की जमीन के भाव आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये हैं। उसको आंक कर उस पर लोन प्रोवाईड करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं, पहाड़ से पलायन रोकने की बात पर, पलायन तब रुकेगा जब वहाँ पर छोटे–छोटे उद्योग लगाये जाएंगे। अगर लीची की वहाँ बहुतायत है तो वहाँ पर लीची स्वदेश की

फैक्ट्री लग सकती है अगर वहाँ पर टमाटर होता है, तो टमाटर के स्क्वैश की फैक्ट्री लग सकती है। अगर यहाँ पोटेटो ज्यादा होता है तो वहाँ पर चिप्स की फैक्ट्री लग सकती है। छोटी-छोटी इकाईयां पहाड़ में लग सकती हैं और आपको एक बात बतला दूँ, पानी एक ऐसी चीज है, जिसका हम उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। छोटी-छोटी पानी की इकाईया पहाड़ों में कहीं पर भी लगाई जा सकती हैं, जो पूरे हिन्दुस्तान को पानी को दे सकते हैं। मान्यवर, जहां तक बेरोजगारों की बात की जाय तो राज्य गठन के समय हमारे प्रदेश में दो लाख सत्तर हजार बेरोजगार थे और मैं आपको बिल्कुल सही डाटा दे रहा हूँ और आज की तारीख में इन बेरोजगारों की संख्या 4 लाख, 81 हजार, 632 हो गई है, तो बेरोजगारों की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी हुई है। बेरोजगारों को रोजगार तभी मिल पायेगा जब हमारे यहां पर जो इकाईयां लगी हैं, उसमें ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाय और जो बिहार के लोग यहां आ रहे हैं,? उत्तर प्रदेश के लोग यहां आ रहे हैं, उनको रोजगार न दे कर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि पाले से जो फसलों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की घोषणा सरकार करती, अच्छा होता न्यूनतम मजदूरी की घोषणा सरकार करती, इस मजदूरी को 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपया किया जाता। अच्छा होता यदि सरकार गन्ने के अवशेष मूल्य की घोषणा करती, जो कि सरकार को अपनी बजट में करनी चाहिए थी, जो काश्तकारों का रुका पड़ा है। अच्छा होता सरकार अल्पसंख्यकों की बात करती। मान्यवर, खास तौर पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, किसी घटना में दोषी पाये जाते हैं तो उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है, सोहलपुर एक गाँव है, जहाँ पशु काटने का काम कुछ लोग करते हैं, मीट पकड़ा गया, मीट में चालान हो जाये वह ठीक है, लेकिन उन पर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है, यह ठीक बात नहीं है, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि यह बजट दिशाहीन है, इसमें गरीबों के लिए कोई बात नहीं की गई है, इसमें मजदूरों की कोई बात नहीं की गई है, इसमें अल्पसंख्यकों की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, यह दूसरा अवसर है, जब इस सम्मानित सदन के अन्दर हमें एक राजस्व सरप्लस बजट देखने का सुअवसर मिला है। निश्चित रूप से यह सरकार की कन्सिसटेंस परफारमेंस और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय है। श्रीमन्, मैं

यह नहीं कह रहा हूँ, न केवल उत्तरांचल में, न केवल उत्तराखण्ड में, न केवल एक प्रदेश विशेष में, बल्कि पूरे देश भर में इस बात की चर्चा होती है कि किस प्रकार से जो बजटरी रिफारम्स हैं, उनको किस प्रकार से लागू किया जाय, किस प्रकार से वित्तीय अनुशासन को कायम किया जाय। श्रीमन्, तमाम सारी कमेटियों ने तमाम उपाय सुझाये और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 ने कुछ प्रावधान किये। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य का इसका गौरव हासिल है और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने यह करके दिखाया है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम की व्यवस्था थी, तद्नुसार जो राजकोषीय घाटा था, उसको घटा करके जो एक परमीशनेबल लिमिट थी, तीन प्रतिशत की, उसके अधीन 2.89 प्रतिशत लाने का काम किया है।

श्रीमन्, दो दिन से हम इस माननीय सदन में बजट प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर जब कभी भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चायें सुनी तो निश्चित रूप से इधर सत्ता पक्ष के विधायकों ने यह कहकर बजट की प्रशंसा की कि अमुक-अमुक इंतजाम फलां-फलां चीज की व्यवस्था के लिए, समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया और हमारे प्रतिपक्ष के माननीय साथियों ने भी कहीं न कहीं सुझाव के रूप में किसी मद विशेष में बजट की कमी को सरकार की कमी के रूप में उजागर किया। लेकिन मैं इससे थोड़ा भिन्न राय रखते हुये अपनी बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि केवल बजट की आंशिक, केवल बजट की मार्जिनल घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी, किसी भी बजट के अच्छा होने या बुरा होने का प्रमाण नहीं है। पैसा प्रत्येक सरकार द्वारा खर्च किया जाता है लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आता है। अभी हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य माननीय केदार सिंह फोनिया जी अभी एक बात को कह रहे थे।

मान्यवर, उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि विकास की हमारी रणनीति क्या है। जब किसी भी युद्ध में कोई जाता है तो किसी भी सेनापति के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी बड़ी संख्या बल के आधार पर वो सेनापति युद्ध में जाता है केवल सेना को कत्लेआम करा करके कोई कहे मैं युद्ध जीत लूँगा यह कदाचित सम्भव नहीं है, उसे अच्छा सेनापति नहीं कहा जा सकता। लिहाजा किसी भी युद्ध को जीतने के लिए किसी भी सेनापति के पास एक बेहतरीन, कारगर रणनीति होनी चाहिए। उसी हिसाब से किसी प्रदेश के अन्दर राज्य सत्ता को चलाने के लिए, विकास को अंजाम देने के लिए भी एक रणनीति होनी चाहिए।

श्रीमन्, मैं इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर जो एक अराजकता का वातावरण था, एक फाइनेन्शियल इनडिसीप्लिन का आलम था, उस पर अंकुश लगा करके एक फाइनेन्शियल डिसीप्लिन कायम करने

का काम किया गया और तमाम सारी चाहे वो राजस्व के सरप्लस का मामला हो या राजकोषीय घाटे को अपने जी०डी०पी० को 3 प्रतिशत के अन्दर लाने का मामला हो। ये ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिसको आधारभूत उपलब्धियों के रूप मे गिनाया जा सकता है। श्रीमन्, जब यह प्रदेश बना था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अन्दर हुकूमत सम्भाली तो यह प्रदेश एक ऋणग्रस्तता के जाल में था, एक डेडट्रेप के दौर से गुजर रहा था। लेकिन एक छोटी सी अवधि में, एक वर्ष के कार्यकाल में उस ऋणग्रस्तता के जाल से प्रदेश को उबारने का काम सरकार ने किया, यह साधारण कार्य नहीं है, यह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, अनुशासन के साथ सम्भव है। अभी हमारे सदन के बहुत विद्वान सदस्यों ने, तमाम माननीय सदस्यों ने इस बात को जोर देकर कहा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, जिनका बहुत लम्बा राजनीतिक अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश से ले करके उत्तराखण्ड तक, ने अपने अनुभवों को भी सदन के सम्मुख रखा, उसका भी हम लोगों ने श्रवण किया।

श्रीमन्, मैं आज भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, मेरा एक विचार है कि आज भी उत्तराखण्ड की कुल आबादी के 70 प्रतिशत लोग केवल खेती–बाड़ी करते हैं और हममें से प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि उत्तराखण्ड की रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं। उत्तराखण्ड के अन्दर यदि श्रम के टर्मस् में देखा जाए, यदि उसके मुताबिक देखा जाए तो महिलाओं का योगदान सर्वोपरि है। तो जिस 70 प्रतिशत आबादी की बात मैंने की, उत्तराखण्ड में उस श्रम में भी, उस विकास के कार्यों में भी, उसमें 80 प्रतिशत महिलाएं केवल कृषि आधारित काम करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोट करना चाहता हूँ कि यह बजट भाषण इस बात का प्रमाण है कि शायद देश के अन्दर कोई प्रदेश ऐसा रहा हो जिस ने अपने एक वर्ष के भीतर अपने कृषि बजट में कृषि के सम्बन्ध में जो बजटरी प्रोविजन किया गया उसमें 27 फीसदी की वार्षिक वृद्धि करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इससे बड़ा रोजगार का साधन कौन सा हो सकता है जिस सेक्टर में 80 प्रतिशत लोग एम्प्लॉयड हों, जिस काम को प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता करती हो, उसका बजटरी अलोकेशन 27 प्रतिशत तक वर्ष के अन्दर बढ़ा दिया गया। इससे बड़ी उन्नति कौन सी हो सकती है। (व्यवधान) उसका प्रोविजन है।

श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर महिलाओं के बोझ की समस्या, महिलाओं में ड्रेजरी की समस्या एक गम्भीर समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश से लेकर आज तारीख तक सभी मंचों पर जनप्रतिनिधि अपने–अपने लहजे में, अपने–अपने स्टाइल में उजागर करते रहे हैं, लेकिन केवल लिप्स सिम्पेथी, घड़ियाली आँसू बहाने का काम

सरकारों ने किया। महिलाओं के उस बोझ को कम करने के लिए, ड्रजरी की समस्या को कम करने के लिए किया कुछ नहीं। यह पहली सरकार है जिसने यह सुनिश्चित किया कि जो महिलाएं हैं, जो बोझ के तले हैं, उनके काम को कैसे, इसकी शुरूआत की गयी कि महिलाओं को जलाऊ लकड़ी के लिए दर-दर की ठोकरें जंगलों में न खानी पड़े, उसके लिए उनको कुकिंग गैस रियायती दरों पर कनेक्शन फ्री उपलब्ध कराए जा सकें। ये इन्तजाम सरकार ने किया, बजट के माध्यम से इन्तजाम किया है। (मेजों की थपथपाहट) तो श्रीमन्, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। (व्यवधान) घोषणाओं के भूत आप पर अभी सवार हैं, क्योंकि जो तथाकथित विकास पुरूष की जो घोषणाएं थी, वो घोषणाएं अभी हवा में तैर रही हैं वो जमीन पर उतर नहीं पायी लिहाजा उस भूत से उबरने का काम आप लोग नहीं कर पाए। उसका हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है।

श्रीमन्, जब इस प्रदेश के अन्दर कृषि की बात की, इस प्रदेश के अन्दर जो कृषि उत्पाद है, जो हार्टिकल्चर है हार्टिकल्चर का जो उत्पाद है, निश्चित रूप से कृषकों द्वारा जो हार्टिकल्चर का उत्पाद होता है उसका ठीक से विपणन नहीं हो पाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से आग्रह करूंगा कि कहीं न कहीं मण्डी समाधान योजना को हार्टिकल्चर के क्षेत्र में इन्ट्रड्यूज करने की जरूरत है और मण्डी समाधान योजना के माध्यम से जिसमें सर्पोट प्राइज आदि तमाम इन्तजाम किये जा सकें, जो तमाम सारी कुदरत की आपदायें हैं, आजकल हार्टिकल्चर में नई टैक्निक है, दुनियाँ के तमाम सारे जगहों में जहाँ पर हार्टिकल्चर का काम होता है वहाँ आधुनिक टेक्निक के जैसे ओले से बचाव के लिए इंटी टैक्निक का कार्य किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

सीमित करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, इसी प्रकार से हममें से प्रत्येक सदस्य सदन के अन्दर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो सी०आर०एफ० की गाइड लाइन्स हैं, जो आपदा राहत की गाइड लाइन्स हैं, भारत सरकार की गाइड लाइन्स हैं उत्तरांचल के सम्बन्ध में, वह यहाँ पर लागू नहीं हैं, हमारे पास धनराशि होते हुए भी हम राहत नहीं दे पाते हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार ने यहाँ पर रिलीफ आथेरेटी का गठन किया है, जिला स्तरीय रिलीफ समिति का गठन किया, उसमें जनप्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया। श्रीमन्, हर एक ने उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात की, यह हथेली में सरसों उगाने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार

ने मजबूत दृढ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए कहा कि आज जो लाइन लॉस 38 प्रतिशत है उसे 24 प्रतिशत पर ला करके निश्चित रूप से जो बिजली की चोरी होती है, बिजली का जो दुरूपयोग होता है उसे रोक करके ऊर्जा प्रदेश बनाये जाने का काम किया जायेगा।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कॉग्रेस के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ, वे यह कहते थक नहीं रहे थे कि भारत सरकार की फलानी योजना को प्रदेश सरकार ने झपट करके अपने खाते में दर्ज करा दिया। तमाम सारे प्रदेशों में आपकी सरकारें चलती हैं लेकिन उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसने कम्प्यूटर लरनिंग प्रोजेक्ट है, जब उसका इवाल्यूशन भारत सरकार के योजना आयोग ने किया, निश्चित रूप से उसमें उत्तरांचल राज्य को सबसे सफल और अग्रणी राज्य बताया। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमन्, उत्तराखण्ड को गौरव हासिल है, हिन्दुस्तान को गंगा और यमुना की संस्कृति वाला देश कहा जाता है। हमारे सामने जब गंगा और यमुना की बात करते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ जैसे महान शहनाईवादक का नाम आता है जिन्होंने बनारस में रह करके हिन्दुस्तान की जो गंगा यमुना संस्कृति है उसको सजाने और संवारने का काम किया।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि गंगा और यमुना का उद्गम स्रोत इसी उत्तराखण्ड की पावन धरती से है। आज सरकार ने दृढ इच्छा शक्ति का परिचय दे करके गंगोत्री एक्शन प्लान के नाम पर गंगा यमुना के पावन पवित्र नदियों को शुद्ध और स्वच्छन्द बनाये रखने के लिए और गंगा ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरह का कार्य योजना का निर्धारण किया, निश्चित रूप से यह उत्तराखण्ड राज्य के हित में मील का पत्थर साबित होगा। श्रीमन्, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ, कि आपने अपने पीठ से निर्देश दिये थे कि इस प्रदेश के अन्दर पेयजल एक गम्भीर समस्या है, सभी सदस्यों को निर्देश भी दिया कि अपने सुझाव पेयजल मंत्री को आप दे सकते हैं। लेकिन आज हम सदन के अन्दर सुन रहे थे, सरकार योजना बनानी चाहती है, सरकार के पास पैसा है, लेकिन योजना बनाने के लिए पैसा होने के बावजूद भी पानी के स्रोत नहीं हैं, ग्रेविटी का पानी उपलब्ध नहीं है। हिन्डोला खाल पम्पिंग योजना बनी, वहाँ पर प्रतिलीटर जो पम्पिंग की कास्ट है वह 7 रूपये है, बिसलरी की जो बोतल से भी ज्यादा कीमत वहाँ पर आती है। मैं पुनः सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि एक दिन का विकास सब कुछ नहीं है, आज के समय में जब भी हम विकास की बात करते हैं तो सस्टेनिबुल डेवलपमेंट होना चाहिए।

मान्यवर, जो भी विकास हो, टिकाऊ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस प्रदेश सरकार ने एक जल स्रोत सम्वर्द्धन समिति का गठन किया है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, उनको चिरस्थाई बनाने के लिए, उसको रिचार्जिंग के लिए और उसके कैचमैंट एरिया उसके ट्रीटमैंट एरिया के लिए एक रणनीति बनाने का काम किया गया है। यह जो काम किया गया है श्रीमन्, सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। एक बहुत ही सुन्दर सुझाव माननीय बलबीर सिंह जी ने दिया, मैं भी श्रीमन, उसमें अपने आपको जोड़ करके कहना चाहता हूँ। मैं देहरादून का ही उदाहरण लेता हूँ। बात जाकर के हरिद्वार की भी हो सकती है, ऊधमसिंह नगर की भी हो सकती है। जो हमारी तमाम सारी नदियां हैं, नदी के जो फाट हैं वहाँ पर जो डैजर्ट एफैक्टव हैं उससे काफी जमीन बर्बाद हो रही है। जमीन दरियाबुर्द होती जा रही है। उसके लिए एक उचित रणनीति बनाने की आवश्यकता है कि जहाँ पर भी हमें आवास उपयोग के लिए लाना है, खेती उपयोग के लिए नहीं है वहाँ जो डिग्रेडेट स्वायल है, जो दरियाबुर्द हो गई है नदियों में चली गई है, उसको रिक्लेम करके और निश्चित रूप से खेती के अन्यत्र जो अन्य दूसरा उपयोग है, उसमें ला करके हम एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट का काम कर सकते हैं।

श्रीमन्, एक अन्तिम बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य में विशेष रूप से मेरी जानकारी के मुताबिक तीन विभाग ऐसे हैं, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और सिंचाई विभाग जहाँ पर लगभग चार हजार कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी 20 से लेकर 40 वर्ष तक की सेवा अवधि हो गई लेकिन 20 से 40 वर्ष तक सेवा अवधि के बावजूद भी या तो वह मस्टर रौल पर काम करते हैं या दैनिक श्रमिक हैं या वर्क चार्ज के रूप में काम करते हैं। मैं भिज्ञ हूँ श्रीमन्, इस बात से कि जहाँ एक तरफ उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक प्रकरण ने देश की तमाम सरकारों को बांधने का काम किया कि बैक डोर इन्ट्री के माध्यम से किसी को सरकारी सेवा में समायोजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रीमन्, फिर भी मैंने कहा 20 से लेकर 40 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी जब कर्मचारी अपने घर जाता है तो उसको एक फूटी कौड़ी की राहत सरकार की तरफ से नहीं होती है। कहीं न कहीं सरकार को विधिक प्रक्रिया अपनाकर कहीं न कहीं यह निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे तमाम सारे कर्मचारियों को रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, राहत पहुँचाने की जरूरत है। ताकि वह भी इतनी लम्बी सरकारी सेवा करने के बाद जब घर जाएं तो उनके पास भी सामाजिक सुरक्षा का चक्र हो।

मान्यवर, एक अन्तिम सुझाव के बाद मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों के बारे में श्रीमन्, इस सदन में चर्चा हुई। मैं श्रीमन्, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यही तो कह रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ उन्होंने पहली बार अभिनव प्रयास किया। मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे लोग संसाधन बढ़ाने की बात कहते हैं, मैं संसाधनों को घटाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज जो हायर सेकेन्डरी स्कूल, जो हमारे पास माध्यमिक स्कूल हैं वहाँ पर वी नीड डाउन टू कट डाउन द नम्बर। हम स्कूलों की तादात को घटा दें लेकिन हर स्कूल को हम, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, हम छात्रावासों से सुसज्जित करें ताकि हर गली मोहल्ले में स्कूल खोलने की जरूरत न पड़े और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग ने इस प्रकार की पहल की। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में जो भी इण्टर कालेज होंगे, उनको छात्रावास से सुसज्जित किया जायेगा और क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में एक प्रभावी कदम उठायेंगे। आपने मुझे अपनी बात करने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए0वी0एस0एम0-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2008-09 के बजट के ऊपर चर्चा का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, 10 मार्च को यह बजट पेश किया गया था और चर्चा तब से चल रही है। दुर्भाग्य से विपक्ष के हमारी साथी कुछ समय उपस्थित नहीं रहे। अच्छा होता वह भी उपस्थित रहते, उनकी कमी हमें काफी महसूस हुई। चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बसपा माननीय शहजाद के अलावा 27 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैं उनका आभारी हूँ। जो बिन्दु उठाये गये हैं, उनका एक साथ जवाब देना और उन पर सूचना देना सम्भव नहीं है। जितनी भी बातें हैं, नोट कर ली गई हैं। उन पर उचित तरीके से विचार किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से जानता हूँ कि माननीय हरक सिंह रावत जी बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं उनकी शैली और उनके हाव-भाव, उनका जोश खरोश ऐसे होते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति भी उठ खड़ा होता हैं मान्यवर, इनके लिए अंग्रेजी में एक शब्द कहा तो वह है 'रैबोआइजर'।

माननीय अध्यक्ष जी, यदि सदन में तर्क-वितर्क पर अगर बात होगी तो वह स्वाभाविक है कि बजट में कमी होगी और कोई भी सर्वगुण सम्पन्न नहीं हो सकता है। हमने कोशिश की है कि जितनी सम्भावना हो और जितनी हमारी योग्यता है उसके अनुसार जो जन सेवा के काम हम करें। लेकिन तर्क-वितर्क और वास्तविकता के आंकड़ों के हिसाब से बात की जाये तो ज्यादा उपयोगी होगी। माननीय हरक सिंह जी

ने बहुत सारे आंकड़े पढ़े और बड़ी तैयारी करके आंकड़े और नक्शे बहुत सारे लाये थे। मुझे लगता है कि आपने दो दिन तक अच्छी तैयारी की है। लेकिन जो भी है आप अपने आंकड़ों को, क्षमा कीजिए आपने आंकड़ों का बेरहमी से कत्लेआम किया है और जिस प्रकार से आपने रखे, वे आंकड़ों का ऐसा है, इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बीच-बीच में कुछ कहानियां सुनने की माननीय सदस्यों को अनुमति दी। मैं भी एक कहानी सुना दूं लगभग 40-50 साल का पुराना किस्सा है कि मोस्को में एक रेस हुई, मास्को उस समय घोर कम्यूनिस्टों का देश था और विकास नहीं था। कार रेस हुई, वहाँ पर सिर्फ दो कारों ने हिस्सा लिया। एक रूस की कार थी और एक अमेरिका की कार थी। दोनों में रेस हुई और अमेरिका की कार बहुत आगे चले गयी और रूस की कार एक घण्टे पीछे थी। रूस का अखबार जो अरमदा है उनका वह ऑफिशियल पेपर था। उसमें खबर थी कि रूस की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ती हुई नम्बर एक गाड़ी के पीछे-पीछे आयी, अमेरिका की गाड़ी धीरे-धीरे बहुत सुस्ती के साथ नम्बर दो गाड़ी से थोड़ी आगे थी। (हँसी) आंकड़ों की इस तरह हेराफेरी करेंगे और हम पर आरोप लगा रहे थे वह ठीक नहीं है। आंकड़ों का उपयोग एक बिजली के खम्भे की तरह है। उस खम्भे में लाईट लगी रहती है। तब उस खम्भे को बिजली के लिए उपयोग करें या उसको झुकने के लिए करें। क्योंकि आपके पास कोई उजाला नहीं है। आपने योजना के कुछ तर्क दिये हैं। 48 प्रतिशत आपने बढ़ा दिया है। चार हजार करोड़ रुपये तक आप ले आये हैं। लेकिन आपने यह नहीं कहा कि आपने कितना व्यय किया या कितना प्रतिशत आपने व्यय किया।

माननीय अध्यक्ष जी, 2005-06 में दो हजार सात सौ करोड़ की इनकी योजना थी। 2006-07 में इन्होंने चार हजार करोड़ कर दी है। बहुत अच्छी बात है, बढ़त कितनी हुई तेरह सौ करोड़, अब खर्च बतायें। 2005-06 में इनका खर्च हुआ दो हजार तीन सौ करोड़ रुपया का, 2006-07 में इनका खर्च हुआ दो हजार तीन सौ पचास करोड़, बढ़ा तीन सौ करोड़ और खर्च हुआ तिरेपन करोड़, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? यह किस को दिखाने के लिए किया? आप बोलेंगे कि हमने योजना के लिये खर्च बढ़ा दिये हैं। इसलिए आंकड़े से कोई प्रभावित लम्बे समय के लिए नहीं हो सकता है। अभी सी0ए0जी0 के बारे में मैं अलग से बताऊँगा। 2000 से 2007 तक के जो अभी आंकड़े दिये थे और जो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट ने 05 और 06 और 07 की हमारे पास नहीं हैं। इनके बारे में समय-समय पर ध्यान आकर्षित करता रहा उसमें भी कुछ नयी बातें हैं, उसमें से मैं एक दो लाईन पढ़ रहा हूँ। 14 अनुदान के अन्तर्गत 79 प्राविधानों के मामले में सम्पूर्ण राशि आठ सौ पन्द्रह शून्य नौ करोड़ अनुपयुक्त रह गयी, वर्ष के दौरान 39 योजना में 75.35 करोड़ के पूरक प्राविधान

अनावश्यक सिद्ध हुए विनियोगों के प्रत्येक प्रकरणों में पूरक प्राविधानों से अधिक बचत थी। वर्ष 2006 से 07 तक 20 प्रकरणों में व्यय लगातार कुल प्राविधानों से 5 प्रतिशत या उससे अधिक कम था। आप मांगते जाईये बजट में ज्यादा और खर्च करिये 5 प्रतिशत। कहाँ से किसको फायदा हो रहा है? इस प्रकार के जो आकड़े हैं वे किसी के हित में नहीं हैं। रोजगार की आपने बात की है और काफी आपने उसके ऊपर हमारी खिंचाई की है।

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने कोशिश की है आंकड़े बनाने की। मैं यह नहीं मानता कि अगले पाँच साल के अन्दर नये रोजगार शुरू हुए, रोजगार लगे होंगे, अवश्य नये रोजगार लगे होंगे। लेकिन हमने जिन बातों की ओर ध्यान दिया। उदाहरण के तौर पर 70 प्रतिशत पुराने इन्स्ट्रेक्शन थे भर्ती नहीं हो रही थी। हमने इनसिस्ट किया। जबरदस्ती की। उद्योगपतियों पर दबाव डाला कि 70 प्रतिशत भर्ती करें। उनकी बात छोड़िये जो प्राइवेट में लगे। मैं सिर्फ सरकारी नौकरी के आंकड़े आपको दे रहा हूँ। आपने पाँच साल में 34097 भर्ती की। एक साल में 6500 करीब आपके आते हैं। हमने एक साल में, पहले साल में 13000 हजार और क्षमा कीजिए आपके समय में भर्ती कैसे होती थी और हमारे समय में कैसी हो रही है इस बात को समझने का कष्ट करेंगे। ऊर्जा, मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य होता है कि हमें आरोप वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने पाँच साल में एक मेगावाट बिजली नहीं तैयार की अपनी क्षमता से। आपने एक मेगावाट नहीं शुरू किया। हमने 9 महीने, 10 महीने में 340 मेगावाट शुरू कर दिया। तो आप लोग पाँच साल सोये हुए थे। (व्यवधान) अभी हमने मनेरी भाली पिछले 10 महीने में।

श्री अध्यक्ष–

माननीया अमृता रावत जी कुछ कहना चाह रही हैं, वे बोल लें। अपने स्थान से बोल लें।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

माननीय अध्यक्ष जी, ये तथ्य, आंकड़े हैं।

डा0 हरक सिंह रावत जी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूँ कि क्या एक साल में कोई परियोजना बन सकती है? आपको पिछली सरकार के प्रयास की भी सराहना करनी चाहिए। मान्यवर, रिस्पना पुल का उद्घाटन आपने किया तो मान्यवर, पूरा हिन्दुस्तान जानता है जो रिस्पना पुल से आया होगा कि पिछले कांग्रेस की सरकार के शासन काल में इस पुल का निर्माण हुआ था और उस पर अपना लोकार्पण का बोर्ड लगा दिया। (व्यवधान)

मे०ज०(अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए०वी०एस०एम०–

माननीय हरक सिंह जी, मैंने आपका पूरा जोश खरोश के साथ लच्छेदार भाषण बैठ करके सुना और एक दफे भी खड़ा नहीं हुआ। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है तो सच बोलने पर तकलीफ होती है। (व्यवधान)

डा० हरक सिंह रावत जी–

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप भी लच्छेदार भाषण बोल रहे हैं।

मे०ज०(अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए०वी०एस०एम०–

आपने शायद जो कहा, उसका असर पड़ रहा है। मैं नम्रता से कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि एक साल में नहीं हो सकता, एक साल में नहीं हो सकता है काम लेकिन जो 20 साल से नहीं हुई, जो योजना 20 साल से पूरी नहीं हुई। आपने उस पाँच साल में क्यों नहीं पूरा किया? (व्यवधान) मैं ज्यादा आलोचना नहीं करता।

मान्यवर, उस योजना में इतनी कमियाँ पाई गई, उसमें एक टरबाईन डिफेक्टिव थी, उसके जो डी०पी०आर० बना वह गलत है, हमको परेशानी हो रही है अभी भी और इसके बावजूद भी कोशिश करके चारों की चारों टरबाईन चल गई हैं और जब पानी होगा 340 मेगावाट बिजली पैदा होगा, (व्यवधान) पाला मनेरी का सेकेण्ड फेज भी हम हाथ में ले रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम शुरू कर रहे हैं लेकिन आप लोगों ने तो हमारी धज्जियां उड़ा दीं ऊर्जा के ऊपर, अच्छा होता कि आप इस विषय को टच न करते तो आप भी सेफ रहते और हम भी नहीं कहते। आपने काफी खिल्ली उड़ाई हमारी और कहा है कि हजारी, कोई 7 हजारी, 10 हजारी, 20 हजारी तो 10 हजारी से ज्यादा नहीं हैं, 7–8 हजारी हैं। मुझे यह भी आश्चर्य है कि जिन लोगों ने 250–300 लोगों को लाल बत्ती बाँटी हो, लाल बत्ती बांटें उसकी चर्चा न हो, पूरे भारतवर्ष में जिसका विषय बना हो तो वो लोग हम पर आरोप लगायें कि लाल बत्ती बाँट दी, हमने पैसा लुटा दिया।

माननीय हरक सिंह जी, आपके समय में अभी हमारे पास 74 का हिसाब है, उसमें 36 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। एक महीने में आपके एक हजारी के ऊपर 10 लाख हो रहा था, हम कितना खर्चा करेंगे। अगर हम 10 हजार रुपये दे रहे हैं, हमने व्यवस्थित कर दिया कि इससे ज्यादा न करें, आपके यहाँ फ्री फार ऑल था, जितना मर्जी चाहो खर्चा करो।

डा0 हरक सिंह रावत जी–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि यह ठीक है कि हमारी सरकार थी, लेकिन हमी सब लोगों ने, हमारे बहुत सारे साथी सत्ता पक्ष में थे, गलत व्यवस्था को चाहे हमारी सरकार में हुई हो, चाहे उस सरकार में हुई हो, बिल्कुल मेरा स्पष्ट है, जब पहले वर्ष 2001 में आपकी सरकार थी तब भी मैंने कहा था 22 विधायक हैं तो 22 के 22 मंत्री बनाये जायें, हमारी सरकार में भी कोई गलती हुई है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परम्परा नहीं पड़नी चाहिए।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, माननीय हरक सिंह जी, ये आरोप और प्रत्यारोप का मेरा विषय नहीं है। आपने जो बिन्दु उठाये हैं उसी तक अपने को सीमित कर रहा हूँ अगर मैं जवाब नहीं दूँगा तो वह भी ठीक नहीं है। हमने पहले 10 महीने तक कोई खर्च नहीं किया, अब तक आपका 1 करोड़ रुपये उसी पर खर्च हो चुके होते। माननीय हरक सिंह जी, आपने हमारे घोषणा–पत्र को दो–तीन जगह उछाला, हमारे पहले साल का घोषणा–पत्र दिखा दें, मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे काम हुये। आपके घोषणा–पत्र 2002 का क्या? इसे पढ़ दूँ। पहला नम्बर, राज्य की भावना के अनुरूप और राज्य आंदोलनकारियों की भावना का सम्मान करते हुये नये राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखण्ड नामित कराना। तो आपने कब किया, वर्ष 2002 में नहीं किया, 2003 में नहीं किया, 2004 में नहीं किया, 2005 में नहीं किया, 2006 में नहीं किया, वर्ष 2007 की जनवरी में किया, जब चुनाव आ रहे थे। आप हमको सबक सिखा रहे हैं। (व्यवधान) सरकार गठन के पहले 2 वर्षों के अन्दर 2 लाख बेरोजगारों के लिए सरकारी, गैर सरकारी अवसर दे गये यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, रोजगार तो दिया, हम तो इतने परेशान नहीं, जितने ये लोग परेशान हैं

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, माननीय प्रीतम सिंह जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमारे लिए भी चिन्तित हैं। मान्यवर, आप घोषणा–पत्र की बात करते हैं, हमने कोशिश की है हम जरूर कर सकें, आपने क्या लिखा अपने घोषणा–पत्र में, चुनाव जीतने के लिए उम्मीद तो थी नहीं, गलती से जीत गये। आपने लिखा, राज्य के सभी समुदाय और

विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व देने के लिए विधान परिषद का गठन करेंगे, तो 70 वाली सीट में विधान परिषद हो ही नहीं सकती, है ही नहीं और बिजली का सुनिये, प्रतिवर्ष 5 सौ मेगावाट 5 वर्ष में 3000 मेगावाट ये लिखा है।

मान्यवर, पाँच वर्ष में तीन हजार मेगावाट बिजली की बात की और जो विकल्पधारी हैं, उन्हें 48 घंटे के अन्दर भेज देंगे, पाँच साल पूरे हुए, नहीं भेजा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि घोषणा-पत्र के बारे में जो हमारी ईमानदारी है उसके ऊपर टीका-टिप्पणी करना शायद उचित नहीं है। (व्यवधान) माननीय रावत जी, अभी आपका 15-20 साल तक उधर आना मुश्किल है, जब कभी आप इधर आयेंगे तब हमारे घोषणा-पत्र को आप देखेंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत जी-

मान्यवर, जब कल आपने कहा था कि जब हमारी विधायकों के साथ आपकी बैठक हुई थी, जब हमने यह कहा कि जब विपक्ष के लोग नाराज हो जाते थे तो उस समय जब नेता प्रतिपक्ष माननीय कण्डारी जी थे, और जब वे कोई आग्रह करते थे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री तिवारी जी, उनकी बात को मानते थे, उस पर आपने कहा था कि माननीय तिवारी जी चार बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं और केन्द्र में भी कई बार मंत्री रहे हैं, इसलिए मेरी तुलना उनसे करना अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान) तो क्या आज आपने यह साबित कर दिया है, या कहना चाहते हैं कि लगातार तीन-चार टर्म बिल्कुल बने रहेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सदन के बाहर क्या बातचीत हुई, इसका संज्ञान सदन में नहीं लिया जाता है।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, हमको तो कम तकलीफ है। जैसा प्रीतम सिंह जी ने कहा, तकलीफ तो वहाँ है अगर आपने ये घोषणा यहाँ कर दी कि 5-20 साल और रहना है, अभी तो एक ही साल हुआ है और आपकी तकलीफ बहुत अधिक बढ़ गयी है। (व्यवधान)

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0-

माननीय रावत जी, आपके मुंह में घी-शक्कर। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में एक व्यक्ति का राज नहीं चलता है, मैं यहाँ इस कुर्सी पर नहीं रहूँगा। हमारे बहुत से और साथी हैं, वे रहेंगे, उसकी चिन्ता आप न कीजिए। मान्यवर, सूप बोले तो बोले अब तो छन्नी भी बोले, जिसमें 100 छेद हों। मान्यवर, पेयजल योजनाओं में राज्य सेक्टर में मात्र 07 करोड़ रु0 का प्राविधान है, यह आपका बिन्दु है। (व्यवधान)

इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2007–08 में 77 करोड़ और स्वेप में 22 करोड़ रु0 इसमें मिलता था। अभी इस वर्ष 2008–09 में 60 करोड़ एवं स्वेप के अन्तर्गत 175 करोड़ रु0 उसके एडीशन में हैं और कुल मिलाकर 235 करोड़ है। मान्यवर, जल कर में आपने सीवर की व्यवस्था की बात की है। मान्यवर, पहली सरकार ने इसको स्थगित किया था, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया था। मान्यवर, घोषणा आप करते हैं और काम हम करते हैं।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग को 750 करोड़ रु0 हमने दिये हैं और यह बहुत कम है, अब कीमतें बढ़ गयी हैं। कीमतें बढ़ गयी हैं यह सही है लेकिन हमने लोक निर्माण के ऊपर कोई कमी की हो, ऐसा नहीं है। वर्ष 2008–09 में 1058 करोड़ रु0 दिये हैं इसके अलावा ए0डी0बी0 के साथ एक करार किया है, जिसमें 2444 करोड़ का व्यवसाय है इसमें भी करीब 22 सड़कें बनने वाली हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में आपने कहा था, इस बारे में मैं आपका ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूँ। मान्यवर, मुझे दुःख के साथ दोहराना पड़ता है कि जब मैं मंत्री था, उस समय भी मैंने इस बात पर चर्चा की थी पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया यह सब जानते हैं। जब मैंने लोक सभा में एक सवाल उठाया था जून, 2005 में जो मंत्री जी हैं डा0 रघुवंश प्रताप सिंह जी, उन्होंने हाउस में मुझे बताया था कि पिछली सरकार के पास करीब 250 करोड़ रु0 हमारा उनको मिलना है। वे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करीब 100 करोड़ वे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और 150 करोड़ रु0 हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। मान्यवर, 250 करोड़ रुपया जून तक इस्तेमाल नहीं हुआ था और उसके बाद भी यह स्थिति थी हमने इन 10 महीने में आकर 200 करोड़ रु0 की सड़क स्वीकृत कर ली है।

मान्यवर, 13 नये डिवीजन पी0डब्लू0डी0 के खोल दिये हैं। ये डिवीजन ग्रामीण सड़क योजना करेंगे और तेजी से उस पर कार्य होगा। एक और आपने बिन्दु उठाया था, पी0डब्लू0डी0 के बारे में कि हमने नया संगठन खड़ा कर दिया है आपने कहा कि हम जो नया संगठन खड़ा करने जा रहे हैं, उसे नहीं खड़ा करना चाहिए क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं। मैं समझता हूँ कि और नये संगठन खड़े करने से व्यय अवश्य होगा। लेकिन वर्तमान में क्या व्यवस्था थी? आधे से ज्यादा काम उत्तर प्रदेश का निगम कर रहा था, जिसके ऊपर हमारी जो समस्याएं थीं, उनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। उसके अलावा हमारे पास जल निगम का था, जल निगम की कन्स्ट्रक्शन कम्पनी अलग बनी हुई थी, इसकी अलग बनी हुई थी, उसकी अलग बनी हुई थी। हम सबको एक जगह कर रहे हैं और जो काम आज तक मुख्यतः उत्तर प्रदेश निर्माण

निगम कर रहा था और जल निगम जो कर रहा था, अब वह नहीं करेंगे। खर्च थोड़ा अवश्य होगा लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा काम होगा और इसमें ज्यादा सुविधा होगी और खर्च कम होगा तथा तेजी से काम होगा।

विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन के बारे में आपने कहा कि कम से कम एक हजार रुपया की जाय। मैं आपसे सैद्धान्तिक रूप से सहमत हूँ, मैं मानता हूँ लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास स्थिति थी, उसमें दो समस्याएं थीं। एक तो यदि किसी के बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक होती थी, तो उसकी पेंशन बन्द हो जाती थी, हमने उसको खत्म किया है। इसलिए अब जो भी विधवा होगी, वृद्धा होगी, विकलांग होगा, उसका बेटा कितना ही कमाऊ हो, उससे कोई मतलब नहीं है इसमें काफी धन खर्च होना है। दूसरी समस्या क्या हो रही थी, जिसके बारे में हम सब जनप्रतिनिधि जानते हैं कि एक सीमित नम्बर था, सीमित पैसा था कि अगर इतने नम्बर के बाद आए तो पैसा नहीं था। आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। हमने यह कर दिया है कि पैसे की इसमें कोई सीमा नहीं है, जितने भी लोग होंगे, हर किसी को दिया जाएगा। तो हमने यह पहला कदम उठाया है। भविष्य में हम कोशिश करेंगे, अगर सम्भव हुआ तो करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, बढ़ाने की घोषणा कर दें।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, देखिये घोषणा करके ना करना हमारी आदत नहीं है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कुछ तो बढ़ा दीजिए। (व्यवधान)

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

माननीय हरक सिंह जी, मेरा यह निवेदन है कि हमें धीरे–धीरे चलना है अभी कम से कम 4 साल तो हम हैं ही। मैंने आपको अपनी सोच बता दी है। पहले साल में ही सब काम कर देंगे तो आखिरी चार साल में क्या करेंगे? राजीव गांधी ग्रामीण योजना के बारे में आपने कहा था, उसमें काम चल रहा है आपके समय में भी काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे देश के अन्दर हमारा अच्छा काम चल रहा है और हम वचनबद्ध हैं कि 2009 के आखिर तक हम सब गाँवों को यह सुविधा दे देंगे। माननीय शहजाद जी का भी यह प्वाइंट था कि गावों का विद्युतीकरण होना चाहिए। तो हमने उसमें भी योजना बनायी कि

हर गांव तक, हर घर तक हम बिजली पहुँचाएंगे। मास्टर प्लान की बात आपने कही थी कि मास्टर प्लान नहीं बना है, तो मास्टर प्लान बन गया है, केन्द्र सरकार के पास है, उनके एप्रूवल के लिए गया है वह डब्लू०टी०ओ० का बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाईजेशन का, जैसे ही वह बनेगा हमारे पास आ जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा है कि कुछ नहीं किया। मुझे दुःख है कि इसमें शायद कुछ हमारी कमी होगी कि हम आप तक खबर नहीं पहुँचा पाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई हैं।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमने कहा कि 10 प्रतिशत बढ़ा है।

मे०ज०(अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए०वी०एस०एम०–

मान्यवर, बजट बढ़ा है, यह अच्छी बात है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए व्यवस्था हैं बाद में अगर ज्यादा काम होगा तो उसको करेंगे। हमने स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की है, हमने एक नई बीमा योजना भी शुरू की है, स्वास्थ्य के लिए, जिसमें हर एक परिवार 30 हजार रुपये तक का खर्चा प्राईवेट क्लीनिक में भी कर सकता है। कमाऊ आदमी की मृत्यु होने के बाद 25 हजार का उसको इन्श्योरेंस मिलता है, इस प्रकार हमने कोशिश की है। अभी 8 तारीख को हमने एक नई स्कीम चालू की है, जिसका जब आप पूरा प्रभाव देखेंगे तो उत्तराखण्ड के लिए अच्छी बात होने वाली है। यह इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिसमें कहीं भी, किसी भी जगह पर, उत्तराखण्ड के अन्दर किसी आदमी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो वह जो एन०जी०ओ० है, वह व्यवस्था करेगा। अभी उन्होंने मुख्य सड़कों पर ही शुरू किया है, गाँवों तक भी व्यवस्था करेंगे और अन्ततोगत्वा हम आधा घण्टा या एक घण्टे के अन्दर किसी भी गाँव में पहुँचने की क्षमता रखेंगे और उनकी व्यवस्था के अन्तर्गत हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे। इस प्रकार के काम हम शुरू कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के बारे में हम लोग चिन्तित हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग चिन्ता नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, विशेषकर माननीय नेता प्रतिपक्ष से कि एम्स हमारा 5 साल से पड़ा हुआ है। यह आपका और मेरा विषय नहीं है। यह सबका विषय है। एम्स 2003 में शुरू हुआ था। मैंने कितनी ही दफे मंत्री जी से बात कर ली है। तीन-चार दफे लोक सभा में इसको उठा चुका हूँ। मैंने वहां पर इसके लिए विशेष ध्यानाकर्षण का बिन्दु दिया था, उस पर एक-डेढ़ घण्टा चर्चा हुई, उन्होंने कहा, हम इसको देंगे लेकिन नहीं हो रहा है। मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर आभारी रहूँगा और पूरा प्रदेश आभारी रहेगा, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनको समझाइए, यह व्यवस्था सिर्फ बी०जे०पी० के लिए नहीं है। यह सब लोगों के लिए है, हमारे लोग दिल्ली जाते हैं और कैसे पड़े रहते हैं एम्स और सफदरजंग के बाहर,

तो इसको कम करने के लिए हमने एक छोटा सा 6-7 कमरे का मकान किराये पर लिया है, लेकिन वह काफी नहीं है, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है और आपसे विशेष आग्रह है कि अभी आप केन्द्र में भी पावर में हैं, थोड़े दिन और रहेंगे आप। इसको यदि आप कर लें तो अच्छा है।

एक बिन्दु आपने और उठाया कि सिक्सथ पे कमीशन के लिए हमने नहीं किया। शायद आपने कहा या मुझे कोई गलती लगी हो कि केन्द्र ने व्यवस्था की है और रेलवे ने की है तो अभी तक किसी ने व्यवस्था नहीं की है और रेल विभाग ने भी सिर्फ अपने भाषण में कहा है कि यह भी एक मुद्दा है। लेकिन बजट में, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें नहीं है और जहां तक केन्द्र का सेन्ट्रल बजट है, उसमें चिदम्बरम जी ने कुछ नहीं कहा है और जब बजट खत्म हो गया तो उन्होंने कहा है कि सिक्सथ पे कमीशन होगा तो कुछ न कुछ इसमें करेंगे। वह क्या करेंगे वह तो उसी समय क्लियर करेंगे, लेकिन बजट में वह नहीं आया है। अभी तो हमें नहीं पता कि वह कब आयेगा, कैसे आयेगा, जब आयेगा तो भविष्य में इसकी व्यवस्था करेंगे, अभी से कर देना उचित नहीं था और वह ठीक नहीं था।

आपने कुछ ऐसी बातें भी कही जो सीधे-सीधे मेरे से सम्बन्धित हैं, एक तो सैनिकों के बारे में आपने कहा। हरक सिंह जी, आप तो सैनिक विज्ञान पढ़ाते हैं और आप कहें कि सैनिकों के लिए यहाँ कुछ नहीं हुआ, आपको तो मुझे बधाई देनी चाहिए थी। लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं सैनिक हूँ, इसलिए सब कुछ सैनिकों के लिए कर रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र लैंसडाउन भी सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

और आप सैनिक विज्ञान वाले होकर हमसे कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आरोप तो सत्ता पक्ष वाले ही लगा रहे हैं।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मैं आप लोगों से, सदन से, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में सैनिक और महिलायें, यह दो ऐसे ग्रुप हैं, जिनका हम अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो उत्तराखण्ड का भला अपने आप हो जायेगा। हर घर में एक-दो सैनिक

हैं, पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर हैं, यदि उनको सम्मान देंगे और उनको सुविधायें देंगे तो उत्तराखण्ड शक्तिशाली बनेगा। इसीलिये महिलाओं के लिए जो बिल आज हम लाये, उसी दिशा में लाये क्योंकि हम उनको ज्यादा शक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रदेश को बनाने में बहुत योगदान दिया है। (व्यवधान)

माननीय हरक सिंह जी, मैं इस विषय को टच नहीं करना चाहता, आपकी सरकार ने नहीं किया, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। चार इको टास्क फोर्स कम्पनी, दो यहाँ के लिए और दो कुमाऊँ के लिए स्वीकृत हैं, केन्द्र ने इसे करना था, आप यह नहीं जानते कि मैं इसके लिए 8-8 महीने से केन्द्र के पीछे लगा हूँ और वह कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं तो कुछ पैसा राज्य सरकार को उन्हें देना पड़ता है, लेकिन अब वह चारों अपने आप लगा रहे हैं। इसके अलावा जो बार्डर में तैनात रहते हैं, जिनके परिवारों के लिए रहने और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए गढ़वाल और कुमाऊँ में दो जगहें हमने दी हैं, जिसमें एक कुमाऊँ रेजीमेंट सेंटर ने छांटी है और एक गढ़वाल रेजीमेंट सेंटर ने छांटी है। आवास के लिए हमने, जैसे आर्मी में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम होती है, यहाँ पर जमीन नहीं थी, यह तीनों चीजें हमने दी हैं तो मेरा नम्र निवेदन है कि मैं सैनिकों को समझता हूँ क्योंकि मैं स्वयं सैनिक रहा हूँ। लेकिन सैनिकों को हमें इस प्रदेश के अन्दर कुछ सम्मान देना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा और इसीलिए गैलेन्ट्री अवार्ड में भी हमने बढ़ाया है और मुझे यह कहते हुये खुशी है कि आज देश के अन्दर जो वीरता के लिए पुरस्कार मिल रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ के सैनिकों की संख्या ज्यादा है। (मेजों की थपथपाहट)

इसके अलावा एक और मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, उसको उठाना मेरे लिये भी ठीक नहीं है, लेकिन अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपने कहा कि यह नम्बर एक मुख्यमंत्री बन गया है, मैं गलती से बन गया हूँ यह मानता हूँ, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, मैं यह गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, अपने छोटे भाई से कह रहा हूँ। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मेरी तो हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि हम तो 91 से साथ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की हिम्मत आज से बढ़ रही है।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0-

मान्यवर, यह तो हमें पहले भी डांटते थे, आज भी डांटते हैं। ऐसा है कि मैं अपनी सूरत का क्या करूँ, आप लोग तो जानते हो, हमारे यहाँ गढ़वाल में एक कहानी है कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था और दूसरा आदमी वहाँ से गुजरा,

उसने कहा भाई, तुम रोते क्यों हो? तो उसने कहा, भाई साहब मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी सूरत ही ऐसी है। तो मैं क्या करूँ अपनी सूरत का, तो वह जो विषय था कि किसी ने, इंडिया टुडे ने कोई सर्वे किया, तो मैं एक जगह पर नम्बर वन हूँ और एक जगह फिसड्डी हूँ, जैसा आपने कहा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपको नहीं प्रदेश को फिसड्डी कहा है। मुख्यमंत्री तो नम्बर वन हो गया और प्रदेश फिसड्डी हो गया।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, इसलिए प्रदेश के लोगों की भावना, इसलिए मैंने वह बिन्दु उठाया। आपने कहा है कि अगर मैं नम्बर–दो पर होता तो जनता का क्या होगा। इसलिए मैं आपको सूचना दे रहा हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कि अगर आपने ठीक से पढ़ा होता तो जो मतदान हुआ है उसमें 100 लोगों में से 34 ने कहा है एक्सीलेंट काम हो रहा है प्रदेश के अन्दर। (मेजों की थपथपाहट) एक्सीलेंट (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, पेपर में ऐड दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा एस0एम0एस0 करें।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, ऐसा है अमृता जी, मैं एक दफे भारत की राजनीति में था मुझे कोई गोल्ड मेडल मिला या नहीं, मुझे पता नहीं। मैं एस0एम0एस0 करने में विश्वास नहीं करता हूँ और आपकी सूचना सही नहीं है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं वो पेपर दिखा दूँगी।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, किसने दिया, मैं नहीं जानता। हो सकता है कि आपने मेरी शुभकामनाओं में दिया हो। (हँसी) (व्यवधान) मैं आंकड़े दे दूँगा। उसी इंडिया टुडे में है (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश का इतना बड़ा सौभाग्य कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे पं0 नारायण दत्त तिवारी जी, तब भी इसी

इंडिया टुडे ने सर्वे किया था और पं0 नारायण दत्त तिवारी जी को हिन्दुस्तान का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित किया था और आज हमें पुनः सौभाग्य मिला कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इंडिया टुडे ने सर्वे किया और इनको भी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित किया तो हमारा तो ऐसा सौभाग्य हो रहा है, हमारे प्रदेश का और प्रदेश की जनता इतनी खुश है कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों का सान्निध्य हमको मिल रहा है।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0--

मान्यवर, धन्यवाद आपका जब आज आप इस बात की चर्चा कर रहे थे तो आपके मुँह पर खुशी नहीं थी, गुस्सा था। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, मैंने खुशी रोकी हुई थी।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0--

मान्यवर, तो इसलिए ऐसा है हरक सिंह जी, मैं कह रहा हूँ जनता का क्या है। 34 ने एक्सीलेंट दिया है, 55 ने वैरी गुड दिया है, 10 ने गुड दिया है और सिर्फ दो आदमी हैं, जो आपके जैसे नाराज हैं। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, मैं नहीं हूँ। गढ़वाल लोकसभा के चुनाव में कितने वोट मिले थे, 2 लाख 42 हजार वालों का मत है। यह तो जो सर्वे हुआ न सर, यह सर्वे तो कुछ ही लोगों ने किया और हम जो विपक्ष हैं, जो इस प्रदेश में हैं वे ऐसे लोग हैं जो इस सर्वे में भागीदारी नहीं करते हैं और 2 लाख 42 हजार लोगों ने आपको सर्वश्रेष्ठ कहा या जो भी कहना चाहो।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0--

मान्यवर, सर्वश्रेष्ठ कहो, सर्वनिकृष्ट कहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। मैं जो हूँ आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इतना कोई अहंकार नहीं है और मुझे यह कहते हुए कोई झिझक नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि आपने उठाया इसलिए मैं सिर्फ उसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। मैंने जो कुछ कोशिश हो सकी आपके बिन्दुओं का जवाब देने की, क्योंकि आपको जैसे कम समय मिला, मुझे भी कम टाइम मिला, नहीं तो और विस्तार से मैं आपकी बातों का जवाब दे पाता। माननीय शहजाद जी ने भी कुछ बातें कही हैं, मैंने नोट कर लिया है। आपने

विद्युतीकरण की बात की। इस बारे में लक्ष्य 2 लाख 42 हजार 100 गाँवों का है जो 2006 में शुरू हुई थी। 7500 कनेक्शन 2006 तक दे दिये गये थे और अब हम लोग इस साल कोशिश कर रहे हैं कि 50 हजार कनेक्शन दें और 2 लाख 42 हजार 100 को 2009 तक पूरा करें, यह कोशिश हो रही है आपने अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में बात की है हम कोशिश करेंगे इन पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। एक और बात जो कही थी उसमें हम सभी लोग सहमत हैं।

आपने भी, नेगी जी ने भी कहा। आन्दोलनकारियों के सपनों को पूरा करना है। हम लोगों में से काफी सदस्य जो यहाँ पर बैठे हैं, वे आन्दोलन में शामिल थे और इसलिए अगर अपना काम सचमुच में ईमानदारी से करना चाहते हैं जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो गाँव सभा का हो या लोक सभा का हो। इस बीच में जो भी हैं, अगर ईमानदारी से उन लोगों की पीड़ा को महसूस करें, जिन्होंने आन्दोलन किया, कितनी यातनाएं सही, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। उन यातनाओं को अगर हम सम्मान नहीं देते हैं और अच्छा काम नहीं करते हैं तो यह ठीक नहीं होगा हमारे लिए भी और भविष्य के लिए भी। कोई कितना योग्य है, वह अपनी योग्यता के अनुसार काम कर लें ईमानदारी से तो कोई चिन्ता नहीं है। मेरी आप सब से प्रार्थना है कि चर्चा हो, वह ठीक है, तर्क–वितर्क, आलोचना हो, वो भी प्रजातंत्र का सिस्टम है, होना चाहिए उससे हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन होने के बाद हम सब, जितनी शक्ति हममें है, उसके अनुसार पूरे प्रदेश का अच्छा करना चाहें तो यह बहुत अच्छा होगा। अपनी तरफ से मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपको पूरे सदन को धन्यवाद देता हूँ। मेरी और कोई दूसरी इच्छा नहीं है, मेरी कोशिश है जो भी भगवान ने मुझे योग्यता दी है उसको इस दिशा में लगाऊं। इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत अहंकार नहीं है अगर मैं कर सकूँगा तो इसके लिए मैं सौभाग्यशाली होऊँगा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा समाप्त हुई।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, विधायक निधि बढ़ाकर दो करोड़ कर दीजिए।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, हाजी तस्लीम अहमद, श्री गगन सिंह रजवार, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल पाँच सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र लालढांग में दैवी आपदा

अतिवृष्टि से ग्रस्त सरकारी परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दैवी आपदा योजना मद से स्वीकृत एवं धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा उत्तराखण्ड के पर्वतीय अंचलों में निवास कर रही आदिम जनजाति का पुनर्वास करने के सम्बन्ध में श्री गगन सिंह रजवार की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

राज्य के ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

[ग्राम्य विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति एवं उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए ग्राम्य विकास अधिकारी सेवा नियमावली 1980 के प्राविधान लागू हैं। सेवा नियमावली में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (ग्राम विकास अधिकारी) के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं है तथा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती मौलिक संवर्गीय पद से ही सहायक विकास अधिकारी के पद पर ग्राम विकास अधिकारी पद से शत–प्रतिशत पदोन्नति का प्राविधान है। इस प्रकार ग्राम्य विकास विभाग में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद हेतु नियमावली के भाग–4 के अनुसार आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गयी है। नियमावली में निर्धारित आयु सीमा को देखते हुए आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण छूट प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।]

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमने पिछले बजट सत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह किया था, जिस तरह बहुत महंगाई बढ़ गई है। जब माननीय मुख्यमंत्री श्री तिवारी जी थे, तिवारी जी का जिक्र बार–बार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वह निवर्तमान मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक करोड़ रुपये का विधायक निधि में प्राविधान था तो हमारे माननीय प्रकाश पंत जी

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और तमाम हमारे साथी जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं यह प्रस्ताव लाये कि कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये विधायक निधि होना चाहिए और तिवारी जी ने वहीं बैठकर केवल उन्होंने घोषणा ही नहीं की उसको क्रियान्वयन भी किया। हम आपसे दो करोड़ की माँग कर रहे हैं, हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि आप दो करोड़ की घोषणा कर दें, हम आपसे घोषणा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, घोषणा भी करें और उसका क्रियान्वयन भी करें। (मेजों की थपथपाहट)

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मानीनीय अध्यक्ष जी, हरक सिंह जी बार–बार तिवारी जी का रिफरेंस देते हैं और मुझे उनकी याद दिलाते हैं, तिवारी जी हमारे बहुत सम्मानित हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि तिवारी जी ने कुर्सी पर बैठने के कितने साल बाद बढ़ाया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हर साल बढ़ाया है।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मैं घोषणा नहीं करता।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह घोषणा नहीं मानी जायेगी। यह तो सदन है।

मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, जो हाउस की भावना है उसके अनुरूप काम किया जायेगा। जब सप्लीमेंट्री आयेगा तो उसमें कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 07 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र

देहरादून, सचिव, विधान सभा,

दिनांक: 12 मार्च, 2008 उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 वि0स0 / 397–29–12–2010–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

1617